लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6—मंगलवार, 8 नवम्बर, 1966/17 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 6—Tuesday, November 8, 1966/Kartika 17, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
151.	उर्वरकों की आवश्यकता — Requirements of Fertilizers	697—700
152.	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें — Road Accidents in Delhi	700—704
153.	एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार पद्धति जांच आयोग — Monopolies and Restrictive Trade Practice Commission.	704-705
155.	आकाशवाणी से राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव सम्बन्धी प्रसारण — Election Broadcasts by Political Parties over All India Radio	705—710
156.	अनाज की खेती — Cultivation of Foodgrains	710—712
157.	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी — M/s. Bird & Co.	712—714

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.		
154.	आकाशवाणी से निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा चुनाव सम्बन्धी प्रसारण — Election Broadcasts by Independent Candidates over All India Radio	714
158.	खाद्यान्नों का समाहार — Procurement of Foodgrains	714-715
159.	कलकत्ता पत्तन में चोरियां — Thefts at Calcutta Port	715-716
160.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात — Import of Foodgrains under PL 480	716
161.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर — Central Arid-Zone Research Institute, Jodhpur	716-717

*किसी नाम पर + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र०संख्या

S.Q.Nos.

162.	फसल ऋण प्रणाली	Crop Loan System . . .	717
163.	सहकारी कृषि संबंधी ऋण	Co-operative Agricultural Credit . .	717–718
164.	भारतीय नौवहन निगम के लिए जहाज	Ships for Shipping Corporation of India	718
165.	नाशक कीड़ों से बर्बादी	Pest Menace	718 719
166.	पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर के लिए लोक सभा में प्रतिनिधित्व	Representation in Lok Sabha for Pakistan-occupied Kashmir	719
167.	कानूनी राशन व्यवस्था	Statutory Rationing	720
168.	चावल मिलों को नियंत्रण में लेना	Taking over of Rice Mills .	720
169.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyard, Vishakhapatnam .	721
170.	गन्ने का मूल्य	Price of Sugarcane	721
171.	दिल्ली में राशन के फुटकर विक्रेताओं का अभ्यावेदन	Representation from Ration Retailers in Delhi.	721–722
172	कृषि प्रधान शिक्षा	Agriculture Oriented Education .	722
173.	बम्बई पत्तन न्यास के चालकों (पायलटों) द्वारा हड़ताल	Strike by Pilots of Bombay Port Trust .	722
174.	जयंती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company . . .	723
176.	पालम हवाई अड्डे पर हुई कैरावेल विमान की दुर्घटना की जांच	Enquiry into Air Crash of Caravelle at Palam Airport	723
178.	खाद्य तथा कृषि संगठन का प्रतिवेदन	F.A.O. Report.	724
179.	चम्बल कन्दरा भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Chambal Ravine	724
180.	पटसन का उत्पादन	Jute Crop Yield	725

अता०प्र०संख्या

U. Q. Nos.

766.	एरणाकुलम–कुन्नमकुलम सड़क	Ernakulam-Kunnamkulam Road . .	725–726
767.	गहरे समुद्र तथा तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने संबंधी संगठन	Deep Sea and Offshore Fishing Organisation	726

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
768.	नारियल के रोग	Coconut Diseases	726
769.	मत्स्य परिवहन	Transport of Fish . .	727
770.	मछली पकड़ने के लिये यांत्रिक नौकाएं	Mechanised Boats for Fishing . .	727-728
771.	केरल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड	Kerala Fisheries Corporation Ltd.	728
772.	प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का विकल्प	Alternatives to Managing Agency System.	729
773.	केरल में पोटाश खाद की उपलब्धि	Availability of Potash Manure in Kerala . .	730
774.	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन	Acquisition of Land for Public Purposes	730–731
775.	बर्मा से चावल का आयात	Import of Rice from Burma	731
776.	बाबतपुर (वाराणसी) हवाई अड्डा	Babatpur (Varanasi) Airport .	731–732
777.	केन्द्रीय सहकारी भंडार	Central Cooperative Stores	732
778	केन्द्रीय काजू तथा मसाले अनुसंधान संस्था	Central Research Institute for Cashewnut and Spices	733
779.	विधान मंडलों में पिछड़े वर्गों के लिये स्थानों का रक्षण	Reservation of seats for Backward Classes in Legislatures	733
782.	डमडम हवाई अड्डे पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान का क्षतिग्रस्त होना	I.A.C. Plane damaged at Dum Dum Airport	733–734
783.	राज्यों में समाहार योजनाएं	Procurement schemes in States .	734
784.	कृषि उपकरण	Agricultural Equipment	734–735
785.	हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को फलों का लदान	Movement of Fruit from Himachal Pradesh to Delhi	735
786.	चीनी का निर्यात मूल्य	Export Prices of Sugar .	735–736
787.	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi .	736
788.	कलकत्ता बन्द के दौरान कलकत्ता से विमान सेवा	Air Services from Calcutta during Calcutta Bundh	737
789	मैसूर में सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains by Co-opratives in Mysore . . .	737

अता० प्र० संख्या
U· Q. Nos.

790. खाद्य तथा कृषि संगठन का क्षेत्रीय सम्मेलन	F.A.O. Regional Conference	738
791. कृषि मूल्य आयोग	Agricultural Prices Commission	738
792. सैसून गोदी, बम्बई	Season Docks, Bombay . . .	738–739
793. कृषि मूल्य आयोग	Agricultural Prices Commission .	739
794. भारत में वर्षा	Rainfall in India	739–740
795. हवाई अड्डे पर जलपान गृह	Airport Restaurants	740
796. गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड	Ganga-Brahamaputra Water Transport Board	740–741
797. सरकारी क्षेत्र में बेकरियां	Bakeries in Public Sector . .	741
798. सहकारिता के आधार पर बीज फार्म	Seed Farms on Co-operative Basis . .	741· 742
799. एयर इण्डिया के लिए विमान	Aircraft for Air India	742
800. विदेशों से खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains from Foreign Countries	742
801. केन्द्रीय भांडागार निगम	Central Warehousing Corporation .	742–743
802. भूमि के लगान पर अधिभार	Surcharge on Land Revenue . . .	743
803. रोके गये जहाजों की भारत और पाकिस्तान के बीच अदला-बदली	Exchange of Impounded Ships between India and Pakistan	743–744
804. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के केरेवल विमान की दुर्घटना	Crash of I.A.C. Caravelle . .	744
805. चुनाव नियम पुस्तक	Election Manual . . .	744–745
806. पटसन की फसल	Jute Crop . . .	745
807. खाने की आदतों में परिवर्तन	Change in Food Habits . .	746–747
808. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के केरेवेल विमानों की दुर्घटनाएं	Accidents to I.A.C. Caravelles . .	747
809. बाढ़ों के कारण फसलों को क्षति	Damage to Crops due to Floods. .	747–748
810. आयातित खाद्यान्नों की कीमतें	Prices of Imported Foodgrains . .	748–749
811. गांवों की सड़कों का विकास	Development of Village Roads . . .	749-750
812. राष्ट्रीय राजपथ	National Highways . . .	750

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
813.	तृतीय पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन — Fisheries During Third Five Year Plan	750–751
814.	कृषिजन्य पदार्थों का विपणन — Marketing of Agricultural Goods	751
815.	नौवहन उद्योग संबंधी अनुसन्धान — Research re. Shipping Industry	752–753
816.	कई फसलें उगाना — Multiple Cropping	753
817.	केन्द्रीय मत्स्य निगम — Central Fisheries Corporation	753–754
818.	मतदाता तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र — Electorates and Territorial Constituencies	754
819.	हवाई अड्डे पर सामान देने की प्रणाली — Baggle Delivery System at Airports	754–755
820.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कर मुक्त दुकानें — Duty Free Shops at International Airports	755
821.	बर्मा से चावल की सप्लाई — Supply of Rice from Burma	755
822.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में घाट (जैटी) — Jetties in Andaman and Nicobar Islands	756
823.	नारियल बागान — Coconut Plantations	756
824.	गेहूं की मैक्सिकन किस्म के लिए खाद की सप्लाई — Supply of Manure for Mexican Wheat	756–757
825.	उड़ीसा में छोटे सिंचाई कार्य — Minor Irrigation Works in Orissa	757
826.	तम्बाकू की खेती — Tobacco Cultivation	757–758
827.	बम्बई बन्दरगाह पर दुर्घटना — Mishaps at Bombay Port	758
828.	पर्यटन का विकास — Development of Tourism	759–760
829.	खारी भूमि में खेती — Cultivation in Alkaline Land	760
830.	पार्क होटल, कलकत्ता — Park Hotel, Calcutta	761
831.	चीनी का उत्पादन — Sugar Production	761–762
832.	केरल के पशुधन-विकास सम्बन्धी सहायक — Live stock Assistants in Kerala	762
833.	राज्यों को रासायनिक खाद की सप्लाई — Supply of Chemical manure to States	762–763
834.	सुपर बाजार, नई दिल्ली — Super Bazar, New Delhi	763
835.	सुपर बाजार, नई दिल्ली — Super Bazar, New Delhi	763
836.	सुपर बाजार, नई दिल्ली — Super Bazar, New Delhi	764

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
837.	सुपर बाजार, नई दिल्ली — Super Bazar, New Delhi .	764
838.	केरल में ग्रामसेवक — Gramsevaks in Kerala . . .	764–765
839.	विमान चालक प्रशिक्षण केन्द्र, नागपुर — Pilot Training Centre, Nagpur . .	765
840.	दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी समितियां — Consumer Cooperative Societies in Delhi .	765
841.	अन्तर्राज्य नौपरिवहन — Inter-State Navigation	766
842.	लाख का उत्पादन — Production of Lac	766
843.	विधि मंत्रालय का पुस्तकालय — Law Ministry Library . . .	767
844.	राज्य सरकारों को दी गई कानूनी सलाह — Legal Advice tendered to State Governments	767
845.	सरकार द्वारा अथवा सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमे — Cases filed by or against Government .	768
846.	वेतन पर वकीलों की नियुक्ति — Appointment of Lawyers on Salary Basis .	768
847.	अमरीका से सोयाबीन के तेल का आयात — Import of Soya Bean Oil from U.S.A. .	768–769
848.	भारत में खाल उतारने का प्रशिक्षण — Training in Hide-flaying in India . .	769
849.	प्रकाश स्तम्भ — Lighthouses	769
850.	आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला — Potato Research Institute, Simla . .	769–770
851.	बम्बई के निकट गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौका (ट्रालर) का डूब जाना — Sinking of Deep Sea fishing trawler near Bombay	770
853.	वाणिज्य फसलों का उत्पादन — Production of Commercial Crops . .	771
854.	कोचीन पत्तन का विकास — Development of Cochin Port . . .	771–772
855.	निर्धन व्यक्तियों को विधि संबंधी सहायता — Legal Assistance to the Poor . . .	772
856.	केन्द्रीय भेड़ पालन फार्म — Central Sheep Breeding Farm . . .	772–773
857.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया चावल — Rice purchased by Food Corporation of India	773

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
858.	आंध्र प्रदेश में चावल का मूल्य — Price of Rice in Andhra Pradesh	774
859.	विदेशों से खाद्य उपहार — Food Gifts from Abroad . .	774
860.	केरल में खाद्यान्नों की ढुलाई — Transportation of Foodgrains in Kerala .	775
861.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा विदेशी अतिथियों को पार्टियां — Parties to Foreign Visitors by Ministry of F. & A.	775
862.	राष्ट्रीय उद्यान, आगरा — National Gardens, Agra	776
863.	केरल सरकार के पास ड्रेजर — Dredgers with Kerala Government	776
864.	राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन — Conference of State Ministers of Cooperation	776–777
865.	व्योम बालाओं और विमान चालकों का विवाद — Air Hostesses Pilot Dispute . . .	777
866.	आसाम के गोदी बाडा — Dock Yard in Assam	778
867.	विस्तार प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन — National Conference on Extension Training .	778
868.	बीजों के उत्पादन में सहायता के लिये बिजली — Electricity to Aid Growth of Seeds .	778–779
869.	पश्चिम घाट राष्ट्रीय राजपथ — West Coast National Highway . . .	779–780
870.	दूध सप्लाई करने वाले लोगों द्वारा आन्दोलन — Agitation by Milk Suppliers	780
871.	इंडिया एयरलाइन्स कार्पोरेशन के डकोटा विमान का सांताकज हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त होना — I.A.C. Dakota Damaged at Santa Cruz .	780–781
872.	केरल के बाडगे की मत्स्य क्षमता — Fisheries Potential of Wadge Bank, Kerala .	781
873.	सारडीन तथा मैकरेल मछलियों का तेल — Sardines and Macherels Oil . . .	781–782
874.	पर्यटन केन्द्रों के रूप में भाखड़ा और नंगल बांध — Bhakra and Nangal Dams as Tourist Resorts	782–783
875.	सुपर बाजार, नई दिल्ली — Super Bazar, New Delhi	783

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

876. अधिक उपज वाली किस्म की अनाज की फसलों के लिए ऋण — Loan for High Yielding Varieties of Food Crops 783

877. ताइचुंग नेटिव—1 नामक धान की फसल — Taichung Native –1 Paddy Crop 784

878. सहकारी खेती के सम्बन्ध में गाडगिल समिति का प्रतिवेदन — Gadgil Committee's Report on Co-operative Farming 784

879. राज्यों में बीज फार्म तथा कृषि औजार सेवा केन्द्र — Seed Farms and Agricultural Implements Service Station in States . . . 784

880. बैनेट कोलमैन कम्पनी — Bennett Coleman Company . . . 785

881. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों द्वारा परीक्षण उड़ान करने से इन्कार — Refusal by Pilots of I.A.C. to take a Test Flight 785

882. गुजरात राज्य में चीनी के कारखाने — Sugar Factories in Gujarat State . 785

883. विकास खंडों में जीपें — Jeeps in Development Blocks . . 786

884. पंजाब में खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि — Rise in Prices of Foodgrains in Punjab 786–787

885. पूर्वी पाकिस्तान को चावल का चोरी छिपे ले जाया जाना — Smuggling of Rice to East Pakistan . 787

स्थगन प्रस्तावों के बारे दिल्ली की घटनाएं — Re. Motions for Adjournment Incidents in Delhi . . . 787–788

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — Papers Laid on the Table . . . 788–789

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न) — Re. Calling Attention Notices (Query) . 789—792

सदस्य की गिरफ्तारी (श्री रामेश्वरानन्द) — Arrest of Member . . 792 (Shri Rameshwaranand)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का संकल्पों सम्बन्धी समिति — Committee on Private Members Bills and Resolutions 792

सतानवेवां प्रतिवेदन — Ninety-seventh Report 792

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of Member . .	793
नियम 338 निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	Suspension of Rule 338 in regard to .	794
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee . .	794
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath . .	794
श्री राधे लाल व्यास	Shri Radhelal Vyas . .	795
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . . .	795
श्री अ० क० गोपालन	Shri A. K. Gopalan .	795
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	795
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh . . .	796
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . . .	796
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia . .	796
श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta . .	796
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	796
श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narayan Sinha .	797
श्री रंगा	Shri Ranga . .	797
केरल राज्य के संबंध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	Statutory Resolution Re. Proclamation in relation to the State of Kerala—adopted. .	799
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	799
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey .	800
श्री राम सहाय तिवारी	Shri R. S. Tiwary .	800
डा० मा० श्री अणे	Dr. M. S. Aney . .	801
श्री हाथी	Shri Hathi .	801
कीटनाशी विधेयक	Insecticides Bill	802
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to refer to Joint Committee—adopted	802
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar . . .	802
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya . .	803
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das . . .	803
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	804
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh . . .	804
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida . .	804
श्री मुथिया	Shri Muthiah	805
श्री बृजबिहारी मेहरोत्रा	Shri Brij Bihari Mehrotra . .	805

दिल्ली नगर निगम (विद्युतकर की निधिमान्यता) विधेयक	Delhi Municipal Corporation (Validation of Electricity Tax) Bill . .	806
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	806
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	806
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida .	807
श्री नबल प्रभाकर	Shri Naval Prabhakar . . .	807
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya . . .	807
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	807
खण्ड 2 तथा 1	Clauses 2 and 1 ·	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	808
कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक	Companies (Second Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider . . .	809
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C.R. Pattabhi Raman . .	809
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida . .	810
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi	810
खण्ड, 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended .	810
संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक के पारित किये जाने के बारे में नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव	Motion under Rule 388 in relation to passing of Constitution (Twenty-first Amendment) Bill	813
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C.R. Pattabhi Raman . . .	813
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das . . .	814
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhelal Vyas	814
डा० मा० श्री अणे	Dr. M. S. Aney	814
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C.K. Bhattacharyya . . .	814
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida .	815
श्री गोपाल स्वरुप पाठक	Shri G.S. Pathak	815
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा	Representation of People (Amendment) Bill and	816
संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-first Amendment) Bill	816
विचार करने का प्रस्ताव	Motions to Consider .	816
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G.S. Pathak .	816

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 8 नवम्बर, 1966/17 कार्तिक, 1888 (शक)

Tuesday, November 8, 1966/Kartika 17, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरकों की आवश्यकता

\+

151. श्री प्र० र० चक्रवर्ती : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : श्री रामचन्द्र मलिक :
श्रीमती सावित्री निगम : श्री सुधांशु दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है कि देश में विभिन्न किस्म के उवरकों की प्रति वर्ष कुल कितनी आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म के उर्वरकों की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है;

(ग) यह आवश्यकता किस हद तक देश में तैयार किये गये तथा कितनी आयात किये गये उर्वरकों से पूरी की जाती है; और

(घ) देश को उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां। सरकार द्वारा नियुक्त की गई उर्वरकों सम्बन्धी समिति ने चतुर्थ वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया था।

(ख) और (ग) उर्वरकों सम्बन्धी समिति द्वारा लगाये गये अनुमानों, आन्तरिक उत्पादन के विस्तार तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप

में 1970–71 के लिये रखे गये उपभोग लक्ष्य इस प्रकार हैं: नाइट्रोजन 20 लाख टन, पी० 205 क 10 लाख टन और के० 20 का 3.5 लाख टन। ऐसा अनुमान है कि चतुर्थ योजना के अन्तिम वर्ष में अर्थात् 1970–71 में नाइट्रोजन तथा फोस्फेट उर्वरकों की आवश्यकता आन्तरिक उत्पादन से ही पूरी की जायेगी। चूंकि पोटेशियम से बने उर्वरक का स्वदेशी उत्पादन बहुत कम है, इसलिये लगभग सारी आवश्यकता आयात करनी पड़ेगी।

(घ) अतिरिक्त उर्वरक कारखाने स्थापित करके तथा वर्तमान उर्वरक कारखानों का विस्तार करके उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : वितरण तथा मूल्य निर्धारण, के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा सात वर्ष तक कार्यवाही न करने की घोषणा से विदेशी विनियोजन को कहां तक प्रोत्साहन मिला है ?

श्री श्यामधर मिश्र: यह हाल ही में आरम्भ किया गया है और हम अभी भी विदेशी सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि उर्वरक संयंत्र के वित्त पोषण के लिये जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिये अमरीकी समवाय अब आगे आया है और यदि हां, तो इस संयंत्र को निकट भविष्य में हाथ में लेने की क्या संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): यह प्रश्न पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

Shri Siddheshwar Prasad: Is it a fact that the existing fertiliser plants in the country are not working to their capacity, if so, the reasons therefor and the steps Government contemplate to take to run them to their capacity?

Shri Shyam Dhar Mishra: It is correct that we have not achieved the production target laid down in the Third Plan and also for this year. The reason for this is that there has been the shortage of power at one or two places and the shortage of raw materials at some places. We are consistently making efforts in this direction. Our endeavour is to produce 2.5 million tonnes by the end of the Third Plan.

श्री कंडप्पन : इस देश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये किए गये दीर्घकालीन उपायों को छोड़ कर, मैं जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से मद्रास के अनेक जिलों मे उर्वरकों की उपलब्धता न होने के कारण किसानों की चिंता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार किसानों को अर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्न कर रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र: यह भी हमारी एक समस्या है। वास्तव में, पिछले वर्ष से आयात द्वारा तथा उत्पादन में वृद्धि द्वारा हमने उर्वरकों की उपलब्धता को बढ़ाया है। इस योजना के अन्त तक हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रति एकड़ उर्वरक का उपयोग बढ़ता जा रहा है और निश्चय ही मांग बहुत बड़ी है।

श्री कंडप्पन : श्रीमन, मेरा प्रश्न भिन्न है। ऐसे स्थान हैं जहां पर सूखे या बाढ़ के कारण उर्वरक बेकार पड़े हैं और ऐसे भी स्थान हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध नहीं हैं जहां कि उनका अच्छी काश्त के लिये उपयोग किया जा सकता है। अत: मैं चाहता हूं कि इन उर्वरकों को ऐसे स्थानों पर भेजा जाये जहां उनका खेती के लिये उपयोग किया जा सकता है। (व्यवधान)। मैं मंत्री महोदय से ठोस आश्वासन

चाहता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है वह बहुत अस्पष्ट है। क्या मद्रास को इस बार अधिक कोटा दिया जायेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैं मद्रास को कोटा देने का प्रयत्न करूंगा। मेरे पास एक विवरण है। इस वर्ष के लिये मद्रास का कोटा 1,02,265 टन है जब कि सारे देश का कुल कोटा 9,90,624 टन है। मैं यह मानता हूं कि प्रत्येक स्थान पर इसकी कमी है और मांग बढ़ गई है, परन्तु हम मांग को शत प्रतिशत पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं।

Shri Yashpal Singh: Sir, you also do not advise him; unnecessarily a problem has been created. He is making mountain of a mole hill.

He is copying those countries which lack in forest wealth. Here in our country crores of tons of tree leaves and compost manure go waste. Instead of giving attention to this compost manure and forest wealth and tree leaves we go with a begging bowel to foreign countries. Will Government, instead pay attention to green manuring and compost?

Shri Shyam Dhar Mishra: Government fully understands it and whatever we have mentioned is in addition to what the hon. Member is telling. We are giving our full attention to the compost available in cities and villages.

Mr. Speaker: Thakur Sahib says that it may be considered.

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार किसानों की उर्वरक की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करती है, क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उन क्षेत्रों को उर्वरक अधिक मात्रा में दिया जाये जहां कि अधिक उपज वाली किस्में बोई जाती हैं और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्यामधर मिश्र : अधिक उपज तथा गहन क्षेत्र कार्य क्रमों के लिये इन उर्वरकों के वितरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम इस बात को भी ध्यान दे रहे हैं कि अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रमों की सभी आवश्यकताएं पहले पूरी कर ली जायें और फिर हम अन्य क्षेत्रों में इसका वितरण कर रहे हैं।

Shri Vishram Prasad: In this statement it is mentioned that 2 million tonnes of Nitrogenous fertiliser, 1 million tonne of P-205 fertiliser and ·35 million tonne of K-20 fertiliser will be required. From this it appears that our Government pays much attention to nitrogenous fertiliser which has acidic effect upon the soil. So I want to know whether you have kept this in view and secondly whether the farmers will get cheap fertiliser during the Fourth Plan period or not.

Shri Shyam Dhar Mishra: The figures of 2 million tonnes, 1 million tonne and .35 million tonne have been kept to maintain the correct proportion. This is a point to be seen by our experts and it is not that all the fertilisers are used equally. Nitrogen is required more and therefore Nitrogen has been kept in greater quantity.

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जैसे पुरानी किस्मों के साथ है इसी प्रकार उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों की भी भारी कमी है, क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है कि नई किस्मों के लिये उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों को पर्याप्त मात्रा में दिया जाये क्योंकि इनकी पुरानी किस्मों की अपेक्षा पांच या दस गुने से भी अधिक

आवश्यकता होती है और यदि ऐसा नहीं किया गया तो पुरानी किस्में नई महामारियां खराब कर देंगी जो कि नई किस्मों का परिणाम हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैंने इसका उत्तर दे दिया है, परन्तु मैं कुछ और ब्यौरा दे सकता हूं। अधिक उपज वाली किस्मों के लिये हम लगभग 10 लाख टन में से 12000 टन खरीफ की फसल के लिये और 1.24 लाख टन रबी की फसल के लिये आवंटित कर रहे हैं। हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अधिक उपज वाली किस्मों के सभी कार्यक्रमों को उर्वरक दिये जायें। इसके लिये उर्वरकों और पौधा संरक्षण उपायों की कमी नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : यह प्रश्न इस सभा के सामने कई बार आया है कि आयातित उ रकों पर जो लगभग 8 करोड़ रुपया व्यय किया जाया है उसको किसानों को राज सहायता के रूप दे दिया जाये और उनके लिये उर्वरकों की कीमतें घटाई जानी चाहियें। सरकार का इरादा क्‍ कार्यवाही करने का है ताकि गरीब किसान भी उर्वरकों को आसानी से इस्तेमाल कर सकें।

श्री श्यामधर मिश्र : जहां तक आज किसानों को उर्वरकों के देने का सम्बन्ध है अब भी इस लिये प्रति वर्ष 53 करोड़ रु० की राज सहायता दी जाती है। यदि उर्वरकों के स्थान पर रा सहायता देने से ही काम चल जाता तो सरकार ने नकद राज सहायता देने का निर्णय कर लिया होता। परन्तु नकद राज सहायता उर्वरकों का स्थान नहीं ले सकते।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

***152. श्री स० चं० सामन्त :**	**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :	**श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :	**श्री महेश्वर नायक :**
श्री सुबोध हंसदा :	**श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
डा० म० मो० दास :	**श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० चं० बरुआ :	**श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था और दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा गत दो महीनों के दौरान इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया; और

(ग) यदि हां, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने के सुझाव दिये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं। चालू वर्ष में 1-1-1966 से 30-9-1966 तक की अवधि में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 6216 थी। इसके विपरीत 1965 की इसी अवधि में दुर्घटनाओं की संख्या 6232 थी।'

(ख) पिछले दो महीनों में केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था अथवा दिल्ली यातायात पुलीस ने कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है । फिर भी, यातायात पुलीस, दिल्ली, द्वारा संकलित दुर्घटना दित्ता का विश्लेषण नियमित रूप से केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था द्वारा किया जाता है ।

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था द्वारा निम्न सुझाव दिये गये हैं :—

(1) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के व्यवस्थित अध्ययन से 21 "दुर्घटना उन्मुख" स्थान चुने गये हैं । इन स्थानों की प्रत्येक दुर्घटना के सूक्षम विश्लेषण से पता चला है कि अधिकांश दुर्घटनाओं के लिये ड्राइवर मुख्यत: जिम्मेदार हैं । इन स्थानों पर नवीन दुर्घटना स्थल चेतावनी चिह्न लगा दिये गये हैं जिसे सड़क व्यवहृत करने वालों को इन अत्यधिक दुर्घटना वाले स्थलों की मौजूदगी की चेतावनी रहे ।

(2) दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों के लिए एक-सी गति सीमाएं ।

(3) यातायात के ठीक तरह से निकलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सड़कों के लिए माध्यिकाएं ।

(4) कुछ महत्वपूर्ण सड़कों पर मौजूदा रोशनी की पद्धति में सुधार ।

(5) दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों में व्यस्त चौराहों का सुधार और इन चौराहों पर यातायात संकेतों का लगाया जाना ।

(6) साइकिल के लिये अलग मार्ग और व्यस्त चौराहों पर साइकिल यातायात को अलग रखना ।

(7) ड्राइवरों और सड़क के अन्य व्यवहृतकर्ताओं के लिये सुनियोजित यातायात शिक्षण कार्यक्रम ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने एक दीर्घकालीन कार्यक्रम का सुझाव दिया है कि दिल्ली में सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिये और यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : संस्थान द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों में एक सुझाव यह भी है कि अधिक यातायात वाले स्थानों पर सड़कों को चौड़ा किया जाये । सिफारिश किये गये सुझावों की लम्बी सूचियां हैं और मोटी बातों को विवरण में दे दिया गया है । और भी बातों के लिये सुझाव दिये गये हैं जिनके बारे में दिल्ली प्रशासन तथा नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

Shri M. L. Dwivedi: Sir, in the statement placed on the Table, it is given "Well planned traffic education programme for drivers and other users of the road". So far as I think Government have not taken any steps so far in this direction. What education is being given to the drivers and other users of the road and in which manner this programme will be carried forward?

श्री चे० मु० पुनाचा : यातायात विनियमों पर शिक्षा देने के लिये अधिकारियों द्वारा एक विषय तैयार किया गया है परन्तु इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि चालकों की संख्या इतनी अधिक है कि इस शिक्षा को देने के लिए हमारे पास अपेक्षित पैसा नहीं था। हमने सभी भाषाओं में एक सड़क सुरक्षा संहिता भी तैयार की है और ये पुस्तिकायें चालकों को निशुल्क बांटी जाती हैं ताकि वे यातायात विनियमों को ध्यान रखें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं विवरण में देखता हूं कि दिये गये सुझावों में एक सुझाव पृथक साइकिल मार्ग की व्यवस्था करने का भी है । परन्तु, क्या माननीय मंत्री नहीं जानते कि दिल्ली में प्रश्न केवल साइकिल चलाने वालों के पैदल चलने वालों के मार्ग पर चलने का ही नहीं है अपितु उनके पास बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं होता है और वे बत्तियां नहीं लेकर चलते हैं ; यदि हां, तो क्या इस बात को लागू करने का कोई सुझाव है कि साइकिल चलाने वाले रात में चलते समय कम से कम अपनी साइकिलों पर 'बत्तियां' रखें ।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट है, प्रश्न केवल उनको लागू करने का है । मैं दिल्ली प्रशासन से कहूंगा कि वह इनको अधिक सख्ती से लागू करे । हम जानते हैं कि साइकिल चलाने वालों की साइकिलों में कोई बत्ती या ब्रैक नहीं होती । कई बार पूरा परिवार साइकिल पर सफर करता है । हम इन सब चीजों को देखते हैं । हम दिल्ली प्रशासन से नियमों को अधिक सख्ती से लागू करने के लिये कहेंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या दिल्ली परिवहन की बसों से अब भी सड़क पर सब से अधिक व्यक्ति मरते हैं ? यदि हां, तो गत वर्ष और इस वर्ष दिल्ली परिवहन की बसों द्वारा कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं की गईं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास दिल्ली परिवहन की बसों से सम्बन्धित अलग जानकारी नहीं है । हमने विवरण में कुछ दुर्घटनाओं की संख्या दे दी है । यह बिल्कुल सत्य है कि किसी हद तक दिल्ली परिवहन की बसें भी सड़क दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सरकार को पता है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में मौत मोटर चलाने वालों तथा जनता द्वारा दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की उपेक्षा के कारण होती है क्योंकि वे बाद में पुलिस जांच द्वारा होने वाली ,परेशानी से डरते हैं । यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के रवैये और तरीके में परिवर्तन करना चाहती है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं नहीं समझता कि यह सही है क्योंकि इन दुर्घटनाओं में दुर्घटनाओं की कुल संख्या की अपेक्षा घातक दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम है । इनकी संख्या मुश्किल से 10 प्रतिशत होगी । वहां पर भी उन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बहुत कम है । संभवतः इन दुर्घटनाओं में पूरी पूरी जांच करनी पड़ती है और माननीय सदस्य द्वारा सुझाई गई कुछ अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए उन से सम्बन्धित पूछताछ या प्रक्रियाओं में ढील नहीं दी जा सकती है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को पता है कि लगभग 25 प्रतिशत दुर्घटनाओं का कारण यह है कि चालक या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति शराब के नशे में पाये जाते हैं । यदि हां, तो क्या यह देखने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है कि यदि किसी चालक को शराब के नशे में पाया जाये तो उसका लाइसेंस तुरन्त रद्द कर दिया जाये और उसके विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही की जाये ? यदि ऐसा पहले से किया जा रहा है तो कितने लोगों के लाइसेंस रद्द किये गये हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस विषय पर नियम बहुत स्पष्ट है । मादक पदार्थों के नशे में लोगों को मोटरगाड़ियां और विशेष रूप से सार्वजनिक उपयोग की मोटरगाड़ियों को नहीं चलाना

चाहिये । जहां भी अधिकारियों को ऐसी घटनाओं का पता लगता है लाइसेंस रद्द करने सहित बहुत सख्त और कड़े उपाय किये जाते हैं ?

श्रीमती सावित्री निगम : कितने लाइसेंस रद्द किये गये हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह जानकारी मुझे इकट्ठी करनी होगी ।

Shri Vishram Prasad: Sir, in the statement it is given that in 1965, 6,232 accidents took place whereas during this year upto 20th September, 1966, 6,216 accidents, *i.e.* just 16 less than last year have already taken place. In view of the fact that often people die by falling off the D.T.U. buses, may I know the steps being taken by Government to prevent such accidents by enlarging the fleet of D.T.U. buses or by limiting the number of passengers that can travel in a bus?

श्री चे० मु० पुनाचा : इन बसों में बैठने के स्थान सीमित हैं और बसों को . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या खड़े होने के स्थान भी सीमित हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां । बसों में बैठने के और खड़े होने के दोनों स्थान सीमित हैं । परन्तु ऐसे अवसर होते हैं, विशेष रूप से अधिक यातायात के समय जब कि यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है । सामान्यतः बसें बैठने और खड़े होने की निश्चित संख्या में ही यात्रियों को ले जाती हैं ।

श्री दे० जी० नायक : चूंकि सड़क दुर्घटनाओं का एक कारण सड़क सम्बन्धी समझबूझ की कमी है, सरकार जनता में सड़क सम्बन्धी समझबूझ के विकास के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह सत्य है । अब प्रमुख स्थानों पर संकेत लगाये गये हैं । बत्तियां भी लगाई जाती हैं । जहां भी पैदल चलने वालों के पार करने के मार्ग हैं वहां पर विशिष्ट बत्तियां और चिन्ह हैं । ये सब सुरक्षा उपाय किये गये हैं और इनका बहुत अच्छा परिणाम निकला है ।

Shri Ram Sewak Yadav: May I know whether efforts have been made to ascertain the number of accidents caused by the officers among the total number of accidents, if so, the percentage thereof and the extent to which intoxicants were relevant in those accidents?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैंने पहले बता दिया है कि मेरे पास ये ब्यौरे नहीं हैं । यदि आवश्यक हुआ तो मैं ब्यौरा इकट्ठा करके दे दूंगा ।

Shri Gulshan: In view of the fact that D.T.U. buses most often go out of order consequent upon which the passengers are stranded and they are put to a lot of inconvenience, may I know what percentage of D.T.U. buses go out of order daily and what arrangements have been made to repair them?

Mr. Speaker: It is not related to accidents.

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : चूंकि उच्चायोगों और विदेशी राजदूतावासों के बहुत से भारतीय चालक सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यदि अलग से इसकी सूचना दी जाये तो मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार पद्धति जांच आयोग

†153. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक स्थायी संविहित एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार पद्धति आयोग स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) आर्थिक शक्ति के अनुचित केन्द्रीयकरण को रोकने तथा अन्य मामलों के लिये आयोग को क्या अधिकार दिये गए हैं अथवा दिये जाने की संभावना है;

(ग) किसी उद्योग में छोटे एककों के विस्तार को प्रोत्साहन देने तथा इस प्रकार प्रतियोगी स्थिति उत्पन्न करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश भर में अथवा अन्तर्राज्योगी केन्द्रीयकरण पर किस प्रकार नियंत्रण किया जायेगा ?

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): (क) आयोग की स्थापना तथा विधान की पुरःस्थापना से पूर्व का प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है ।

(ख) आयोग को सौंपी जाने वाली शक्तियों के बारे में सरकार का मत 6 सितम्बर, 1966 को सभा पटल पर रखे गये दिनांक 5 सितम्बर, 1966 के संकल्प के पैरा 6 में दिया गया है ।

(ग) सम्पत्ति के अनुचित केन्द्रीयकरण को रोकने, छोटे पैमाने के क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का प्रोत्साहन, पहले ही सरकार की औद्योगिक नीति के घोषित उद्देश्य हैं । इन उद्देश्यों की प्राप्ति, सरकार को उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 द्वारा प्रदत्त लाइसेंस देने की शक्तियों के प्रयोग द्वारा की जाती है ।

(घ) इस बात का निर्देश पूर्वोक्त संकल्प के पैरा 6 में किया गया है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार ने एकाधिकार आयोग की सिफारिशों की जांच पर विचार कर लिया है और आवश्यक कदम उठा लिये हैं और यदि हां, तो सरकार इसके लिये एक स्थायी निकाय स्थापित करने पर क्यों विचार कर रही है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकार एक स्थाई आयोग स्थापित करने जा रही है और इस प्रयोजन के लिये यह इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि विधेयक को किस प्रकार बनाया जाय और विधेयक को तैयार करने के लिये कई अध्ययन किये जा रहे हैं क्योंकि यहां पर यह अपनी किस्म का पहला आयोग होगा ।

एक माननीय सदस्य : इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की शर्तें तैयार कर ली गई हैं और क्या उनको अपेक्षित लाभ मिल रहे हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जहां तक उद्योगों के वित्तपोषण का सम्बन्ध है यह एक ऐसा मामला है जो कि वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है। परन्तु मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि सरकार की नीति सरकार द्वारा नियन्त्रित या सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को हिदायतें जारी करने की है कि वे, जहां तक संभव हो लघु उद्योगों को सहायता दें।

Shri M. L. Dwivedi: The hon. Minister stated that spade work is being done preparatory to the setting up of a permanent commission. How many persons are engaged in this work, in how many days this work is likely to be completed and whether the introduction of the Bill is likely to take more time than the time taken by the Monopolies Commission in the presentation of the Report?

Shri G. S. Pathak: It will certainly take some months. It is necessary to be seen as to what items provided for in the Bill should be accepted and how this Bill compares with the similar legislation in other countries and efforts will be made to incorporate all the good points of the legislation in other countries. This Bill will be moulded to suit the atmosphere in our country because the conditions in other countries differ from those of ours.

श्री प्र० चं० बरुआ : लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि ऋण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किया जावे या उद्योगों की साख सम्बन्धी शर्तों में उदार बनाया जाये। अभी-अभी मनानीय मंत्री ने बताया कि यह वित्त मंत्री से सम्बन्धित है। क्या विधि मंत्रालय की सलाह के बिना वित्त मंत्रालय उद्योगों की साख की परिभाषा दे सकेगा ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकारी संकल्प का सभी मंत्रालयों द्वारा पालन किया जाता है। सरकारी संकल्प में सरकार की नीति स्पष्ट रूप से दी गयी है कि और मुझे विश्वास है कि नीति क्रियान्वित की जायेगी। जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की नीति लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की है और उसका ब्यौरा प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से दिया गया है।

आकाशवाणी से राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी प्रसारण

+

*155. **श्री दाजी :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बागड़ी :
श्री यशपालसिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सुरेन्द्रपालसिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी साधारण निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक दलों को आकाशवाणी से प्रसारण करने की सुविधायें देने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दाजी : क्या मैं खराब उत्तर और खराब परिणाम के कारण जान सकता हूं ? चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों के सम्मेलन के बाद भी समझौता क्यों नहीं हो पाया है ? मतों की संख्या के आधार पर समय दिये जाने पर कांग्रेस को क्या आपत्ति है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जब तक राजनीतिक दल इस प्रश्न पर सहमत नहीं होते और उनका समझौता चनाव आयोग द्वारा उसकी सिफारिशों सहित सरकार को नहीं भेज दिया जाता सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती है । अभी तक किसी भी चुनाव में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है यद्यपि ऐसा समझौता करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं । जब तक राजनीतिक दलों में समझौता नहीं हो जाता और चुनाव आयोग उसको स्वीकार नहीं कर लेता तब तक सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है ।

श्री दाजी : चुनाव आयोग और आकाशवाणी के साथ सभी राजनीतिक दलों के सम्मेलन में आकाशवाणी ऐसी सुविधाएं देने के लिये तैयार था जिस पर सहमति हो जाये । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि क्योंकि कांग्रेस प्राप्त किये गये मतों की संख्या के आधार पर रेडियो का समय लेने के लिये तैयार नहीं परन्तु इसको अधिक समय चाहिये इसलिये कोई समझौता नहीं हो सका ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं नहीं कह सकता कि सभी राजनीतिक दल किसी समझौते पर क्यों नहीं पहुंच सके । मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि कोई समझौता नहीं हो पाया है । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस दल के बारे में जो कुछ कहा गया है वह सच है या नहीं क्योंकि उस बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व आकाशवाणी के प्रमुख द्वारा किया गया था । राजनीतिक दल समझौते के लिये किस प्रकार बातचीत कर रहे थे..... (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye: Your Party, Congress Party.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं सरकार की ओर से उत्तर दे रहा हूं ; मैं राजनीतिक दलों की ओर से उत्तर नहीं दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपकी जानकारी में है कि बातचीत के असफल होने का कारण जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है कांग्रेस का रवया था ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं नहीं समझता इसका यह कारण है ?

श्री दाजी : तब क्या कारण था ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा प्रश्न कीजिये ।

श्री दाजी : सकार की जानकारी के अनुसार सर्वदलीय सम्मेलन में कोई समझौता न होने का क्या कारण था । क्या मंत्रिमहोदय को बैठक के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो उसमें क्या कारण दिया गया है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं सभा के सामने केवल इस तथ्य को रख सकता हूं कि वहां पर कोई समझौता नहीं हो पाया। किसी भी दल या दलों के आचरण के पीछे क्या कारण थे इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया था और क्या उसमें कोई कारण बताये गये थे कि समझौता क्यों नहीं हो सका ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक: जहां तक मुझे ज्ञात है चर्चा सम्बन्धी एक प्रतिवेदन आया था, परन्तु उस प्रतिवेदन से दलों के आचरण के पीछे क्या कारण थे इसका पता नहीं चलता।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जैसा कि लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई पुस्तिका से स्पष्ट है, क्या यह सच नहीं है कि प्रतिपक्ष में 14 दलों की वर्तमान व्यवस्था एक निश्चित नीति बनाने के रास्ते में बाधक है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : समझौते के रास्ते में कोई तो रुकावट है ही, परन्तु मैं नहीं कह सकता वह कौन है ; संभवत: ये प्रतिपक्षी दल ही होंगे।

Shri Ram Sewak Yadav: Is that internal power or an external power?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : कांग्रेस दल समझौते के मार्ग में बाधक नहीं बना है। यह मैं कह सकता हूं।

श्री रंगा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो स्वयं मंत्री के उत्तर से ही उत्पन्न होता है। पहले उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। अब वह कहते हैं कि कांग्रेस दल बाधक नहीं बना। यह दोनों बातें एक दूसरे से किस प्रकार मेल खाती हैं ? क्या वह बिधि मंत्री के रूप में या कांग्रेस दल के रवैये के समर्थक के रूप में संकोच पैदा कर रहे हैं ?

डा० रानेन सेन : अब उनको पीछे से उकसाया गया है।

श्री रंगा : उनके उत्तर असंतोषजनक हैं :

श्री त्यागी : दलों के अतिरिक्त अलग-अलग व्यक्ति भी होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं ; और उनकी भी आत्मा होती है ; यदि उनके कोई प्रबल भाव हैं तो क्या प्रसारण द्वारा मतदाताओं तक पहुंचने का उनको भी समान अवसर दिया जायेगा ? क्या सरकार ने स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी इस प्रकार के विशेषाधिकार देने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : पहला प्रश्न जो कि पूछा नहीं गया था उसका सम्बन्ध चुनाव प्रयोजनों हेतु आकाशवाणी के प्रयोग के लिये स्वतन्त्र उम्मीदवारों के दावों से था, परन्तु . . .

श्री रंगा : वे कांग्रेस द्वारा ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़े किये जायेंगे।

श्री त्यागी : माननीय मंत्री ने 'परन्तु' से अपना वाक्य आरम्भ किया था, परन्तु उन्होंने उसको पूरा नहीं किया है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : परन्तु स्वतन्त्र उम्मीदवारों को कहीं भी इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री त्यागी : यह सर्वथा अनुचित है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि समझौता न होने का कारण यह था कि कुछ राजनीतिक दल साम्प्रदायिक विचारधारा वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले बता दिया है कि वह नहीं जानते कि समझौता क्यों नहीं हो सका ।

Shri Ram Sewak Yadav: I would urge upon you, Sir, to get the correct and complete answers from the Minister. The hon. Minister has not given straight and clear cut reply to any of the questions put just now. May I know the views of the different political parties as stated in the report received by the hon. Minister?

Mr. Speaker: No, I cannot say that the views of all the political parties be stated here.

Shri Ram Sewak Yadav: Will you please ask the hon. Minister to lay the Report on the Table of the House?

Mr. Speaker: Is the hon. Minister prepared to lay the Report on the Table?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : बैठक में जो बात-चीत हुई है मैं उसका संक्षेप सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री कपूर सिंह : केवल संक्षेप ही क्यों, पूरा प्रतिवेदन क्यों नहीं ?

Shri Madhu Limaye: He has asked for the full Report.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मेरे पास जो है मैं केवल उसी को सभा पटल पर रख सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि सरकार को जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है क्या आप उसको सभा पटल पर रखने के लिये तैयार हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जी हां ।

Shri Vishwanath Pandey: The hon. Minister stated that since an accord could not be reached among the political parties, there is difficulty in extending the facility of using All India Radio for broadcasting purposes. May I know whether the Government have accepted it in principal that if an agreement is reached by the political parties, it will allow them to broadcast over All India Radio regarding elections?

Shri G. S. Pathak: It depends upon the parties reaching at an agreement. After that agreement has been conveyed to the Government by the Election Commission, the Government will see what time and resources it has got. Government will view the agreement in this light and then form an opinion.

Shri Yashpal Singh: In view of the fact that the Constitution has conferred equal rights on all the political parties, is it not the duty of the Government to give them time over the All India Radio irrespective of the fact that there is or is not an agreement among the parties?

Mr. Speaker: Where they will search for the duty?

श्रीमती रेणुका राय : मंत्री महोदय ने कहा कि यदि समझौता हो जाये तो सरकार इस पर विचार करेगी । क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर समय नहीं दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

Shri Prakash Vir Shastri: In view of the fact that the Constitution of India has given equal recognition to the candidates contesting elections, how far is it justified to create the differentiation of party and candidate in the eyes of the Election Commission? Have the Law Ministry considered the question of giving equal time to all for election propaganda?

Mr. Speaker: This is an argument.

श्री श्रीनारायण दास : क्या रानीतिक दलों के विचार के लिये चुनाव आयोग ने कोई विशेष सुझाव दिये हैं, यदि हां, तो क्या ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : चुनाव आयोग ने जो भी सुझाव दिये हैं, राजनीतिक दलों का बैठक में जो भी रवैया था और उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं ये सब बैठक में हुई बातचीत के सारांश में हैं जिसे मैं सभा पटल पर रखूंगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : प्रतिपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग के सामने क्या सुझाव दिये गये थे और समझौते के मार्ग में क्या रुकावटें थीं . . .

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह इसको सभा-पटल पर रख देंगे ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार मतदाता परिषद् को, जो कि एक पंजीकृत निकाय है, परिषद् की ओर से आकाशवाणी से प्रसारण करने के लिये वे ही सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं जो कि राजनीतिक दलों को दी जा रही हैं ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : उनका कहना है कि यह सुविधा केवल राजनीतिक दलों के लिये है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : यह आम जनता को सामान्य आचरण, प्रतिनिधित्व आदि के बारेमें शिक्षा देने के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उन निर्दलीय उम्मीदवारों को भी आकाशवाणी का प्रयोग करने की अनुमति दी जायेगी जो कि वामपन्थी दलों द्वारा खड़े किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने केवल निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में ही उत्तर दिया है । उन्होंने उनके बारे में उत्तर नहीं दिया है जिनको वामपन्थी दलों का समर्थन प्राप्त है ।

अध्यक्ष महोदय : वे सब के सब या तो निर्दलीय हैं या उनको दलों का समर्थन प्राप्त है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह असंवैधानिक है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा ।

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार देश में नियंत्रित प्रसारण क्षेत्र में अब वाणिज्यिक प्रसारण भी शुरू करने का विचार कर रही है । यदि वाणिज्यिक प्रसारण की सुविधाएं उन सभी फर्मों को प्राप्त होंगी जो अपनी वस्तुओं का विज्ञापन देना चाहते हैं तो क्या यह सुविधा उन सभी राज-

नीतिक दलों को उपलब्ध नहीं होगी जो इस प्रयोजन के लिये निर्धारित राशि का भुगतान करके इस माध्यम से अपनी विचारधाराओं का प्रचार करना चाहते हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : वाणिज्यिक विज्ञापनों का सम्बन्ध चुनावों से बिल्कुल भी नहीं है और इस प्रश्न का मेरे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कंडप्पन : इस प्रयोजन के लिये बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिये द्रविड़ मुनेत्र कषगम दल को नहीं बुलाया गया । किसी भी राजनीतिक दल को इसमें भाग लेने के लिये बुलाने का क्या आधार था ? क्या भविष्य में हमें इस प्रकार की बैठकों में बुलाया जायेगा ? इस बार हमें क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जहां तक मुझे मालूम है निर्वाचन आयोग ने केवल सात दलों को इस में भाग लेने के लिये बुलाया था और सात दलों के प्रतिनिधियों ने ही इस चर्चा में भाग लिया था। मैं यह नहीं बता सकता कि किस वजह से किसी दल विशेष को इसके लिये नहीं बुलाय गया ।

श्री कंडप्पन : हमारा दल मान्यता-प्राप्त दल है । इसीलिये मैंने यह प्रश्न किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह आपको निर्वाचन आयोग से पूछना चाहिए । अगला प्रश्न ।

Cultivation of Foodgrains

\+
*156. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri M. Malaichami:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the production of foodgrains is declining on account of farmers being more interested in the cultivation of cash crops which are more paying;

(b) if so, whether Government have considered in consultation with the State Governments as to how much cultivable land should be apportioned for growing foodgrains and how much for other agricultural commodities with a view to achieve self-sufficiency in foodgrains; and

(c) if so, the reaction of various State Governments thereto?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) No, Sir.

(b) There is no plan for apportionment of cultivable land for foodgrains and other crops. Production of both the foodgrains and cash crops is important for the country's economy and measures are being adopted for maximising production by the adoption of intensive methods and high yielding varieties.

(c) Does not arise.

Shri M. L. Dwivedi: May I know the area out of the area covered by the cultivation of foodgrains ten years ago where now cash crops are produced? If these figures are not with them, whether Government would try to collect them?

Shri Shyam Dhar Misra: I have got the figures. An area of 72.8 million acres was covered by non-food crops (cash-crops) during 1949-50 and by the end of 1963 it touched 95 million acres. The area covered by non-cash crops during 1949-50 was 248.7 million acres and it increased to 292.3 million acres by the end of 1963. There has been an inrcease of about 30 per cent and 15 per cent in the acreage of both crops respectively.

Shri M. L. Dwivedi: My question was different. I wanted to know the area which has gone under cash crops out of the area under foodgrains crops.

Shri Shyam Dhar Misra: I have already given the figures. There has been an increase in both types of crops which is considered essential for our economy.

Shri M. L. Dwivedi: What steps Government propose to take for not allowing cash crops to be produced on the land marked for foodgrains crops so that the production of foodgrains is increased.

Shri Shyam Dhar Misra: The point is that of production and not of the area. Unfortunately, the production of foodgrains as well as cash crops per acre is less in our country. The necessity is to increase the per acre yield of both types of crops. Government are trying to increase the per acre yield of both kinds of crops. The sugar-cane and oil-seeds which are considered to be cash crops are food crops also to some extent. Some sort of restriction has been imposed on sugar-cane production in Maharashtra where they have expressed their inability to supply sufficient water for irrigation. So this is not the case that restrictions are imposed.

श्री प्र० चं० बरुआ : अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये खेती की आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद्धत्ति अपनाने में सब से बड़ी बाधा यह है कि हमारे यहां खेत छोटे-छोटे हैं । क्या सरकार का विचार कुछ ऐसे कानून बनाने की है जिस से भविष्य में खेतों के और छोटे टुकड़े न किये जायें और छोटे-छोटे टुकड़ों को मिला कर एक बड़ा लाभदायक चक बनाया जा सके ?

श्री श्यामधर मिश्र : वास्तव में चकबन्दी की योजनायें हमने दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बनाई थीं । चौथी पंचवर्षीय योजना में भी वे जारी रहेंगी । लगभग सभी राज्यों में चकबन्दी का कार्य चल रहा है । अतः हमारी नीति यह है कि खेतों के बड़े-बड़े चक बनाये जायें ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि जूट जैसी फसल की खेती, जिनसे काफी विदेशी मुद्रा की आय होती है देश के पूर्वी भाग में होती है, और क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे इस प्रकार कीं फसलों का क्षेत्र भी कम कर दें ? यदि नहीं, तो पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में अभाव को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे यह प्रतीत नहीं होता कि जूट की खेती अब अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में की जाती है । वस्तुतः गत दस वर्षों में उस में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कभी कभी किसान लोग धान के खेतों में जूट बो देते हैं जिन से उन्हें लाभ होता है ।

परन्तु सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है कि एक फसल वाले खेत में दूसरी तरह की फसल नहीं उगाई जा सकती ।]

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Are Government aware that cultivators are reluctant to produce more foodgrains because of the fact that they do not receive the remunerative price for their produce? Is it not a fact that they get less price for their produce?

Shri Shyam Dhar Misra: It is true to some extent. It is being given due consideration. The Government have therefore, decided that the policy should be such as to give incentive price to cultivators.

Shri Ram Sewak Yadav: May I know whether Government are considering to provide free irrigation water to poor farmers and not to collect land-revenue from them in order to have increased agricultural production?

Shri Shyam Dhar Misra: So far as the provision of irrigation facilities to farmers is concerned, this facility has been extended to 35 million more acres of land during the last 15 years. Government do not consider it proper to provide irrigation water to them at cheaper rate or free of cost because the main problem is of providing water to them. At present the water is being supplied to irrigate 90 million acres of land through various minor medium and major irrigation projects which was being supplied to irrigate 55 million acres of land during the pre-Plan period. During Fourth Plan period 30 million more acres of land will be brought under irrigation.

Shri Ram Sewak Yadav: What about exemption of land-revenue?

Shri Shyam Dhar Misra: It is not the policy of the Government to give such exemption to farmers. It is not considered to be an obstacle in the way of cultivation.

M/s. Bird & Co.

+

***157. Shri Madhu Limaye:**
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Law be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 517 on the 18th August, 1966 and state:

(a) M/s. Bird & Co. and their associates had committed any violations of and offences against the Company Law;

(b) if so, whether any prosecution has been started against this firm and its associates; and

(c) the stage reached in this prosecution?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): (a) As stated by the Minister in the Ministry of Finance in reply to Starred Question No. 517, the concerned companies have preferred appeals against the original adjudication order. The appeals are still pending. Facts which would constitute violations of the provisions of the Companies Act are in dispute and under scrutiny in those pending appeals. Hence, on disposal of those appeals and the facts found therein, it would be possible to ascertain if the company and their associates have committed any violation of and offences against the Company Law and to determine further necessary action.

(b) and (c). Do not arise.

Shri Madhu Limaye: May I know whether the Government had not given an assurance of taking action against the firm for the violations of Income-tax Law and Company Law immediately after the receipt of adjudication order? If so, whether action is not being taken for the reason that the present Finance Minister had been the Director of this associate firm?

Mr. Speaker: Making such allegations every time is not proper.

श्री गो० ना० दीक्षित : मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य नियम 41(iii) का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं जिसका पाठ निम्न प्रकार है :

> "उस में प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानि कारक कथन नहीं होंगे"

आप उन से नियमों का ठीक तरह अध्ययन करने के लिए कहें ।

अध्यक्ष महोदय : अनेक बार सदस्यों को यह बताया जा चुका है कि पूरक प्रश्न पूछते समय किसी प्रकार के आक्षेप न लगाये जायें। उन्हें केवल तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ही प्रश्न करने चाहियें ।

Mr. Speaker: The hon. Minister should reply only first part of the question. He need not reply the second part.

Shri Madhu Limaye: I want to know whether the Government had given some such assurance and whether this assurance is not being fulfilled.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जहां तक समवाय कानून प्रशासन का सम्बन्ध है, न्याय-निर्णयादेश के विरुद्ध की गयी अपील के सम्बन्ध में राजस्व बोर्ड द्वारा अन्तिम निर्णय किये जाने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। अपील पर विचार करते समय यह देखा जायेगा कि क्या कम मूल्य के बीजक बनाये गये हैं। यदि उस अपील पर यह निर्णय किया जाता है कि कम मूल्य के बीजक नहीं बनाये गये तो समवाय कानून के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं नियम 376(2) के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उसके अधीन माननीय सदस्य कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते ?

Shri Madhu Limaye: I want to know whether the chairman of Revenue Board has been appointed as Additional Commerce Secretary in the Ministry of Commerce even before he resigned from his post, if so, is it not contrary to the prevailing convention and whether the appeal made by M/s. Bird & Co. against the adjudication order is, in any way, related to it? It is a matter of 15 millions of rupees.

Shri G. S. Pathak: This does not arise out of the question under consideration.

Mr. Speaker: Shri Daji.

श्री दाजी : मंत्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि बर्ड एन्ड कम्पनी ने समवाय विधि का उल्लंघन किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बर्ड एन्ड कम्पनी द्वारा समवाय विधि के उपबंधों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में क्या शिकायत की गयी है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

समवाय कानून के अधीन की जाने वाली कार्यवाही का कम मूल्य के अथवा अधिक मूल्य के बीजक बनाने से क्या सम्बन्ध है ? वह तो सीमा-शुल्क कानून का विषय है । समवाय विधि के अधीन की जाने वाली कार्यवाही को तब तक क्यों स्थगित किया जाये जब तक सीमा-शुल्क विधि के अधीन अपीलों पर अन्तिम निर्णय न हो जाय ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यदि कम मूल्य के बीजक बनाये गये हैं तो खातों में गलत हिसाब दिखाया जायेगा और लाभ और हानि खाता तथा संतुलन-पत्र गलत होंगे । समवाय विधि प्रशासन का सम्बन्ध हिसाब-खाते, संतुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते के ठीक होने से होता है । यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामला कम मूल्य के बीजक बनाने का है अथवा नहीं । यदि कम मूल्य के बीजक बनाये जाने का मामला न होगा तो लेखा-जोखा भी ठीक ही होगा ।

श्री दाजी : लेखा सम्बन्धी शिकायतों के अतिरिक्त समवाय विधि के अधीन भी कुछ शिकायतें की गयी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आकाशवाणी से निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी प्रसारण

*154. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे साधारण निर्वाचनों के समय निर्दलीय उम्मीदवारों को आकाशवाणी से प्रसारण करने दिया जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी नहीं ।

(ख) मुख्य कारण ये हैं :—

(i) पहला, अलग-अलग अभ्यर्थियों को प्रसारण सुविधायें देना इस बात को ध्यान में रखते हुए साध्य नहीं है कि इस प्रयोजन के लिए जो समय उपलब्ध हो सकेगा वह अत्यधिक सीमित है ;

(ii) दूसरा, साधारण निर्वाचनों के अवसर पर इन प्रसारणों का उद्देश्य जनता को संगठित राजनीतिक पार्टियों के लक्ष्यों, उद्देश्यों, नीति-घोषणाओं तथा कार्यक्रमों से परिचित होने के अवसर प्रदान करना है, न कि अलग-अलग अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रचारार्थ अतिरिक्त प्लेटफार्म का उपबन्ध करना ।

खाद्यान्नों का समाहार

*158. **डा० रानेन सेन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों, विशेषकर चावल के समाहार का काम निर्धारित लक्ष्यों से पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र तथा राज्यों ने इस वर्ष में अब तक कुल कितने चावल का समाहार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख). कई राज्यों में समाहार के विशिष्ठ लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे और कुछ राज्यों में ये चालू वर्ष में होने वाले उत्पादन के पुष्ट प्राक्कलन उपलब्ध होने से पहले निर्धारित किये गये थे। 1965–66 की फसल के वर्ष में उत्पादन में हुई काफी कमी को ध्यान में रखते हुए समूचे रुप से समाहार में हुई प्रगति को कम नहीं समझा जा सकता।

(ग) लगभग 30 लाख मीट्रिक टन ।

कलकत्ता पत्तन में चोरियां

159. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन से प्रति वर्ष चोरी होने वाले माल की मात्रा तथा मूल्य दूसरे किसी बड़े पत्तन से चोरी होने वाले माल की मात्रा तथा मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता में इस बड़े पैमाने पर चोरी होने और पत्तन अधिकारियों के उन्हें कम करने में असमर्थ रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों को चुराए गये माल की मात्रा और मूल्य का हिसाब लगाना संभव नहीं हो सका है। फिर भी छोटी छोटी चोरियों की मात्रा कलकत्ता पत्तन पर काफी रही है ।

(ख) कलकत्ता पत्तन का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और कार्यकर्ता तथा अन्य व्यक्ति विभिन्न प्रयोजन से यहां आते हैं। इसके अलावा कलकत्ता में बड़ा नदी आंचल है । विभिन्न घाटों पर लादने और उतारने वाले जहाजों की संख्या बहुत बड़ी है । विभिन्न समस्याओं के कारण माल की निकासी रुक जाती है, जैसे आयात नियंत्रण औपचारिकताएं, सीमा शुल्क आवश्यकताएं और अन्य कठिनाइयां जो प्रत्येक आयातकर्ता को होती है । कलकत्ता पत्तन में यह भी होता है कि शहर में आपातकालीन परिस्थितियों के कारण पुलिसदल बहुधा हटा लिया जाता है । ऐसी परिस्थितियों का संकोचरहित व्यक्ति लाभ उठाते हैं। ये माल के चोर बाजारी में, और विशेषकर जो वस्तुएं बाजार में आसानी से नहीं मिलती हैं, उच्च मुनाफाखोरी से सफलता प्राप्त करते हैं ।

(ग) इस समस्या के लिए कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों ने हाल के वर्षों में कई कार्यवाहियां की हैं। पत्तन क्षेत्र में ट्रांजिट शेडों, मालगोदामें और अन्य भवनों में जिनमें माल जमा किया जाता है, पुलिस का पहरा रहता है और पत्तन कमिश्नरों का वाच एंड वार्ड कर्मचारी भी पहरा देते हैं। उन्होंने डाकों में माल के लिए परमिट व्यवस्था लागू की है । परिसीमा दीवारों की ऊंचा बढ़ा दी गई है, डाक क्षेत्र में रोशनी का सुधार किया गया है और अचानक जांच करने के लिए

चल स्क्वैड शुरू कर दिए हैं। जो दोषी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है । कमिश्नर सुरक्षा के प्रबन्ध का निरंतर पुनर्विलोकन करते रहते हैं और उन में और सख्ती करते रहते हैं ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात

*160. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री यशपालसिंह :**
श्री फिरोडिया : **श्री हेमराज :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में अमरीका से पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खाद्यान्नों का कितना आयात हुआ है ;

(ख) इस करार के अन्तर्गत भारत को अमरीका से खाद्यान्नों की सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच हाल ही में कोई दीर्घ-कालीन पी० एल० 480 करार हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख). समय समय पर संशोधित किये गये सितम्बर, 1964 के पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से खाद्यान्नों की सप्लाई जारी है । पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत वर्ष 1966 के लिये उपलब्ध की गई निधियों से लगभग 61.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं और लगभग 13.8 लाख मीट्रिक टन माइलो/चारा लाया जा सकेगा । लगभग 54.4 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा लगभग 13.8 लाख मीट्रिक टन माइलो पहले ही अक्तूबर, 1966 के अन्त तक प्राप्त हो चुका है ।

(ग) जी, नहीं ।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर

161. **डा० कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर द्वारा रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए किये गये प्रयोगों में कुछ सफलता मिली है ;

(ख) क्या निष्कर्ष इतने सामान्य हैं कि उन्हें दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू किया जा सकता है; और

(ग) किन किन स्थानों पर उन निष्कर्षों को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : **(क)** केन्द्रीय मरुभूमि अनुसन्धान संस्थान ने अपने परीक्षणों द्वारा मरु क्षेत्रों के फैलाव को रोकने तथा रेत के टीलों के स्थायीकरण के लिए कई तकनीकों का विकास किया है । ये तकनीकें निम्न

प्रकार हैं :—(1) रेत के परिवर्तनशील टीलों पर वृक्ष लगाना, (2) ऊष्मसह स्थलों पर शीघ्र उगने वाली किस्मों के पौधे लगाना, (3) मार्ग-एवं-आश्रय-पट्टियों की स्थापना करना, (4) प्राकृतिक चारागाहों में दोबारा बुवाई करना, (5) उन्नत संरक्षण कृषि पद्धतियां तैयार करना। इन उपायों के अपनाने से हवा द्वारा होने वाला भूमि कटाव रुकता है और अनेक ऐसे टीलों पर इस समय हरे भरे वन लहरा रहे हैं जिनसे कई कस्बों व गांवों को खतरा उत्पन्न हो गया था।

(ख) प्राप्त हुए परिणाम ट्रापिकल शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

(ग) संस्थान ने 8 स्थानों की 2080 एकड़ भूमि में बड़े स्तर पर वनारोपण करने का कार्य शुरू किया है। ऐसे स्थान बीकानेर, बड़मेर, झुनझुन तथा चुरू ज़िलों में हैं तथा वहां वर्ष में 200 से 450 सेन्टी मीटर तक वर्षा होती है।

फसल ऋण प्रणाली

*162. **श्री सुरेन्द्रपालसिंह :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हू० चा० लिंग रेड्डी : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फसल ऋण प्रणाली आरम्भ करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) जिन क्षेत्रों में इस योजना का परीक्षण किया गया है वहां खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में यह कहां तक सहायक सिद्ध हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामवर मिश्र) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7249/66**]

(ख) फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत उधार का सम्बन्ध उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं से सम्बन्धित है और इसलिये इस से भी खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। तथापि केवल इसके आधार पर उत्पादन में हुई वृद्धि का कोई क्रमबद्ध मूल्यांकन नहीं किया गया है।

सहकारी कृषि सम्बन्धी ऋण

*163. **श्री श्रीनारायण दास:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक दिया जा रहा सहकारी कृषि सम्बन्धी ऋण अधिकतर गांवों के धनी तथा प्रभावशाली लोगों को ही मिला है ;

(ख) क्या केवल आस्तियों के आधार पर ही ऋण देने के बजाय ऋण लेने वाले व्यक्ति की उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं, भूमि तथा ऋण लौटाने की क्षमता पर देने के प्रस्ताव को कार्य रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र): यह कहना सही नहीं है कि सहकारी कृषि सम्बन्धी ऋण की सुविधाओं से केवल धनी कृषकों को ही लाभ हुआ है। वास्तव में, सहकारी समितियों से प्रति एकड़ कृष्ट भूमि के आधार पर अधिक आस्तियों वाले वर्ग की बजाये कम आस्तियों वाले वर्ग द्वारा लिया गया ऋण अधिक है।

(ख) और (ग). फसल ऋण प्रणाली की; जो उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं और किसानों को ऋण लौटाने की क्षमता पर आधारित है क्रियान्विति में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7250/66]

भारतीय नौवहन निगम के लिये जहाज

164. **श्री ब० कु० दास :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा अब तक कुल कितने जहाजों के लिये क्रयादेश दिये गये हैं परन्तु अभी तक कितने जहाज प्राप्त नहीं हुए हैं ;

(ख) इन जहाजों की कुल कितनी लागत होगी तथा उसकी कितनी प्रतिशत राशि का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होगा ; और

(ग) लागत पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) 13 जहाज जिनमें से नौ की सप्लाई हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम द्वारा और चार की यूगोस्लाविया द्वारा की जायेगी।

(ख) 20.71 करोड़ रुपये जिसमें से लगभग 40 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में पूर्व अवमूल्यन दर के अनुसार दिये जायेंगे ।

(ग) अवमूल्यन के परिणामस्वरूप लागत के समंजन के व्यौरों पर निगम और हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। यूगोस्लाविया से जो जहाज मंगाये गये हैं उनकी लागत अवमूल्यन के कारण 57.5 प्रतिशत बढ़ जायेगी।

नाशक कीड़ों से बर्बादी

*165. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय नाशक-कीट नियंत्रण संस्था के प्रधान के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि हमारे खाद्य उत्पादन में से कम से कम 20 प्रतिशत अनाज उगने

और कटाई के दौरान तथा 10 प्रतिशत या इससे भी अधिक अनाज गोदामों में नाशक-कीड़ों के कारण नष्ट होता है और इस प्रकार प्रति वर्ष कुल हानि 1000 करोड़ रुपये की होती है ;

(ख) क्या नाशक कीड़ों से होने वाली बर्बादी को रोकने और उसे समाप्त करने के लिये सब प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख). जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर के लिये लोकसभा में प्रतिनिधित्व

*166. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **विधि** मंत्री 9 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 335 तथा उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये अर्थात् लोक सभा में वहां के लिये दो स्थान दिये जायें और उस क्षेत्र के स्वतंत्र होने तक उन स्थानों को खाली रखा जाये जैसा कि राज्य विधान सभा के मामले में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर में विधिवत् पंजीकृत मतदाता शेष भारत संघ में किसी भी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक-सभा के लिए निर्वाचन लड़ने के पात्र होंगे और क्या उसी प्रकार भारत में पंजीकृत मतदाता जम्मू तथा काश्मीर में निर्वाचन लड़ने के पात्र होंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) तथा (ख). जी हां । किन्तु संविधान (जम्म-कश्मीर पर लागू होना) संशोधन आदेश 1966 (सं० आ० 75) में जो कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के अधीन 29 जून, 1966 को निकाला गया था, इस भाव का अभिव्यक्त उपबन्ध होने के कारण कि जम्मू काश्मीर राज्य को जिन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा उनमें वह क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा जो पाकिस्तान के कब्जे में है इस सुझाव को प्रभावी रूप देना सम्भव नहीं हो सका है ।

(ग) जी हां । इस प्रयोजन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 के खण्ड 18 द्वारा संशोधित किया जाना प्रस्थापित हैं जो कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट दे दी जाने के पश्चात् अब संसद् के समक्ष लम्बित है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कानूनी राशन व्यवस्था

*167. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में कानूनी राशन व्यवस्था लागू करने सम्बन्धी निर्णय को अभी तक पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस निर्णय को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सभी नगरीय केन्द्रों में राशन व्यवस्था का विस्तार करने के लिये पर्याप्त मात्रा में अनाज न केवल वर्तमान उपभोग के लिये परन्तु रक्षित भंडारों के लिये इकट्ठा करना पड़ेगा। पर्याप्त अनाज इकट्ठा हो जाने के पश्चात् ही राशन व्यवस्था के विस्तार का निर्णय किया जा सकता है ।

सरकार की नीति राशन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त अनाज की उपलब्धता के अनुरूप कानूनी राशन व्यवस्था का विस्तार एक क्रमबद्ध तरीके से करने का है। बंगलौर और अहमदाबाद के अतिरिक्त 10 लाख की और इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में कानूनी राशन व्यवस्था पहले ही लागू कर दी गई है। एक और तीन लाख के बीच जनसंख्या वाले नगरीय केन्द्रों में राशन व्यवस्था का विस्तार करने के प्रश्न पर विचार करने से पहले तीन और दस लाख जनसंख्या वाले नगरों में राशन व्यवस्था लागू करने के दूसरे प्रकरण को हाथ में लिया जाना है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में राशन व्यवस्था उस राज्य सरकार की सलाह और पर्याप्त स्टाकों को ध्यान में रख कर की जाती है ।

चावल मिलों को नियन्त्रण में लेना

*168. **श्री यशपालसिंह**: क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चावल मिलों को नियंत्रण में लेने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): देश में विद्यमान सभी चावल मिलों को अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि सरकार ने नई चावल मिलों की स्थापना करने में सहकारी समितियों तथा भारतीय खाद्य निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिमान देने का निर्णय किया है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम्

169. श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड की उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष चार के स्थान में छः जहाज बनाने की दृष्टि से वृद्धि करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना पर किये जाने वाले व्यय का अनुमान क्या है और उसमें विदेशी मुद्रा का अंश क्या होगा ; और

(ग) क्या इस विस्तार योजना को कार्यान्वित करने के लिये किसी विदेशी संगठन से तकनीकी सहायता की मांग की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

Price of Sugarcane

*170. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Members of Parliament and other persons concerned have recommended the increase in the price of sugarcane apart from the Joint Sugar Board of Bihar and U.P.;

(b) if so, whether it is also a fact that along with the increase in prices of all other articles the production cost of sugarcane has also risen sufficiently; and

(c) if so, the extent to which Government propose to increase the price?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Available data is being scrutinised.

(c) The matter is under consideration.

Representation from Ration Retailers in Delhi

*171. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Maheswar Naik:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ration retailers in Delhi have requested Government to increase their margin of profit; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

कृषि प्रधान शिक्षा

172. **श्री लीलाधर कटकी :** **डा० रानेन सेन :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री रा० बरुआ :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि का आधुनिक तथा प्रौद्योगिकीय आधार पर विकास करने के हेतु शिक्षा को कृषि प्रधान बनाने की आवश्यकता अनुभव की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षा आयोग ने इस मामले पर विचार किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए इस समय प्रश्न नहीं होता।

Strike by Pilots of Bombay Port Trust

*173. **Shri Bade:** **Shri Nath Pai:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Hem Barua:**
Shri S. M. Banerjee: **Shri Surendranath Dwivedy:**
Shri Onkar Lal Berwa: **Shri Hari Vishnu Kamath:**
Shri Surendra Pal Singh: **Shri D. C. Sharma:**

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pilots of Bombay Port Trust had gone on strike for an indefinite period in September, 1966;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in the matter?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) The pilots, the Dock Masters and the Berthing Masters at the Port of Bombay went on strike from the midnight of 28th September, 1966. The strike was called off at 13.30 hours on the 1st October, 1966.

(b) The officers in question had objected to the Bombay Port Trust's decision to hold a disciplinary enquiry against one of the pilots for alleged breach of the Port Trust Conduct Rules.

(c) The need for the Government of India to take any action did not arise as a settlement was reached between the Port Trust and the striking officers as a result of local negotiations.

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

174. श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11/12 मई, 1966 को भाग निकलने के पश्चात् डा० धर्म तेजा पुनः भारत आये;

(ख) क्या वह ओबराय इन्टरकान्टीनेंटल होटल, दिल्ली में कई दिनों तक ठहरे और सरकारी अभिकरणों ने इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को दी ;

(ग) क्या उन्होंने होटल में कई महत्वपूर्ण लोगों का, जिनमें उनके मन्त्रालय के अधिकारी शामिल हैं, अतिथि-सत्कार किया ;

(घ) क्या उन्होंने सरकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई बातचीत की;

(ङ) क्या बातचीत विफल रही और महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों ने उन्हें सरकार द्वारा जयन्ती कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने से पूर्व, देश छोड़ देने की सलाह दी; और

(च) यदि नहीं, तो उन्हें गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (च) डा० तेजा 26 मई, 1966 को फिर भारत आये थे और 3 जून, 1966 की रात तक ठहरे रहे। भारत में वे कुछ प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के सिलसिले में आये थे जो उन्होंने जयन्ती शिपिंग कम्पनी के बारे में सरकार से किये थे। इस अवसर पर डा० तेजा होटल इण्टरकान्टीनेन्टल में ठहरे थे। डा० तेजा अपने रहने के दौरान किन किन लोगों से मिले इसका ब्यौरा सरकार के पास नहीं है मगर यह निश्चित है कि इस मन्त्रालय के किसी अधिकारी की भेंट-मुलाकात डा० तेजा से नहीं हुई। डा० तेजा के प्रस्तावों की परीक्षा की जा रही थी जबकि वे 3 जून, 1966 की रात को देश से बाहर चले गये। डा० तेजा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि इस अवस्था में इस कार्य के औचित्य के लिये उनके विरुद्ध पर्याप्त मसाला नहीं था।

पालम हवाई अड्डे पर हुई कैरावेल विमान की दुर्घटना की जांच

*176. श्री बसुनतारो : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 फरवरी, 1966 को प्रातःकाल पालम हवाई अड्डे पर हुई कैरावेल विमान दुर्घटना की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) दुर्घटना के कारणों की जांच करने वाली जांच अदालत की सार्वजनिक बैठकें 7 अक्तूबर, 1966 को समाप्त हो गयीं। लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक भारत सरकार को नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खाद्य तथा कृषि संगठन का प्रतिवेदन

178. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्य तथा कृषि संगठन के 1965–66 के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के भारत के खाद्य उत्पादन सम्बन्धी सरकारी आंकड़ों में किस हद तक समानता है और प्रतिवेदन में दिये गये खाद्य उत्पादन की कमी के कारणों से सरकार कहां तक सहमत है; और

(ग) गत वर्ष भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन क्या था और उसी समय के विश्व के आंकड़ों की तुलना में वह कैसा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट में 1965–66 के बारे में दिया गया 750 लाख मीटरी टन का अनुमान पूर्वानुमानों के आधार पर तैयार किया गया था। पश्चात् में 1965–66 के विषय में तैयार किये गये अन्तिम अनुमानों के अनुसार उत्पादन 723 लाख मीटरी टन था। सरकार खाद्यान्नों की गिरावट के विषय में खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट में दिये गये कारणों से सहमत है।

(ग) 1965–66 में भारत में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन का अनुमान 12.4 औंस प्रति दिन है (128.3 किलो प्रति वर्ष) अन्य देशों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चम्बल कन्दरा-भूमि को कृषि योग्य बनाना

179. **श्री पाराशर** :
श्री हरिविष्णु कामत :
श्री वाडीवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल कन्दरा-भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक संयुक्त कन्दरा-भूमि कृष्यकरण बोर्ड स्थापित करने की व्यवहारिकता के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस संयुक्त कन्दरा-भूमि कृष्यकरण बोर्ड को अपने कार्यक्रमों को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए शक्तियां तथा धन देने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) एक केन्द्रीय कन्दरा-भूमि कृष्यकरण बोर्ड की स्थापना करने के लिये प्रारूप प्रस्ताव सम्बन्धित

राज्य सरकारों अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के पास उनकी सहमति के लिये भेज दिये गये हैं। दो राज्यों से टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी, नहीं। प्रस्ताव किया गया है कि केन्द्रीय कन्दरा भूमि कृष्यकरण बोर्ड आरम्भ में कन्दरा भूमि कृष्यकरण के लिये एकीकृत योजनायें बनाने और प्राथमिकतायें निश्चित करने तथा कार्य की निगरानी करने वाला समन्वय निकाय होगा। केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को अभी धन की व्यवस्था अपनी अपनी योजनाओं के आय व्ययकों में से करनी होगी। राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में कन्दरा-भूमि कृष्यकरण परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा। प्रस्तावित बोर्ड में केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्यों के विभिन्न राज्य क्षेत्रों में कन्दरा भूमि फैली हुई है। एक निष्पादन बोर्ड, जिसको अपने कार्यक्रमों का निष्पादन करने की शक्तियां प्राप्त हों, कृषि योग्य बनाने वाली भूमि पर पूरा नियन्त्रण रखना होगा। राज्य और केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी का प्रश्न तो केवल कार्यक्रम के निष्पादन करते समय उठेगा। ऐसे प्रबन्ध से बहुत अधिक धन लगाना पड़ेगा और तुरन्त लाभ होने की भी कम सम्भावना रहेगी।

वर्तमान वित्तीय कठिनाई के संदर्भ में कार्यकारी शक्तियों वाले एक अन्तर्राज्यीय बोर्ड की स्थापना के लिये इतना अधिक धन जुटाना सम्भव नहीं होगा।

अतः यह विचार किया जाता है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीतियां निश्चित करने और सम्बन्धित राज्यों के बीच समन्वय करने के लिये एक बोर्ड को स्थापित करना एक अधिक वास्तविक ढंग होगा।

पटसन का उत्पादन

180. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पटसन का उत्पादन कारखानों की आवश्यकता से बहुत कम होगा ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी होगी तथा इसे कैसे पूरा किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). अभी तक चालू वर्ष के विषय में पटसन तथा मेस्ता के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार कच्चे पटसन/मेस्ता का उत्पादन 70.00 लाख गांठ होने की सम्भावना है। अनुमान है कि 1965 के उत्पादन तथा निर्यात स्तर को बनाये रखने के लिए 17.00 लाख गांठें कच्चा पटसन/मेस्ता तथा कलमों का आयात करना पड़ेगा।

एरणाकुलम-कुन्नमकुलम सड़क

766. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री 2 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 909 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम और कुन्नमकुलम को मिलाने वाली नई तटवर्ती सड़क के निर्माण के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या इस कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). राज्य मुख्य इंजीनियर ने सूचित किया है कि इरनाकुलम और कुन्नमकुलम को जोड़ने वाली प्रस्तावित तटीय सड़क चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकार के प्रस्तावों में शामिल कर ली गई है। धन के उपलब्ध होने की दशा में इस सड़क का निर्माण 1967–68 में शुरू किए जाने की आशा है।

गहरे समुद्र तथा तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने संबंधी संगठन

767. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 2 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र तथा तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी संगठन के चल कर्मचारियों (फ्लोटिंग स्टाफ) के वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या उनकी सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियमों को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) तथा (ख) जी नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) गहरे समुद्र तथा तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी संगठन के चल कर्मचारियों की सेवा की शर्तें आमतौर पर वही हैं जो उसी वर्ग के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये हैं।

नारियल के रोग

768. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नारियल में रोग फैल रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन रोगों से कुल कितनी एकड़ भूमि ग्रस्त है तथा नारियल के कितने पेड़ों में यह रोग लगे हैं ; और

(ग) नारियल के रोगों को रोकने तथा उनके उन्मूलन के लिए सघन अनुसन्धान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग). केरल सरकार तथा केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थानों आदि से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मत्स्य परिवहन

769. **श्री इम्बीचिबावा**: क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में सरकार ने मत्स्य परिवहन के लिए क्या सुविधायें दे रखी हैं ताकि मछलियों को तट से भीतर राज्य में तथा साथ लगते राज्य, मैसूर, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में ले जाया जाये;

(ख) भारतीय रेलों द्वारा केरल के स्टेशनों से राज्य के बाहर भेजी जाने वाली ताजी मछली की मात्रा का वार्षिक अनुमान क्या है; और

(ग) केरल के तट के वातानुकूलित डिब्बों में मत्स्य परिवहन के लिए अब तक क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ग) मछलियों को तट के भीतर राज्य में तथा मैसूर व मद्रास के साथ लगते प्रदेश में मछली परिवहन की सुविधाओं के लिए सप्ताह में 2 बार 15 टन की क्षमता का एक ठण्डा रेल डिब्बा कालीकट से मद्रास तक चलाया जाता है । साधारण डिब्बों के द्वारा भी मछलियों का परिवहन किया जाता है ।

(ख) 1965–66 की अवधि में रेल के ठण्डे डिब्बों द्वारा राज्य से बाहर 4,000 क्विन्टल मछलियां भेजी गईं । इसी अवधि में साधारण डिब्बों द्वारा राज्य से बाहर 20,000 क्विन्टल मछलियां भेजी गईं ।

मछली पकड़ने के लिये यांत्रिक नौकायें

770. **श्री इम्बीचिबावा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यान्त्रिक नौकाओं की सहायता से केरल तट के साथ लगते अरब सागर के किस क्षेत्र का नियमित रूप से मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) जिन क्षेत्रों में देशीय बिना मशीन वाली नौकाओं का प्रयोग होता है क्या यान्त्रिक नौकाओं के प्रयोग के कारण वहां के तथा पूरे समुद्र तट के बिना मशीन वाली देशी नौकाओं का प्रयोग करने वाले मछुवों में चिन्ता फैल रही है ;

(ग) क्या सरकार यान्त्रिक और गैर-यान्त्रिक नौकाओं के प्रयोग के क्षेत्र अलग-अलग करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(घ) क्या केरल की राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने इन यान्त्रिक अथवा गैर-यान्त्रिक नौकाओं से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) केरल के तट के समीप के जिस क्षेत्र का मछली पकड़ने की यांत्रिक नौकाओं का नियमति रूप से उपयोग किया जा रहा है वह तट से 25 फैदम तक है ।

(ख) शुरू में यांत्रिक नाव के इस्तेमाल से स्थानीय मछियारों में चिन्ता फैल गई थी। किन्तु यह अधिक से अधिक अनुभव किया जा रहा है कि यांत्रिक नौकाओं के चलने से उनके हाथ से पकड़ने के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) हमने 7 मील क्षेत्र से अधिक में बड़ी नौका चलाने की सलाह दी है और केरल राज्य ने 12 फैदम से अधिक क्षेत्र में 36' की नौका चलाने की सलाह दी है। स्थिति पर ध्यान रक्खा जा रहा है।

(घ) तथा (ङ) केरल राज्य द्वारा की गई जांच पड़ताल से मालूम हुआ है कि यान्त्रिक नौकाओं का गैर-यांत्रिक नौकाओं की पकड़ पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

केरल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड

771. **श्री इम्बीचिबावा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में हाल ही में जो फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी, उसका प्रथम अक्तूबर, 1966 तक का व्यय क्या था;

(ख) वेतन भोगी निदेशकों के नाम उनके वेतन-क्रम तथा यदि कोई हो तो उनका विशेष भत्ता क्या है ;

(ग) क्या केरल सरकार ने सभी निदेशकों को मनोनीत किया है ; यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार को निगम की ओर से संस्था के ज्ञापन पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) निगम को सौंपी गई संस्था, उपकरण, मशीनरी, गाड़ियां आदि स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट की सम्पत्ति पर पहली अक्तूबर, 1966 तक 77,35,142 रुपये है और 5,00,000 रुपये वर्किंग कैपीटल लोन के रूप में निगम को दिया।

(ख) श्री के० गोपीनाथ पिलाई, मैनेजिंग डायरैक्टर ही निगम के वेतन भोगी निदेशक हैं उनका वेतन क्रम 1300-1700 रुपये है और कोई विशेष भत्ता उनको नहीं दिया जा रहा है। फिर भी निगम ने उन्हें वेतन के 10 प्रतिशत किराए पर एनार्कुलम में निवास स्थान दिया हुआ है।

(ग) जी हां। केरल के राज्यपाल ने निगम के सभी निदेशकों को नियुक्त किया है। उनके नाम और भत्ते निम्नलिखित हैं :—

अधिकारी :

(1) श्री के० के० रमन कुट्टी (अध्यक्ष)—कमिश्नर फार एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एण्ड रूरल डवैलपमेन्ट, गवर्नमैंट आफ केरल, त्रिवेन्द्रम।

(2) श्री आर० गोपालास्वामी, केरल सरकार के वित्त सचिव., त्रिवेन्द्रम ।

(3) डा० वी० वैंकटानारायणन, वाणिज्य तथा उद्योग के निदेशक, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।

(4) श्री के० गोपीनाथ चिलाई, मैनेजिंग डायरैक्टर, दी केरल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड, पी० बी० नं० 115, एनार्कुलम-1 ।

(5) श्री एम० देवीदास मेनन, फिशरीज के निदेशक, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।

गैर-सरकारी :

(6) श्री आर० राघवन नायर, कोचीन कम्पनी, एर्नाकुलम ।

(7) श्री एन० जे० चक्को, दी केरल फूड पैकरज़, पी० बी० नं0 66, एलीपे ।

(घ) जी हां ।

(ङ) वोट बिल्डिंग यार्ड तथा वर्कशाप, डवलैपमेन्टस एण्ड कोल्ड स्टोरेजिज, फ्रीजिंग प्लान्ट, फिश मील प्लान्ट, फिशिंग वोटस खरीदना, केरल सरकार की और केरल राज्य मत्स्य विभाग द्वारा चलाई गई संस्था को सम्भालना और बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम तथा अधिनियमों के अनुसार कार्य करना और उन अनुबन्धों को अपनाना जिनको बोर्ड उचित मानेगा ।

2. स्टोर बनाना, वितरण करना, बेचना, विनियम, प्रत्येक किस्म की मछली पकड़ने की नौकाओं में सुधार करना ।

3. मछली पकड़ने वाली नौकाओं तथा इंजनों की मरम्मत कार्य को चलाना, यांत्रिक इन्जीनियर, मशीनरी और सब प्रकार के औजार निर्माता, ब्रास फाउन्डर्स, धातु कार्यकर्ता, वायलर मेकर्स, स्टील एण्ड आइरन कन्वर्टरस, लुहार, बढ़ई, आरा चलाने वाला, पेन्टर्स, इलैक्ट्रिकल इंजीनियर्स आदि कार्य को चलाना ।

4. बनाना, स्टाक करना, बेचना और मछली पकड़ने, प्रक्रिया और अन्य कार्यों के लिए बर्फ इस्तेमाल करना ।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणालों का विकल्प

772. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के अन्य विकल्प क्या है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरमन) : समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई भी समवाय प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के अलावा निम्नलिखित किसी भी रूप को अपना सकता है :—

(एक) प्रबन्ध अभिकर्ता अथवा प्रबन्ध निदेशक आदि को नियुक्त किये बिना प्रत्यक्ष रूप से निदेशकों के बोर्ड द्वारा

(दो) निदेशकों के बोर्ड का समूचे रूप से नियंत्रण होते हुए—

(क) एक अथवा अधिक प्रबन्ध निदेशकों द्वारा (इस शब्द में पूर्णाकालिक निदेशक, प्रभारी निदेशक, निदेशकों की समिति आदि भी शामिल है)

(ख) एक प्रबन्धक द्वारा, अथवा।

(ग) सचिवों तथा कोषाध्यक्षों द्वारा।

केरल में पोटास खाद की उपलब्धि

773. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकासतथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल राज्य में पोटाश खाद बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस खाद का पर्याप्त मात्रा में सम्भरण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) जी हां, वर्तमान समय में कुछ कमी है। फिर भी 1966–67 में उपलब्धि गत वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक होगी। 92,115.00 टोन्ज की उपलब्धि में से अभी तक 13,958 टोन्ज 1–4–1966 से 31–10–1966 के दौरान केरल राज्य में वितरित किए गए। मौजूदा ठेकों से और विभिन्न स्रोतों से 68,000 टोन्ज पोटाश की क्लोराइड अतिरिक्त मात्रा में आयात करके केरल और देश के अन्य भागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन

774. **श्री वै० तेवर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन से संबंधित राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तिथि और पंचाट कार्यवाही की वास्तविक तिथि के बीच 5 से 10 वर्ष का विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अवधि के दौरान कृषि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण भूमि का बाजार भाव काफी बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन करना चाहती है ताकि राजपत्रित अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को प्रचलित दर पर भुगतान करने की बजाय जैसा कि अधिनियम में दिया गया है पंचाट के समय प्रचलित दर पर मुआवजा दिया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) यह ठीक है कि कई मामलों में धारा 4(1) के अधीन भूमि अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि तथा पंचाट की कार्यवाही के पूरा होने तक काफी देर लग जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है जो जांच पड़ताल के पश्चात् सुझाव देगी कि भूमि अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख तथा पंचाट के निर्णय के मध्य की देरी को कैसे कम किया जा सकता है। परन्तु सरकार अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि की बजाय पंचाट के समय प्रचलित दर पर मुआवजा देने के लिए कानून में संशोधन करना नहीं चाहती।

बर्मा से चावल का आयात

775. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 से 1964 तक (दोनों वर्षों को शामिल करके) बर्मा से प्रतिवर्ष कुल कितना चावल आयात किया गया ; और

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में एपीजे लाइन्स द्वारा तथा अन्य नौवहन समवायों द्वारा कुल कितना चावल लाया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित विवरण में दी गई है :—

(मात्रा '000 मीट्रिक टनों में)

वर्ष	बर्मा से आयात किये गये चावल की मात्रा	एपीजे लाइन्स के जहाजों द्वारा लाये गये बर्मा से चावल की कुल मात्रा	अन्य नौवहन समवायों द्वारा लाये गये बर्मा से चावल की मात्रा
1960	336.0	29.6	306.4
1961	160.4	126.0	34.4
1962	201.2	85.1	116.1
1963	172.7	83.7	89.0
1964	151.9	99.6	52.3

बाबतपुर (वाराणसी) हवाई अड्डा

776. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाबतपुर (वाराणसी) हवाई अड्डे पर भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा जो तिरछा हवा धावन पथ बनाने के लिए अलग रख लिया गया था, बेकार पड़ा हुआ है और उसकी देख रेख पर प्रतिवर्ष काफी धन व्यय किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक ऋतु में उसमें काफी घास पैदा होती है जिसे बेचा जाता है और यह भूमि विमान उतारने के काम नहीं आती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस भूमि को तब तक के लिए किसानों को खेती करने के लिए देने का है जब तक इसका उपयोग विमान उतारने के लिए न हो ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) आपात काल में उतरने के लिए बाबतपुर (वाराणसी) हवाई अड्डे में अच्छे मौसम में काम आने वाली एक हवाई पट्टी है। यह बेकार नहीं पड़ी है क्योंकि मुख्य धावन-पथ पर तिरछी हवाओं के चलने की चरम अवस्था में छोटे वायुयान इसका प्रयोग करते हैं। इस अच्छे मौसम की हवाई पट्टी का न्यूनतम आवश्यक अनुरक्षण हवाई अड्डे की देख-भाल करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

(ख) सरकार को राजस्व की प्राप्ति के लिए घास को नीलाम करके बेचा जाता है, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है पट्टी उतरने के लिए भी प्रयोग में लायी जाती है।

(ग) जी, नहीं। जमीन जोतने से प्रयोजन के लिए नहीं दी जा सकती क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता है।

केन्द्रीय सहकार भंडार

777. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री प्र० र० चक्रवर्ती : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में अब तक कुल कितने केन्द्रीय सहकारी भंडार खोले गये हैं ;

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिये अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ; और

(ग) जनसाधारण को किस हद तक खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जा रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) उपभोक्ता सहकारी समितियों की केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में अब तक 292 केन्द्रीय सहकारी भंडार (थोक भंडार) स्थापित किये गये हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सहकारी भंडारों का वित्त पोषण करने के लिये राज्य सरकारों को अब तक 9.92 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है। चूंकि ये भंडार केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी योजना के अन्तर्गत खोले गये हैं, सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) जून, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में थोक भंडारों का कुल कारोबार 144 करोड़ रुपये का हुआ जिस में 120 करोड़ रुपये की निश्चित दरों पर राशन की तथा नियंत्रित वस्तुएं बेची गई। शेष 24 करोड़ रुपयों में पंसारी का सामान, वस्त्र, साबून और श्रृंगार की वस्तुएं तथा अन्य सामान्य वस्तुएं शामिल हैं जिनको उचित दरों--सामान्यता बाजार भावों से कम दरों--पर बेचा गया था।

केन्द्रीय काजू तथा मसाले अनुसंधान संस्था

778. श्री अ० व० राघवन : श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन : श्री वारियर :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 16 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2263 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय काजू तथा मसाले अनुसंधान संस्था स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान संस्था स्थापित करने का मामला अभी भी विचाराधीन है।

Reservation of seats for Backward Classes in Legislatures

779. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Backward Classes Association of District Gorakhpur has approached the Central Government in September, 1966 for reservation of 60 per cent seats of Lok Sabha and Vidhan Sabha for the Backward Classes; and

(b) if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

डमडम हवाई अड्डे पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान का क्षतिग्रस्त होना

782. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री बागड़ी :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1966 को बागडोगरा से कलकत्ता जाने वाला इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के एक विमान का नोज व्हील डमडम हवाई अड्डे पर उतरते ही क्षतिग्रस्त हो गया ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) हताहतों की संख्या कितनी है ?

2207(ai)LS—4.

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) यह घटना 'नोज गियर' को वापस खींचने वाले 'स्ट्रट' में खराबी के कारण 'नोज लैन्डिंग गियर' के काम न करने की वजह से हुई।

(ग) : कोई यात्री या विमान कर्मीदल का सदस्य घायल नहीं हुआ।

राज्यों में समाहार योजनायें

783. श्री मधु लिमये :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों की विभिन्न समाहार योजनाओं का अध्ययन किया है और अगली रबी तथा खरीफ फसलों के बाद एक समान नीति अपनाये जाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) उनकी अपनी यदि कोई वैकल्पिक योजना है तो वह क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जैसा कि लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 128 के उत्तर में तारीख 22-2-1966 को बताया गया था कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में चालू समाहार योजनाओं का अध्ययन किया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे अगली खरीफ या रबी फसल फसलों के लिये समाहार की कोई समान योजना न अपनाएं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 1966-67 की खरीफ फसल के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा अपनायी जाने वाली समाहार योजनाओं का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Agricultural Equipment

784. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to refer to refer to the reply given to Unstarred Question No. 264 on the 26th July 1966 and state:

(a) whether his Ministry have been able to obtain foreign exchange for purchasing agricultural equipment from abroad;

(b) if so, the amount of foreign exchange sanctioned to the Madhya Pradesh Government for purchasing heavy tractors; and

(c) if not, how much more time it is likely to take?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) Bulk allocations of foreign exchange have been received for import of crawler tractors from U.S.S.R., Yugoslavia, Rumania, France and Italy.

(b) No foreign exchange has been sanctioned to the Government of Madhya Pradesh out of these allocations.

(c) The question of utilization of the foreign exchange is under consideration and sanctions will be issued to the State Government shortly.

Movement of Fruit from Himachal Pradesh to Delhi

785. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no direct road link between Delhi and Himachal Pradesh on which fruit produced in Himachal Pradesh could be transported to Delhi;

(b) whether it is also a fact that for want of transport facilities thousand of maunds of fruit rot everyday;

(c) whether it is also a fact that the fruits are quite cheap there as compared to Delhi and that the movement of fruit could help a lot in solving the food problem; and

(d) if so, the reasons for which no action in this regard has been taken by Government so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) No. Direct road links exist not only between the collecting centre at Simla and the consumption point at Delhi, but also between the main fruit producing centres in the interior of Himachal Pradesh and Simla.

(b) No. Road transport facilities are adequate and arrangements have been made for public carriers to ply directly from Simla to Delhi during the peak fruit season.

(c) It is a fact that at the producing centres, fruit is comparatively cheaper as no incidentals such as packing charges, transport and handling charges are involved. Steps have been taken to accelerate movement of fruit in season which, in some measure, helps solve the food problem.

(d) Steps have been taken to organise marketing of fruit in Himachal Pradesh and also to set up cold storage facilities as a check against slump in prices during the peak period.

Export Prices of Sugar

786. Shri Hukam Chand Kacchavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the export prices of sugar are comparatively less than the prices at which sugar is sold in the country; and

(b) if so, the reasons for exporting sugar to other countries at cheaper rates?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) and (b). Yes, Sir. The reasons for exporting sugar are:—

(i) to fulfil our export commitments;

(ii) to earn the much needed foreign exchange; and

(iii) to maintain foot-hold in world markets as a regular exporter of sugar.

सुपर बजार, नई दिल्ली

787. श्री बाजी : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार (कनाट प्लेस) सप्ताह में किस दिन खुलता है और उसके खुलने और बन्द होने के क्या समय हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सामान लेने और लेखों आदि के प्रयोजन के लिये कर्मचारियों को ड्यूटी पर आधा घंटा पहले आना पड़ता है और बाजार बन्द होने के आधा घंटा बाद जाना पड़ता है ; और

(ग) क्या दो पारी रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सुपर बाजार के निम्नलिखित तीन विभागों को छोड़कर जो सारे दिन अर्थात् प्रातः 10 बजे से सायं 7–30 बजे तक खुले रहते हैं, शेष सभी प्रातः 10 बजे से 1–30 तक और सायं 3–30 बजे से सायं 7–30 तक खुले रहते हैं :

1. सब्जी तथा फल विभाग
2. औषधि विभाग
3. अल्पाहार गृह ।

रविवार के दिन सभी विभाग बिना भोजनावकाश के पूरे दिन खुले रहते हैं । मंगलवार को बाजार बन्द रहता है ।

(ख) बाजार के कर्मचारियों के काम के घंटे दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियमित होते हैं, जिसके अधीन उन्हें एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना पड़ता है ।

(ग) शुरू में सुपर बाजार के सभी विभागों में दो पारियों में काम होता था । बाद में उन तीन विभागों को छोड़कर जिनका उल्लेख प्रश्न के (क) भाग में किया गया है, शेष सभी में दुहरी पारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया ।

कलकत्ता बन्द के दौरान कलकत्ता से विमान-सेवा

788. श्री बासप्पा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन
श्री कपूर सिंह :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1966 के तीसरे सप्ताह में कलकत्ता बन्द के अवसर पर कलकत्ता अन्य स्थानों के लिये विमान सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां। कलकत्ता बन्द की अवधि के दौरान 22 और 23 सितम्बर, 1966 को आई० ए० सी० को कलकत्ता से होकर 22 सेवाएं चलानी थीं, जिनमें से केवल एक कैरेवल सेवा तथा तीन वाईकाउंट सेवाएं चलायी गईं और अन्य सेवाएं रद्द कर दी गयीं।

एयर इंडिया के मामले में, तीन सेवाओं को कलकत्ता में पहुंचना तथा वहां से रवाना होना था जिनमें से केवल एक सेवा अनुसूची के अनुसार कलकत्ता से चलायी जा सकी तथा शेष दो को रद्द करना पड़ा।

(ख) सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल में 22 और 23 सितम्बर, 1966 को 24 घण्टे के बंद की मांग के कारण यह आशंका थी कि विमान कर्मीदल के सदस्यों, ड्यूटी पर नियुक्त अन्य कर्मचारियों और यात्रियों को नगर व हवाई अड्डे के बीच लाने ले जाने में भीषण कठिनाई हो जायेगी।

मैसूर में सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली

789. श्री बासप्पा : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में खाद्यान्नों की वसूली के विषय में सहकार समितियों को अधिक काम दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां के सहकारी संगठन के ढांचे में क्या परिवर्तन किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) हां।

(ख) खाद्यान्न वसूली के कार्य में लगी क्रय-विक्रय समितियों के वित्तीय आधार को दृढ़ बनाने के लिये सरकार से अतिरिक्त अंश-पूंजी जुटायी जा रही है। भारत के स्टेट बैंक से भी यह सिफारिश की गयी है कि वह खाद्यान्न वसूली के कार्य के लिये मैसूर के स्टेट कापरेटिव बैंक को और अधिक धन राशि दे।

खाद्य तथा कृषि संगठन का क्षेत्रीय सम्मेलन

790. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिनिधियों ने सिओल (दक्षिण कोरिया) में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये 15 सितम्बर, 1966 से हुए खाद्य तथा कृषि संगठन के आठवें क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन के विशेष रूप से भारत के संबंध में क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में एशिया तथा दूर पूर्वी क्षेत्रों की खाद्य तथा कृषि की सांझी व महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया गया था। इस अवसर पर मछली विकास, कृषि विकास के लिए धन की व्यवस्था करना, कृषि, जन्य वस्तुओं के अन्तर्देशीय व्यापार, वन उत्पादों, अल्पाहार, भूमि सुधार तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम पर भी विचार किया गया था। भारत को इन विषयों में विशेष दिलचस्पी है क्योंकि देश में कृषि विकास को महत्व दिया जा रहा है। सम्मेलन को इस क्षेत्र के देशों की सांझी समस्याओं पर विचार करने तथा खाद्य एवं कृषि संगठन को सिफारिशों करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ।

कृषि मूल्य आयोग

791. **डा० पू० ना० खां :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के पश्चात् आज तक सरकार ने इस पर कुल कितना धन व्यय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : कृषि मू य आयोग पर 1 फरवरी, 1965 से जब कि इसकी स्थापना हुई थी 30 सितम्बर, 1966 तक 5,38,980 रुपये व्यय हुए हैं।

सैसून गोदी, बम्बई

792. **डा० पू० ना० खां :**
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र में मछली पकड़ने के विकास कार्य के लिये सैसून गोदी, बम्बई के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) बम्बई में मछली पकड़ने की बन्दरगाह के विकास के लिए अनुसन्धान, मार्गदर्शी परीक्षणों तथा सर्वेक्षण हेतु योजनायें तथा अनुमान तैयार करने के लिए 3,07,900 रुपए मंजूर किये गये हैं।

(ख) चतुर्थ योजना में मछली पकड़ने की बन्दरगाह के निर्माण होने पर वहां 45 ट्रालरों (trawlers) तथा 250 यान्त्रिक नावों के ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। बन्दरगाह में निम्न प्रकार के उद्योगों की व्यवस्था होगी।

(1) बर्फ व कोल्ड स्टेरेज संयन्त्र।

(2) प्रशीतन संयन्त्र।

(3) पैकिंग तथा मार्किंग के लिए हाल।

(4) मछली प्रक्रिया संयन्त्र।

(5) जाल बनाने की फैक्टरी तथा

(6) स्लिपवे तथा नाव मरम्मत करने का यार्ड

कृषि मूल्य आयोग

793. श्री सुबोध हंसदा। श्री म० ला० द्विवेदी।
श्री स० चं० सामन्त। श्री भागवत झा आजाद।
श्री प्र० चं० बरुआ। डा० म० मो० दास।

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग कुछ समय से केवल एक सदस्य के सहारे तथा बिना अध्यक्ष के कार्य कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो इस तरीके से यह किनने समय से कार्य कर रहा था; और

(ग) कितने सदस्यों ने अब तक त्याग-पत्र दे दिये हैं और इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामवर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सात मास 31-3-66 से 31-10-66 तक।

(ग) कृषि मूल्य आयोग के एक सदस्य ने जो फरवरी, 1965 में इस आयोग में सम्मिलित हुए थे सितम्बर, 1965 में त्याग-पत्र दे दिया। 20 सितम्बर, 1965 को राज्य सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 748 में पहले ही इसका कारण बता दिया गया था।

भारत में वर्षा

794. श्री सुबोध हंसदा। श्री म० ला० द्विवेदी।
श्री स० चं० सामन्त। डा० म० मो० दास।
श्री भागवत झा आजाद। श्री प्र० चं० बरुआ।

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1960 से, पिछले कुछ वर्षों में, देश में औसत वर्षा में कोई कमी अथवा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि इसमें कोई घटबढ़ हुई है तो क्या इसका कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस घटबढ़ के कारणों का पता लगा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) किसी किसी वर्ष में हेर-फेर के सिवाय जो कि आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, 1960 के बाद समस्त रूप से देश मे औसत वर्षा में कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं हुई है।

हवाई अड्डे पर जलपान गृह

795. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डे पर जलपान गृह का ठेका देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ख) प्रत्येक हवाई अड्डे पर ऐसे ठेकेदारों की क्या संख्या है जिनको प्रत्येक बार उसी हवाई अड्डे के जलपान गृह का ठेका मिलता है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) सिविल हवाई अड्डों पर खान-पान प्रबंध के प्रारंभिक ठेके ख्याति प्राप्त सुस्थित ठेकेदारों से टेंडर मंगा कर साधारणतया तीन वर्ष के लिये दिये जाते हैं। खान-पान प्रबंधक द्वारा की गयी संतोषजनक सेवा के आधार पर ठेके की अवधि को बात चीत द्वारा बढ़ाया जा सकता है ?

(ख) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास व बंबई के अंतर-राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मौजूदा खान-पान प्रबंधक कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तथा उनके प्रारंभिक ठेके टेंडरों के आधार पर दिये गये थे। उनकी बढ़ाई गई अवधि का काल 31-12-19666 को समाप्त हो रहा है; तथा इस प्रकार के ठेकों के विषय में कार्यवाही करने के तरीके व प्रक्रिया पर सरकार विचार कर रही है।

गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड

796. श्री इन्द्रजीत गुप्त : परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के स्तर तथा गठन में कोई परिवर्तन किये जाने के बारे विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों की रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल तथा बिहार की राज्य सरकारों ने यह मांग की है कि उन्हें इस संगठन पर अधिक नियंत्रण रखने का अधिकार दिया जाये ; और

(घ) क्या इसके गठन में परिवर्तनों के बावजूद वर्तमान कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा उपलब्धियों की रक्षा की जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) परिवहन तथा विमान मंत्रालय के अंतरदेशीय जल परिवहन निदेशालय में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड जो विलयन का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

सरकारी क्षेत्र में बेकरियां

797. श्रीमती सावित्री निगम : श्री म० ल० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सं० चं० सामन्त : श्री ब० कु० दास :
श्री भागवत झा आजाद : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में आधुनिक बेकरियां स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) प्रत्येक बेकरी पर कितनी लागत आयेगी, तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और उन की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) यह परियोजनायें कब पूरी हो जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई स्थित बेकरी को छोड़कर प्रत्येक बेकरी की औसतन लागत लगभग 30 लाख रुपये होगी जिसकी उत्पादन क्षमता 400 ग्राम की 35000 रोटियां प्रति दिन होगी । बम्बई स्थित कारखाने की अनुमानित लागत 40 लाख रुपये होगी जिसमें 400 ग्राम की 70,000 रोटियां का उत्पादन प्रति दिन होगा ।

(ग) पहली छः बेकरियां की स्थापना जून, 1967 तक हो जाने की सम्भावना है । चौथी योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में और अधिक बेकरियां स्थापित करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ।

सहकारिता के आधार पर बीज फार्म

798. श्रीमती सावित्री निगम : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारिता के आधार पर बड़े बीज फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और इन फार्मों के लिये कितनी मशीनों तथा उपकरणों की आवश्यकता होगी तथा किस सीमा तक ये मशीनें रूस सरकार से मंगाई जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सहकारिता के आधार पर बड़े बीज फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । केवल यह प्रस्ताव है कि उन राज्यों में बड़े बीज फार्म स्थापित किए जाएं जो इस कार्य के लिए बड़े भूमि खण्ड पेश कर सकते हैं । ये फार्म केन्द्र द्वारा चलाए जायेंगे ।

(ख) उपकरण तथा मशीनरी की मात्रा केन्द्र द्वारा राज्यों से प्राप्त भूमि खण्डों की संख्या तथा साइज़ पर निर्भर करेगी। रूस की सरकार मशीनरी देकर हमारी सहायता करना चाहती है, यह मशीनरी कुछ भेंट के रूप में दी जाएगी और कुछ मू य पर। बातचीत अभी चल रही है।

एयर इंडिया के लिये विमान

799. श्रीमती सावित्री निगम : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया की विमान सेवाओं के प्रस्तावित विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 1 अक्तूबर, 1966 को जो विमान आने थे, क्या वे आ चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विमान संबंधी विशिष्ट विवरण क्या है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). जी, हां। एक बोइंग फैन-जेट वायुयान माडेल 707—320 एयर इंडिया को 12 अक्तूबर, 1966 को दिया गया।

विदेशों से खाद्यान्नों का आयात

800. श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री लीलाधर कटकी :
श्री फिरोडिया : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये खाद्यान्नों के आयात के लिये अन्य देशों से पिछले दो महीनों में कोई समझौते किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). भारत सरकार और अमरीका सरकार के बीच 14 अक्तूबर, 1966 को हुए पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप अमरीका ने भारत को गेहूं खरीदने के लिये सितम्बर, 1964 के पी० एल० समझौते के अधीन 130 लाख डालर की अतिरिक्त धनराशि दी है। इस धनराशि से लगभग 2 लाख टन गेहूं खरीदा जा सकेगा।

केन्द्रीय भांडागार निगम

801. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय भांडागार निगम को बन्द करने के लिये हिदायतें जारी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन भांडागारों में काम करने वाले कर्मचारियों को समान वेतनक्रमों में रोजगार दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

भूमि के लगान पर अधिभार

802. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को 1962 में आपातकाल की घोषणा होने के बाद भूमि के लगान पर लगाये गये अधिभार को हटाने के लिए अनुदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उसे हटाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी नहीं ।

(ख) इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठ ।।

रोके गये जहाजों की भारत और पाकिस्तान के बीच अदला बदली

803. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दे० द० पुरी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बपुमतारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री ह० च० लिंग रेड्डी :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान द्वारा गत संघर्ष के दौरान रोके गये जहाजों की अदलाबदली के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) भारत द्वारा रोके गये जहाजों को छोड़ने के लिये एकपक्षीयरूप से की गई घोषणाओं के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और सरकार ने एकपक्षीय रूप से किये अपने वचनों को कहां तक पूरा किया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). 19 अक्टूबर, 1966 को भारत सरकार ने पाकिस्तानी जहाज "ओश इंटरप्राइज़" और "अलहसन" छोड़ दिये जो क्रमश: कलकत्ता और विशाखापत्तनम् में रोक लिये गये थे। 20 अक्टूबर, 1966 को पाकिस्तान सरकार ने "जल राजेन्द्र" और "सरस्वती" जो करांची में रोक लिये गये थे छोड़ दिये। पूर्वी पाकिस्तान में चालना में रोके गये भारतीय जहाज "सकीला" का बम्बई में रोके गये शेष पाकिस्तानी जहाज "इलियास बख्श" के विनिमय के लिये कार्यवाही की जा रही है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के केरेवल विमान की दुर्घटना

804. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1966 के प्रथम सप्ताह में सान्ताक्रुज, बम्बई के निकट हुई दुर्घटना में केरेवल विमान की क्षति के कारण क्या इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने केरेवल विमान की सेवाओं को कम कर दिया था और उनकी उड़ानों के समय में कुछ परिवर्तन कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्घटनाग्रस्त विमान के स्थान पर कोई अन्य विमान अथवा इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के हवाई बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई और विमान प्राप्त किया गया है अथवा प्राप्त किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय बम्बई और दिल्ली के बीच प्रति दिन तीन के स्थान पर केवल दो कैरेवल सेवायें चलाई जा रही हैं। कलकत्ता/मद्रास सैक्टर में केरेवल सेवा बन्द कर दी गयी है तथा एक बाइकाउण्ट सेवा चालू कर दी गई है।

(ग) और (घ). नष्ट हुए केरेवल के स्थान-पूर्ति के रूप में कोई विमान अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। तथापि आई० ए० सी० के विमान बेड़े में दो फोकर फ्रैण्डशिप विमानों व एक कैरेवल विमान द्वारा वृद्धि कर दी गई है तथा एक और कैरेवल शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

Election Manual

805. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Boroooah:
Dr. M. M. Das:

Will the the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether the publication of the Election Manual Directory containing the Election Act and Rules has been taken in hand;

(b) if so, when it is likely to be published; and

(c) the copies of the said publications sold at the time of 1962 Elections and the number of copies proposed to be printed this year?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) and (b). The reference is obviously to the Manual of Election Law. The preliminary steps for bringing out a new edition of this Manual have already been taken in hand and the new edition will be published as soon as may be after the enactment of the Representation of the People (Amendment) Bill, 1966 now pending before Parliament.

(c) On the last occasion 16,000 copies were printed of which 3596 copies were sold in the months of January and February, 1962. The number of copies of the manual to be printed now has not so far been decided.

पटसन की फसल

8 06. **श्री महेश्वर नायक :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने एकड़ भूमि पर पटसन की खेती हुई है तथा गत वर्ष की तुलना में ये आंकड़े कितने कम या अधिक हैं;

(ख) राज्यवार कितनी भूमि में पटसन की खेती की जाती है; और

(ग) अनाज की खेती की जाने वाली भूमि में से कितनी ऐसी भूमि है जिसमें पटसन की खेती की जाने लगी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्याम लाल मिश्र): (क) अभी तक ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे पता चले कि 1966–67 में कितने एकड़ क्षेत्र में पटसन की बुवाई हुई है । प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार आशा है कि 1966–67 में 797,300 हैक्टेयर भूमि में पटसन बोया जायेगा । इससे प्रतीत होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ख) 1966–67 की अवधि के विषय में विभिन्न राज्यों के प्रारम्भिक आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे पता चले कि अनाज की खेती की जाने वाली भूमि में पटसन की खेती की जाने लगी है ।

विवरण

1966–67 का पहला अखिल भारतीय प्राक्कलन

क्षेत्र (हजार हेक्टेयरस)

राज्य	1966-67 पहला प्राक्कलन
आसाम	135.7
बिहार	152.1
उड़ीसा	42.9
उत्तर प्रदेश	21.7
पश्चिमी बंगाल	434.0
त्रिपुरा	10.9
कुल भारत	797.3

टिप्पणी : अन्य राज्यों में पटसन किसी विचारणीय हद तक नहीं उगाया जाता है ।

खाने की आदतों में परिवर्तन

807. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लोलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लोगों की खाने की आदतों को बदलने के लिये एक देशव्यापी नया अभियान आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे किस प्रकार कार्य रूप देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सरकार द्वारा स्थापित चलती-फिरती खाद्य तथा पोषाहार विस्तार सेवाएं और खान-पान औद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्थाओं द्वारा व्यवस्थित रूप से संगठित अभियानों और प्रचार के अन्य साधनों जैसे अखबारों, फिल्मों, विज्ञापन-पुस्तिकाओं के प्रकाशन, प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने आदि के माध्यम से सरकार लोगों की खाने की आदतों को बदलने का प्रयास कर रही है ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातों और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये उपायों का पूरा ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

1. खाद्यान्न तथा पोषाहार विस्तार सेवा

सहायक तथा प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के प्रचार के लिए, खाने की आदतों में सुधार करने के लिए, खाद्य संरक्षण तथा पोषाहार संबंधी जानकारी देने के लिए तथा खाना पकाने तथा खाद्यान्नों का प्रयोग करने संबंधी वैज्ञानिक तकनीक का ज्ञान फैलाने के लिए खाद्यान्न तथा पोषाहार विस्तार सेवा ने आरम्भ किया है । इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम अध्ययन चार खाद्य तथा पोषाहार विस्तार गाड़ियों की सहायता से किया गया है । भूख से छुटकारा कार्यक्रम के अधीन खाद्य तथा कृषि संगठन से उपहार के रूप में प्राप्त 10 और गाड़ियां मिलने पर कार्यक्रम को और बढ़ाया जायेगा । पुस्तिकाओं, फोल्डरों, ब्रोश्योरों, पोस्टरों तथा अन्य तत्संबंधी पुस्तकों को अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जायेगा तथा उनका प्रेस तथा रेडियो से प्रचार किया जायेगा और उनको जनता में वितरित किया जायेगा ।

2. मेले तथा प्रदर्शनियां

मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेकर सहायक खाद्य पदार्थों, संतुलित आहार संबंधी जानकारी का प्रचार किया जाता है ।

3. भोजन सम्बन्धी तकनीक तथा व्यावहारिक पोषाहार तथा खाद्य पोलिटक्नीक सम्बन्धी संस्था

खाद्यान्नों को सम्हालने, इस्तेमाल करने आदि संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए चार संस्था स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया है कि जिससे भोजन पकाने, खाने तथा पोषाहार तथा खाद्य संरक्षण का प्रचार करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार हो।

4. स्वेच्छिक एजेंसियां

स्वैच्छिक, सामाजिक तथा अन्य एजेन्सियों का सहयोग लेने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिससे कार्यक्रम की सफलता के लिए जनता का सहयोग प्राप्त हो सके।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कैरेवैल विमानों की दुर्घटनायें

808. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के केरेवेल विमानों के हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) 1 अगस्त से 31 अक्तूबर 1966 तक की अवधि के दौरान, आई० ए० सी० का एक कैरवेल वायुयान 4 सितम्बर, 1966 को थाना के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाढ़ों के कारण फसलों को क्षति

809. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री वीरेन दत्त :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश भर में आई बाढों के कारण खड़ी फसलों को हुई क्षति का अनुमान लगाया है ;

(ख) इस क्षति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) उड़ीसा तथा आसाम में हाल ही की बाढ़ों के कारण लगभग क्रमश: 49,000 तथा 10 लाख

एकड़ बवाई के क्षेत्र को हानि पहुंची है। बिहार में बाढ़ों से लगभग 6 लाख टन अनाज खराब या नष्ट हो गया। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में हुई हानि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) अभी यह बताना कठिन है कि हाल ही की बाढ़ों से उत्पादन में कितनी कमी होने की संभावना है।

(ग) विदेशों से अधिक से अधिक अन्न मंगाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आन्तरिक उपलब्धि को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा रहा है तथा सरकार की ओर से खाद्यान्नों के वितरण को बढ़ाया जा रहा है। उन्नत तकनीकों के अनुसार रबी की फसलों की सघन खेती के लिए अभियान चलाया जा रहा है और आवश्यकतानुसार ऋण दिये जा रहे हैं।

आयातित खाद्यान्नों की कीमतें

810. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेमराज :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन और खाद्यान्नों के आयात करने के सम्बन्ध में परिवहन व्यय तथा अन्य व्यय के फलस्वरूप आयातित खाद्यान्न के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और होने की सम्भावना है और इस अन्तर को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ;

(ख) आयात किये खाद्यान्न पर सरकार कितनी राज सहायत देगी और उपभोक्ताओं को अवमूल्यन से पूर्व और उसके बाद आयातित खाद्यान्न के मूल्य के अन्तर में कितना अंश वहन करना पड़ेगा ; और

(ग) आयात किये गये खाद्यान्नों और देश में उपलब्ध खाद्यान्नों के मूल्यों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातित खाद्यान्नों, आर्थिक मूल्यों और जहाज-भाड़ों में वृद्धि हो जाने के कारण आयातित खाद्यान्नों के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह निम्न प्रकार है :—

वस्तुएं	अवमूल्यन के बाद आर्थिक मूल्यों में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि
गेहूं	46
चावल	54
कोदों (माइलो) . . .	43

आयातित खाद्यान्नों के आर्थिक मूल्यों में हुई वृद्धि को सरकार राज-सहायता द्वारा पूरा करेगी जैसा कि वह खाद्यान्नों के वितरण के सम्बन्ध में अब तक वहन कर रही है। आयातित गेहूं और कोदों

के विक्रय: मूल्य में क्रमश: 5 रुपये और 7 रुपये प्रति क्विंटल की 15 नवम्बर 1966 से जो प्रस्तावित वृद्धि की गई है और मोटे चावल के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, वह बाद में उस मात्रा में कम कर दी जायेगी जिस मात्रा में खाद्यान्नों के वितरण में राज-सहायता दी जायेगी।

(ख) आयातित खाद्यान्नों को वर्तमान विक्रय मूल्य पर वितरण करते समय जो राज सहायता दी जाती है वह निम्न प्रकार है :—

वस्तुएं	वर्तमान विक्रय-मल्य रुपये पैसे	प्रति क्विंटल दी जाने वाली राज सहायता रुपये पैसे
गेहूं	50.00	16.46
चावल . . .	60.00 से 70.00 तक	32.50 से 42.50 तक
कोदों (माइलो) . .	33.00	19.10

उन आयातित खाद्यान्नों के विक्रय मूल्य,

जिन आयातित खाद्यान्नों को उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए केन्द्रीय भंडारों लिया जाता है, उनका मूल्य रुपये के अवमूल्यन के बाद भी उतना ही जो अवमूल्यन से पहले था। तथापि, आयातित गेहूं के विक्रय मल्य को 50 रुपये से 55 रुपये तथा कोदों के विक्रय मूल्य को 33 रुपये से 40 रुपये प्रति क्विंटल 15 नवम्बर, 1966 से बढ़ाने का निश्चय कर लिया गया है। मोटे चावल का विक्रय मूल्य को उतना बढ़ाने का निश्चय कर लिया गया है जितना प्रत्येक राज्य में समाहार किये गये चावल का कारखाना दार मूल्य होता है।

(ग) आयातित खाद्यान्नों का आर्थिक मूल्य अवमूल्यन के बाद निम्न प्रकार है :—

वस्तुएं	अवमूल्यन के बाद आर्थिक मूल्य परुये पैसे
गेहूं	66.46
चावल (मोटा) . . .	102.50
कोदों . . .	52.10

इन आर्थिक मूल्यों और अक्तूबर के अन्त में देश के कुछ मुख्य व्यापारिक केन्द्रों पर देशी खाद्यान्नों के भावों की तुलनात्मक स्थिति संलग्न विवरण में स्पष्ट की गयी है। [देखिए एल० टी० संख्या 7251/66]

गांवों की सड़कों का विकास

811. श्री श्रीनारायण दास : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है कि गांवों की व्यापार तथा विपणन सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करने के लिए संचार सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में गांवों का उपागमन मार्ग द्वारा मुख्य सड़कों से किस हद तक मिलाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या इस बारे में चौथी पंच-वर्षीय योजना में कोई व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (घ). अभी तक इसका निर्धारण नहीं किया गया है कि भारत में किस सीमा तक पहुंच मार्गों द्वारा गांव मुख्य सड़कों से संबंधित है, विशेषकर ग्रामों में व्यापार विकास करने और बाजार की सुविधा की दृष्टि से। फिर भी योजना आयोग में संयुक्त तकनीकी ग्रुप द्वारा संगठित की गई क्षेत्रीय परिवहन अध्ययनों द्वारा इस समस्या पर कुछ प्रकाश फैंके जाने की आशा है। जहां तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था का प्रश्न है, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि ग्राम बाजार सड़कों के लिए राज्य योजना विनिधान की लगभग 1/5 धनराशि इसके लिए रख लें। यह भी प्रस्ताव है कि राज्यों की योजना के लिए सम्पूर्ण केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में ग्राम सड़कों पर प्रत्येक राज्य द्वारा होने वाले वास्तविक व्यय के एक तिहाई की सीमा तक केन्द्र से अनुदान दिया जाये।

राष्ट्रीय राजपथ

812. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लिए राष्ट्रीय राजपथ कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) कौनसी योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) तीसरी योजना में राष्ट्रीय राजपथ कार्यक्रम के लक्ष्य में निर्धारित राशि से कम व्यय होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के लिए चतुर्थ पंच-वर्षीय कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आर्थिक कारणों से तीसरी योजना में राष्ट्रीय मुख्यमार्गों पर खर्च में कुछ कमी हो गई थी इसे योजना काल के अन्त में लागू करना पड़ा था ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन

813. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में सहायक खाद्य के रूप में मछलियों का क्या स्थान है ;

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी राशि खर्च की गई तथा विभिन्न योजनाओं के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि व्यय में कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) तीसरी योजना में सहायक खाद्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मछलीपालन के विकास के महत्व को स्वीकार किया गया है। अधिक मछली उत्पादन से पशुप्रोटीन की आवश्यकता की मांग की काफी हद तक पूर्ति होती है।

(ख) तीसरी योजना में मछलीपालन के लिए 20 करोड़ रुपए का उपबन्ध किया गया था। तीसरी योजना के शुरू में यान्त्रिक नावों की संख्या 2161 थी परन्तु योजना के अन्त में 5206 ऐसी नावें कार्य कर रही थीं। मछली पकड़ने की 21 छोटी बन्दरगाहों का सर्वेक्षण किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से पूंजी लगाने से पूर्व सर्वेक्षण करने की स्वीकृति दी गई। यह कार्य 1966-67 में शुरू होगा। बम्बई, कोचीन, हल्दिया, ट्यूटीकोरिन तथा मंगलौर की प्रमुख बन्दरगाहों में मछली पकड़ने की बन्दरगाहों की स्थापना करने के लिए पूंजी लगाने से पूर्व के सर्वेक्षण, मार्गदर्शी परीक्षण तथा भूमिगत अनुसन्धान किये गये तथा कुछ प्रस्तावित बन्दरगाहों के निर्माण के लिए विस्तृत योजनायें व अनुमान तैयार हो चुके हैं। राज्य के मछलीपालन विभाग ने 44 बर्फ संयन्त्रों तथा 47 ठण्डे गोदामों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त 21 बर्फ तथा ठण्डे गोदामों के संयन्त्र तैयार किये जा रहे हैं। गैर सरकारी क्षेत्र में भी अनेक ऐसे संयन्त्रों की स्थापना की गई है। एक महत्वपूर्ण अंशदान बीज मछली का उत्पादन करना है। अनुसन्धान संस्थाओं ने स्पेन कल्चर की तकनीकों, मछली के इन्ड्यूस्ड प्रजनन, काई नियन्त्रण, मछली पकड़ने के स्थलों तथा विधायित मछली की किस्म में सुधार करने, फिश फ्लेक तथा मछली का आटा तैयार करने के विषय में हाईड्रोलाजिकल विषयों पर अनुसन्धान किये हैं। मछली प्रशासन तथा प्रक्रिया विषयक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई।

(ग) मछलीपालन के लिए 29 करोड़ रुपए के उपबन्ध की तुलना में 23·50 करोड़ रुपए व्यय किये गये। विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धि के कारण व्यय में कमी हो गई और इससे पूर्व योजनाओं की क्रियान्विति के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा।

कृषिजन्य पदार्थों का विपणन

814. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषिजन्य पदार्थों की खरीद, बिक्री, उनको भंडारों में रखने तथा परिष्करण करने के लिये बाजारों को विनियन्त्रित करने की व्यवस्था में सुधार करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या राज्यों में पारित किये गये कृषि उपज बाजार अधिनियमों में संशोधन करने का विचार है ; और

(ग) उनमें क्या क्या मुख्य संशोधन किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

नौवहन उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान

815. **श्री ब० कु० दास :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संस्था ने भारत में नौवहन उद्योग के बारे में अनुसन्धान करना आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार के पास नौवहन उद्योग के भिन्न भिन्न पहलुओं पर अनन्य रूप से अनुसन्धान करने के लिये कोई अनुसन्धान संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) विशेषकर जहाजी उद्योग के अनुसन्धान के लिए भारत में कोई संस्था स्थापित नहीं की गई है । फिर भी मौजूदा संस्थाओं में अनुसन्धान के लिए निम्न सुविधाएं हैं :—

(1) **केन्द्रीय जल और बिजली अनुसन्धान स्टेशन, पूना** :—इस संस्था में गति जांचने के लिए शिप माडल टैस्टिंग टैंक हैं और अश्व शक्ति आवश्यकता को पहले से बताने के लिए उपस्कर है ।

(2) **ओशिनोग्राफी की राष्ट्रीय संस्था**:—इस संस्था में अनुसन्धान करने की सुविधाएं हैं जो समुद्री तकनालाजी के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे जहाजों के डिजाइन से सम्बन्धित समुद्री संक्षारण सम्बन्धी समस्याओं का अनुसन्धान और रुकावट और भेदन के अंगों के जीवात्मक अध्ययन के ओशिनोग्राफी के आंकड़े एकत्रित करना ।

(3) **इंडियन इंस्टिट्यूट आफ तकनालाजी, खड़गपुर**:—इस संस्था में नौवस्तु विद्या और समुद्री इंजीनियरी का एक विभाग है और बुनियादी और प्रयुक्त अनुसन्धान के लिए और विशेषकर जहाज निर्माण उद्योग के लिए शिप माडल अनुसन्धानशाला है ।

(4) **नेवल केमिकल और मेटालरजीकल लबारेटरी, बम्बई और नेवल फिजिक्स लबारेटरी, कोचीन**:—हारवर जलयान, लांचों, नौकाओं इत्यादि जैसे छोटे जहाजों के डिज़ाइन और निर्माणात्मक चित्र बनाने के लिए सुविधाएं हैं ।

(5) **सेंट्रल मेकेनिकल एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिटयूट, दुर्गापुर**:—इस संस्था में जो कोई यांत्रिक इंजीनियरी समस्या किसी जहाज में पैदा हो जाए उसके समाधान की सुविधाएं हैं ।

(ग) मौजूदा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जहाजी बोर्ड भारत में समुद्री तकनालाजी की संस्था स्थापित करने के प्रश्न की जांच कर रहा है ।

कई फसलें उगाना

816. श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितनी भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं ;

(ख) फसलें उगाने का क्या सामान्य तरीका अपनाया जाता है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(घ) अनेक फसलों की पैदावार के कारण मिट्टी की उर्वरता कम न होने पाये, इसके लिए क्या कोई विशेष सहायता दी जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1950-51 में भारत में 131·5 लाख हैक्टेअर भूमि के क्षेत्र को एक से अधिक बार बोया गया जबकि 1963-64 में यह क्षेत्र बढ़कर 205·3 लाख हैक्टेअर तक जा पहुंचा ।

(ख) फसलें उगाने का सामान्य तरीका सब क्षेत्रों में एक-सा नहीं है, फिर भी साधारणत: निम्न तरीकों को अपनाया जाता है :

1. चावल के पश्चात् चावल
2. ज्वार, बाजरे आदि के पश्चात् चावल
3. गेहूं के पश्चात् चावल
4. गेहूं के पश्चात् मक्का
5. गेहूं के पश्चात् कपास के साथ साथ सेंजी या मेथी या बरसीम
6. चावल के पश्चात् पटसन

कुछ समय से कुछ नलकूपों के क्षेत्रों में तीन फसलें उगाई जा रही हैं—अर्थात् मक्का, चावल तथा गेहूं—चावल, मक्का तथा गेहूं ।

(ग) अनेक फसलें उगाने का तरीका प्राय: उन क्षेत्रों में सफल रहा है जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था मौजूद है तथा जहां भूमि में सदा नमी मौजूद रहती है ।

(घ) अनेक फसलों की बुवाई के क्षेत्र के कृषक रासायनिक तथा अकार्बनिक खादों का प्रयोग करके तथा चावल के क्षेत्रों में फलीदार फसलें बोकर अपनी भूमि की रक्षा करते हैं ।

केन्द्रीय मत्स्य निगम

817. श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मत्स्य निगम द्वारा इस समय प्रतिदिन कितनी मछली सप्लाई की जाती है ;

(ख) मछली प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं ;

(ग) किन किन बाजारों को सप्लाई की जाती है ; और

(घ) निगम का विकास कार्यक्रम क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) केन्द्रीय मत्स्य निगम द्वारा प्रतिदिन लगभग 2000 कि० ग्राम मछली सप्लाई की जाती हैं।

(ख) वर्तमान साधन मद्रास, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा दामोदर घाटी निगम हैं ।

(ग) निगम द्वारा उपलब्ध की गई मछलियां कलकत्ता के बाजारों में सप्लाई की जा रही हैं। थोड़ी मात्रा में दिल्ली और विशाखापटनम में बेची जा रही हैं।

(घ) निगम ने दामोदर घाटी निगम के मत्स्य क्षेत्रों को पट्टे पर लेने का प्रबन्ध किया है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान में उपयुक्त जल क्षेत्रों को पट्टे पर लेने के लिए बातचीत चल रही है। इसी प्रकार के प्रबन्ध जहां आवश्यकता होगी वहां किए जायेंगे और लिए गए जल क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

मतदाता तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

818. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार मतदाताओं की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के बढ़ते रहने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया है और क्या उनके बारे में अब तक किसी स्तर पर विचार कया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) से (ग) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न से ठीक-ठीक क्या पूछा जाना आशयित है । तथापि, निर्वाचकगण की बढ़ती हुई संख्या और बढ़े हुए निर्वाचन क्षेत्रों को निबहाने के लिए अतिरिक्त मतदान केन्द्रों के उपबन्ध तथा अपर निर्वाचन आफिसरों आदि की नियुक्ति के लिए जब भी आवश्यकता होती है आवश्यक उपाय कर लिए जाते हैं।

हवाई अड्डे पर सामान देने की प्रणाली

819. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने विमान के पहुंचने पर सामान देने सम्बन्धी तरीकों तथा व्यवस्था और उसमें होने वाले अधिक विलम्ब, जिनसे यात्रियों को असुविधा होती है, का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सामान देने में इस विलम्ब को समाप्त करने, कम करने तथा कोई कुशल तरीका लागू करने के लिये कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अपने विभिन्न स्टेशनों पर आने वाले समस्त वायुयानों के पहुंचने पर माल देने के तरीकों और व्यवस्था का समय समय पर अध्ययन करते रहे हैं।

(ख) कारपोरेशन ने सामान देने में विलम्ब को कम करने तथा शीघ्रतर तरीकों को चालू करने के सम्बन्ध में विभिन्न सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा इस दिशा में अधिकतम कुशलता हासिल करने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है। इस प्रश्न का हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं के साथ सम्बन्ध है तथा यन्त्रीकरण के अभाव में भरने वालों की सामान चढ़ाने और उतारने की क्षमता पर आश्रित है। जहां जहां सम्भव है सामान सम्बन्धी व्यवस्था का पुनर्गठन किया जा रहा है तथा वाहक पट्टे (कनवेएंसबेल्ट) लगाये जा रहे हैं या लगा दिये जायेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कर-मुक्त दूकानें

820. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कर-मुक्त दुकानें खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। यह आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले बम्बई में सान्ताक्रुज पर एक कर-मुक्त दुकान खोल दी जायगी। आगामी वर्ष दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में इसी प्रकार की दुकानों के खोले जाने का विचार है।

बर्मा से चावल की सप्लाई

821. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल फर्म की एक कम्पनी द्वारा बर्मा से लाये गये चावल की कम मात्रा में की गई सप्लाई के सम्बन्ध में 2 सितम्बर, 1966 को संसद् सदस्य डा० राम मनोहर लोहिया द्वारा सभा-पटल पर रखे गये दस्तावेज की जांच उन्होंने कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). मैंने वह दस्तावेज देखा है जिसका जिक्र किया गया है। अप्रेल 1962 में खाद्य विभाग को जब इसकी एक प्रतिलिपि मिली थी तभी उसके सम्बन्ध में उचित रूप से छान-बीन की गयी थी और उस पर कार्यवाही की गयी थी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में घाट (जैटी)

822. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में घाटों का निर्माण करने का निर्णय किस तिथि को किया गया था ;

(ख) कितने घाटों का निर्माण किया गया है ; और

(ग) क्या घाटों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) लिटिल अन्दमान, कचाल और ग्रेट निकोबार टापुओं में जेटियों के बनाने का कार्यक्रम 13 मई, 1965 को विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में निश्चित किया गया था।

(ख) छः अर्थात् प्रत्येक टापू में दो।

(ग) प्रस्तावित स्थानों की जांच और सर्वेक्षण हो जाने के बाद जिस पर प्रगति हो रही है, स्थायी जेटियों के निर्माण के लिये तीनों टापुओं में से प्रत्येक के एक स्थान पर उतरने की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

नारियल बागान

823. श्री रा० बरुआ : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय क्षेत्र के नारियल के बागानों में जड़ों का सूखा रोग भयंकर रूप धारण कर रहा है ;

(ख) क्या इस रोग से होने वाली क्षति का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ग) इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

गेहूं की मैक्सिकन किस्म के लिए खाद की सप्लाई

824. श्री रा० बरुआ : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाईट्रोजन से गेहूं की मैक्सिकन किस्मों के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने सम्बन्धित राज्यों को पर्याप्त मात्रा में नाईट्रोजन खाद देने के लिए कुछ निश्चित कदम उठायें हैं जिससे इस प्रकार के गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को यह खाद दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख). 9 तथा 10 अप्रैल 1966 को हुए मुख्य मन्त्रियों तथा कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसार अधिक उत्पादनशील किस्मों (जिनमें मैक्सिकन गेहूं की किस्म भी शामिल है) के सघन कृषि कार्यक्रमों के लिए उर्वरकों की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और आगे भी पूरा किया जायेगा । आवंटन तथा प्रेषण करते समय इस कार्य को अग्रता देने के बारे में उचित कदम उठाये गये हैं ।

उड़ीसा में छोटे सिंचाई कार्य

825. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री उड़ीसा में छोटे सिंचाई कार्यों के बारे में 3 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4770 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में और छोटे सिंचाई कार्य आरम्भ करने के हेतु 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग). मामला अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है ।

तम्बाकू की खेती

826. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात के अनुमान के बारे में कोई रिपोर्ट मिल गई है कि 1965–66 में पंजाब राज्य में कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्ष की तुलना में तम्बाकू का उत्पादन बहुत अधिक है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1965–66 में पंजाब में कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की गई और उससे कितना उत्पादन हुआ, इसके विषय में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न हो नहीं उठता।

बम्बई बन्दरगाह पर दुर्घटना

827. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शिव मूर्ति स्वामी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर, 1966 को बम्बई बन्दरगाह पर छः मजदूरों की मृत्यु हो गई थी और बहुत से अन्य मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गये;

(ख) क्या इस दुर्घटना के कारणों की जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और

(घ) दुर्घटना में मृत तथा आहत व्यक्तियों और उनके परिवारों को यदि प्रतिकर तथा अनुग्रहात राशि दी गयी है तो कितनी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 23 सितंबर, 1966 को बंबई पोर्ट ट्रस्ट ड्रेजर एस० डी० विक्रम के हल को साफ करते और खुरचते समय बिजली का झटका लग जाने से 5 कर्मचारी मर गये और 6 घायल हुये।

(ख) और (ग). इस दुर्घटना के कारण की जांच हो रही है और परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) दुर्घटना में हताहत होने वाले व्यक्ति एक गैर-सरकारी ठेकेदार के कर्मचारी थे जिसने बीमा कंपनी से वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के मदों में दी जाने वाली मुआवजे की राशि को जमा कर देने के लिए कहा था। दुर्घटना के दिन पांच मृत व्यक्तियों के निकटस्थ संबंधियों में से प्रत्येक को 200 रु० की अनुग्रहपूर्वक अदायगी चिपिंग एण्ड पेंटिंग इम्प्लायर एसोसिएशन द्वारा कर दी गई है और 6 में से प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50 रु० की। 4–10–1966 को छः घायल व्यक्तियों को एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक को 75 रु० का और अनुग्रहपूर्वक धन दिया गया। इसके अलावा ठेकेदार ने दो घायल कर्मचारियों में से प्रत्येक को 50 रु० उनके घायल होने के निमित्त अग्रिम तौर से दिये और एक घायल व्यक्ति को 88 रु० बगैर अदायगी के क्षतिपूर्ति के रूप में दिये।

पर्यटन का विकास

828. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्रि निगम :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० पू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पर्यटन के लिये कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) प्रति वर्ष वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) यदि खर्च निर्धारित राशि से कम हुआ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन का क्या कार्यक्रम है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ङ). तीसरी योजना में पर्यटन के लिए निर्धारित कुल राशि 8 करोड़ रुपये थी, 3.50 करोड़ केन्द्रीय सेक्टर में और 4.50 करोड़ रुपये राज्य सेक्टर में। इस नियत की गयी राशि में से 4.60 करोड़ रुपये का व्यय प्रत्याशित है —1.45 करोड़ रुपये केन्द्रीय सेक्टर में और 3.15 करोड़ रुपये राज्य सेक्टर में। इस प्रकार व्यय के लिये निर्धारित राशि से कुल मिलाकर 3.40 करोड़ रुपये कम खर्च होगा। केन्द्रीय सेक्टर में प्रतिवर्ष होने वाला व्यय नीचे दिया गया है। राज्य सरकारों से संबंधित यह सूचना उपलब्ध नहीं है :—

केन्द्रीय सेक्टर		व्यय	
1961—62	(वास्तविक आंकड़े)	43.96	लाख रुपये
1962–63	(,,)	27.66	,,
1963–64	(,,)	19.28	,,
1964–65	(,,)	29.09	,,
1965-66	(प्रत्याशित)	25.44	,,
		145.43	लाख रुपये
राज्य सेक्टर			
	(प्रत्याशित)	314.62	लाख रुपये
	योग	460.05	लाख रुपये

निर्धारित राशि से कम खर्च होने का मुख्य कारण तीसरी योजना की अवधि के दौरान दो बार संकट की स्थिति का घोषित किया जाना है जिसके परिणामस्वरूप पर्यटन-योजनाओं को केन्द्रीय व राज्य दोनों सेक्टरों में निम्नतर प्राथमिकता दी गयी। कुछ योजनाओं को मितव्ययिता के परिणामस्वरूप भी छोड़ देना पड़ा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के कैलेण्डर वर्षों में विदेशी मुद्रा का प्रत्याशित अर्जन निम्न प्रकार है:—

		करोड़ रुपये
1961	18.49	,,
1962	19.62	,,
1963	20.56	,,
1964 . . .	23.00	,,
1965	21.59	,,
योग	103.26	,,

पर्यटन के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ रुपये की राशि नियत की गयी है। इस नियत राशि के अन्तर्गत शुरू किया जाने वाला कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और यह योजना आयोग के पास अनुमोदन के लिये शीघ्र भेज दिया जायेगा। तब तक योजना आयोग में चौथी योजना के कार्यक्रमों पर राज्य सरकारों के साथ पहले से ही विचारविमर्श किया जा रहा है और केन्द्रीय राज्य सेक्टरों में कार्यक्रम के अन्तिम स्वरूप का दिसम्बर के मध्य तक पता लगाने की संभावना है।

खारी भूमि में खेती

829. श्री विश्व नाथ पाय : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी नये प्रकार के ऐसे खाद्यान्न का विकास किया गया है जिसकी क्षारीय अथवा नमक वाली भूमि में अधिक उपज हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र): (क) जी हां। धान की कुछ किस्मों का विकास किया गया है जिसकी क्षारीय अथवा नमक वाली भूमि में उपज हो सकती है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समान्वित योजना के अन्तर्गत एक अधिक उपज नमक प्रतिरोधी धान किस्म, पी० वी० आर० आफ 145 ड़ेजे मैचुरिटी का मद्रास में विकास किया गया है जो 2500 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर पैदा करने योग्य है।

आन्ध्र प्रदेश में एक अल्पावधि किस्म एम सी एम 2 का भी हाल ही में उसी राज्य के क्षारीय क्षेत्रों में विकास किया गया है। जो 120 दिन में पक जाती है और क्षारीय क्षेत्रों में 2800 कि० ग्राम हेक्टेयर उपज करती है। दूसरी किस्म एम० सी० एम० 2 का भी हाल ही में उसी राज्य के क्षारीय क्षेत्रों में विकास किया गया है।

पार्क होटल, कलकत्ता

830. **श्री मधु लिमये** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमीनचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह द्वारा सीमेंट तथा इस्पात के परमिट प्राप्त किये बिना कलकत्ता में पार्क होटल के निर्माण की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच अभिकरणों ने इस संबंध में कोई सामग्री तथा प्रमाण एकत्रित किये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस होटल के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने तथा इस सार्थ-समूह को दंड देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) अनौपचारिक रूप से, पर्यटन विभाग पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये होटल संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में कार्यवाही करता रहा है; और इस संदर्भ में होटल निर्माण की योजनाओं का अनुमोदन करता रहा है, तथा इस प्रकार के उद्यमों को बढ़ावा देने तथा पूरा कराने के लिये सहयोग देता व कतिपय उपस्कर तथा उपभोग के सामान के लिये अयात लाइसेंस जैसी सुविधाओं की सिफारिश करता रहा है। वैसे होटल चलाने के लिये लाइसेंस जारी करने का प्रश्न संबंधित राज्य के प्राधिकारियों के विवेकाधीन है। इस संदर्भ में कलकत्ता के मेसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल ने फरवरी, 1963 में पर्यटन विभाग के सामने पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में एक होटल बनाने का अपना प्रस्ताव रखा था। तत्सम्बंधित सारा ब्यौरा मिल जाने के बाद पर्यटन विभाग ने कमरों के किराये तै करने इत्यादि संबंधी कुछ शर्तों के साथ सितम्बर, 1963 में योजना का अनुमोदन कर दिया था। उन्हें सीमेंट, इस्पात संबंधी कोई परमिट जारी किये गये थे या नहीं, इस संबंध में स्थिति की जांच की जा रही है। जहां तक पर्यटन विभाग का संबंध है, उसके पास शुरू-शुरू में सीमेंट के आवंटन के विषय में उनका एक आवेदन-पत्र आया था, जिसे इसने अपनी शिफारिश के साथ राज्य सरकार को भेज दिया था। एक दूसरे अवसर पर, उन्होंने राज्य सरकार से अपनी आवश्यकतानुसार पूरा सीमेंट न मिल सकने के कारण एक बार फिर पर्यटन विभाग से अनुरोध किया था । पर्यटन विभाग ने उनके आवेदन-पत्र को उद्योग मंत्रालय को इस सिफारिश के साथ भेज दिया था कि उन्हें केन्द्रीय पूल में से सीमेंट दे दिया जाय। परन्तु उद्योग मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि होटल की आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य सरकार को ही करनी चाहिये।

(ख) केन्द्रीय जांच अभिकरणों के पास इस प्रश्न की विषयवस्तु के बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं है।

(ग) और (घ). होटल अभी बन रहा है, तथा इसके प्रबंध को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

Sugar Production

831. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) the quantum of sugar produced in the country during the season of 1965-66 up to the 31st October, 1966;

(b) the quantity of sugar which Government propose to earmark for consumption in the country; and

(c) the quantity of sugar to be exported?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) The production of sugar upto 22nd October 1966 is estimated at 34·98 lakh tonnes.

(b) The offtake of sugar from factories against releases during 1965-66 for internal consumption is estimated around 28 lakh tonnes.

(c) Sales of sugar for export during the period January to October, 1966 totalled 4·32 lakh tonnes.

केरल के पशुधन विकास सम्बन्धी सहायक

832. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में केरल राज्य के पशुधन-विकास सम्बन्धी सहायकों से उनकी पदोन्नति, उपलब्धियां तथा जोखिम भत्ता आदि के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) मामला केरल राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

राज्यों को रासायनिक खाद की सप्लाई

833. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 की दूसरी तिमाही में इस वर्ष के लिये निश्चित किये गये कोटों में से विभिन्न राज्यों को भिन्न-भिन्न रासायनिक खादों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ; और

(ख) यदि पहले दिये गये वचनों के अनुसार मांग की पूर्ति नहीं हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख). केन्द्रीय उर्वरक पूल से राज्यों को उर्वरक की अलाटमैन्ट तिमाही के आधार पर की जाती है । अभी तक उर्वरक तीन तिमाही अर्थात् अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर और अक्तूबर से दिसम्बर, 1966 तक अलाट किया गया है । जनवरी-मार्च, 1967 के कोटा के अलाटमेंट के बारे में दिसम्बर, 1966 के अन्त तक निर्णय किया जाएगा । तीन तिमाही अर्थात् अप्रैल से दिसम्बर, 1966, दूसरे तिमाही (जुलाई-सितम्बर, 1966) में की गई कुल सप्लाई और पहली अप्रैल से 20 अक्तूबर, 1966 तक की गई सप्लाई को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में

रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 7252/66।] अलाटमैन्ट के मुकाबले पूरी सप्लाई करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है किन्तु निम्नलिखित कारणों से सप्लाई कुछ हद तक धीमी पड़ गई है :—

(1) बिजली की सप्लाई में कमी आने के कारण नांगल तथा फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकल्ज़ ट्रावनकोर लिमिड अलवाये में रूड़केला में कोयला एवं गैस की अपर्याप्त सप्लाई के कारण उर्वरकों के आन्तरिक उत्पादन में बाधा पड़ गई थी।

(2) यू० एस० ऐड प्रोग्राम के अनुसार जहाजों के देर से पहुंचने के कारण आयात कम हुए।

(3) कुछ राज्य डिस्पैच आदेशों के देने में ढीले थे।

(4) तिमाही अवधि में राज्य सरकारें सड़क से उर्वरक लाने ले जाने में ढीली रहीं।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

834. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगातार लम्बी लम्बी लाइनों के कारण सुपर बाजार, नई दिल्ली से बड़ी संख्या में ग्राहक निराश होकर जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) नहीं। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। हालांकि यह सम्भव हो सकता है कि महीने के पहले हफ्ते में जबकि बहुत भीड़ होती है कुछ लोग निराश होकर लौट जाते हों।

(ख) जहां सामान्यतः लम्बी लम्बी लाइनें लगी रहती थीं वहां पर अतिरिक्त फलक (काउंटर) खोल दिये गये हैं और माल की सप्लाई बढ़ा दी गयी है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

835. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली सुपर बाजार से राजधानी के अन्य सहकारी भण्डारों की बिक्री पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) नहीं। दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थापित प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी भंडारों में अधिकतर राशन सुदा वस्तुओं की बिक्री होती है जबकि सुपर बाजार में ऐसी वस्तुओं की बिक्री नहीं होती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

836. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमा नाथ :
श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली सुपर बाजार द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका को जल तथा बिजली संबंधी बिलों की बड़ी राशि का भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बिलों के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) नहीं। सुपर बाजार द्वारा प्रयोग किये गये बिजली और पानी के लिये नई दिल्ली नगरपालिका समिति से कॉपरेटिव स्टोर लिमिटेड ने 8401.85 रुपये की राशि के जो दो बिल प्राप्त किये थे उनका भुगतान कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

837. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों द्वारा छोटी मोटी चोरी के कारण सुपर बाजार नई दिल्ली को बड़ी रकम का घाटा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाये गये कदाचार को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में ग्राम सेवक

838. श्री मुहम्मद कोया: क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में केरल ग्रामसेवक अराजपत्रित अधिकारी संस्था की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता।

839. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:

Pilot Training Centre, Nagpur

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra have recommended to the Central Government to set up a pilot training centre at Nagpur; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) No such recommendation has been received in the Department of Aviation from the Government of Maharashtra.

(b) Does not arise.

दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी समितियां

840. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में चल रही उपभोक्ता सहकारी समितियों के काम का मूल्यांकन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे घाटे में चल रही हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। सरकार ने दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में 30 जून, 1966 के समय तक चल रही 286 उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्य का मूल्यांकन किया है।

(ख) कुल 286 उपभोक्ता भंडारों में से 102 भंडारों को घाटा हुआ है।

(ग) भंडारों को इस प्रकार से चलाने की जिम्मेदारी कि उन्हें लाभ हो तो स्वयं समितियों की है। उन्हें उपयुक्त स्थान लेना चाहिए, अधिक सदस्य बनाने चाहिए, अधिक अंश-पूंजी एकत्र करनी चाहिए, प्रबन्ध करने सम्बन्धी क्षमता को सुधारना चाहिए, अपने व्यापार को बढ़ाना और उसमें विभिन्नता लाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार इन बातों पर निरन्तर बल देती रहती है।

2207(ai)LS—6.

अन्तर्राज्य नौपरिवहन

841. **श्री यशपाल सिंह** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अन्तर्राज्य नौपरिवहन के लिये इस देश की नदियों का किस हद तक उपयोग किया गया है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीवा रेड्डी) : (क) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन कार्यक्रम के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के रूप में 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

लाख का उत्पादन

842. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू मौसम में देश में लाख का कुल उत्पादन कितना हुआ है और मात्रा एवं मूल्य दोनों की दृष्टि से पिछले तीन वर्षों के इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कितने कम या अधिक हैं ;

(ख) देश में कच्चे माल के रूप में कितनी तथा कितने मूल्य की लाख उपयोग में लाई गई तथा कितनी और कितने मूल्य की लाख का निर्यात किया गया ; और

(ग) उत्पादकों द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाये इसके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख). वर्ष 1966-67 के प्रथम 6 महीनों में अर्थात् सितम्बर, 1966 के अन्त तक लाख का उत्पादन 212·68 लाख रुपए के मूल्य का 1·96 लाख क्विन्टल हुआ । गत 3 वर्षों तक की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7253/66]

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं किसानों को अच्छी किस्म का ब्रुडलैक सप्लाई करना, इस कार्य के लिए ब्रुडलैक फार्म स्थापित करना, लाख की खेती के उन्नत तरीकों को प्रदर्शित करना और मुख्य लाख उत्पादक राज्यों में लाख की कुसमी किस्म के उत्पादन के लिए पैकेज कार्यक्रम का संगठन । अन्य उपाय हैं—लैक स्पैशिलिस्ट सुपरवाइजर्स की नियुक्ति करना जो यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्रुडलैक की आवश्यकतायें समय पर पूरी की जाती हैं । इसके अतिरिक्त लाख के विपणन के सुधार के लिए ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी संस्थायें और मुख्य लाख उत्पादक राज्यों में सहकारी विपणन फैडरेशन संगठित किए जायेंगे । इस जिन्स के उत्पादन,

विकास, विपणन आदि के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए कृषि विभाग के अधीन केन्द्रीय स्तर पर एक लाख विकास परिषद् की स्थापना की गई है और विकास एवं विपणन की समस्याओं की ओर पूरा ध्यान देने और उपरोक्त परिषद् की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए रांची में एक क्षेत्रीय कार्यालय लाख विकास स्थापना की गई है।

Law Ministry Library

843. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the total number of books in the Library of Law Ministry and the number of books in Hindi at present;

(b) the number of newspapers and magazines subscribed for the Library and the number of Hindi publications among them;

(c) whether there is any scheme to enhance the number of Hindi newspapers and magazines in response to the increasing demand therefor; and

(d) if so, details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) Total number of books in the library is 27,703 out of which 80 books are in Hindi.

(b) The number of law magazines subscribed for the library is 93, all in English. No newspapers are subscribed for the library.

(c) No, as there are no magazines exclusively devoted to legal subjects published in Hindi.

(d) Does not arise.

Legal Advice tendered to State Governments

844. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether some fee is charged by the Central Agency Wing from the State Governments participating in the Central Agency Scheme for tendering them legal advice or for pleading cases on their behalf;

(b) if so, the amount of fee charged from them during the last five years; and

(c) the number of cases pleaded during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) The Central Agency Section of the Ministry of Law does not charge any fee from the participating States for tendering them legal advice or pleading cases on their behalf before the Supreme Court. The participating States only contribute towards expenditure of the Section at the end of the year according to the number and nature of cases received for being conducted by the Central Agency Section on their behalf in the Supreme Court, according to the agreed formula.

(b) Does not arise.

(c) A statement showing the number of cases conducted on behalf of the participating States is at Annexure-I. [Placed in Library. See No. LT-7254 66]. Statement showing expenditure incurred by the Central Agency Section and contribution of States towards the same is at Annexure-II. [*Placed* in Library. *See* No. LT-7254|66].

Cases filed by or against Government

845. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the number of cases filed by or against Government during the last five years, year-wise;

(b) the number of cases won and lost by Government separately and the number of cases still pending; and

(c) the amount spent on these cases and the amount given to the practising lawyers as their fees?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) to (c). The required information is not available with the Ministry. It will have to be collected from all the Ministries and Departments of the Government of India and being volumenous, will require much time for collection.

Appointment of Lawyers on Salary Basis

846. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the number of lawyers appointed at various places so far by Government on salary basis to plead cases and to do other legal work of the Central Government;

(b) the work entrusted to practising lawyers during the last five years and the amount of expenditure incurred thereon;

(c) whether there is any proposal to appoint some more lawyers on salary basis; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) There are no lawyers appointed by Government on salary basis. They are engaged on the basis of retainer's fee.

(b) The information will have to be obtained from the several administrative Ministries and Departments who in their turn will have to colltct the same from their subordinate offices all over India.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Import of Soya Bean Oil from U.S.A.

847. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government have also asked for Soya Bean Oil from U.S.A. under P.L.—480;

(b) if so, the quantity thereof; and

(c) the various uses to which it is likely to be put to?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) and (b). A request for supply of 1,50,000 tonnes of Soya Been oil under Title I of P.L. 480 during 1966 was made to the U.S. Government in April, 1966. So far, purchase

authorization has been received for about 32,000 tonnes and this quantity is now under import.

(c) The oil is intended for use in the manufacture of vanaspati.

Training in Hide-Flaying in India

848. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Ministtr of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.N. Food and Agricultural Organisation has decided to award scholarships to officers of the Afro-Asian countries for training in hide-flaying in India;

(b) if so, the number of scholarships to be awarded; and

(c) the number of Officers participating in the training?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) Yes.

(b) Information regarding number of fellowships to be awarded by the F.A.O. in future is not known.

(c) Three trainees, two from Nigeria and one from Cameroon, were awarded fellowships in Flaying in 1965.

Lighthouses

849. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are formulating a scheme to set up a number of lighthouses;

(b) if so, their number and the expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) the outlines thereof?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). 23 lighthouses, 22 lighted beacons and 4 Radio Beacons are proposed to be set up along the coast line of India during the IV Plan period at an estimated cost of Rs. 685 lakhs.

आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

850. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री दशरथ देव :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री महेश्वर नायक :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया के वनस्पतिशास्त्रज्ञ प्रोफेसर वी० वोजन्सकी ने, जिन्होंने हाल में भारत का दौरा किया था, 26 सितम्बर, 1966 को दिल्ली में कहा था कि शिमला स्थित आलू अनुसंधान संस्थान का कार्य संतोषजनक नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने संस्थान के उपकरणों, बीजों की किस्म तथा कृषि के तरीकों के प्रति असन्तोष व्यक्त किया है ; और

(ग) संस्थान के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, नहीं । 28 सितम्बर, 1966 को प्रकाशित हुए "टाईम्स आफ इण्डिया" के दिल्ली संस्करण में इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी । प्रोफेसर वोजन्सकी ने स्वयं "टाईम्स आफ इण्डिया" (दिल्ली) के सम्पादक को एक पत्र लिख कर 4 अक्तूबर, 1966 के प्रकाशन में इस समाचार का खण्डन किया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता । परन्तु चतुर्थ योजना की अवधि में केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के कार्यसंचालन में सुधार करने तथा सुविधायें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये जा चुके हैं जिनपर 134.90 लाख रुपये व्यय होंगे ।

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौका (ट्रालर) का डूब जाना

851. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई के निकट गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की एक मत्स्य नौका--कल्याणी तृतीय--डूब गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना कब हुई तथा मत्स्य नौका में चालक तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की किसी जांच के आदेश दे दिये हैं ;

(घ) जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) यह दुर्घटना जुलाई, 1965 में हुई थी जबकि डीप सी फिशिंग स्टेशन, बम्बई के एम० टी० कल्यानी तृतीय नामक पोत में 14 व्यक्ति सवार थे जिनमें से केवल एक व्यक्ति बच सका ।

(ग) मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट ने दुर्घटना के बारे में प्रारम्भिक जांच की है ।

(घ) जांच अधिकारी का मत है कि पोत में कुछ त्रुटियां थीं तथा साज-सामान और विशेषकर जीवन बचाने के उपकरणों का अभाव था ।

(ङ) डीप सी फिशिंग स्टेशन के पोतों में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जांच की गई है । रिपोर्ट विचाराधीन है ताकि पता चले कि सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जायें ।

वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

853. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में तिलहन, गन्ने, कपास, पटसन, तम्बाकू आदि वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की विशेष योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिये राज्यों को कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां । मूंगफली, कपास, पटसन तथा तम्बाकू के संबंध में ।

(ख) उर्वरकों को इस्तेमाल करके तथा उचित पौद रक्षा उपायों को अपना कर चुने हुए क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज बढ़ाना इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है । इस कार्य के लिए बनाई गई विशेष योजनाओं के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षेत्र को लाना है :—

(1) मूंगफली	7.00 लाख एकड़
(2) कपास	9.04 लाख एकड़
(3) जूट	4.25 लाख एकड़
(4) तम्बाकू	0.078 लाख एकड़

(ग) जहां तक मूंगफली, कपास तथा तम्बाकू योजनाओं का संबंध है चालू वर्ष के लिए सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है । खर्च में पौद रक्षा उपायों के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सहायता देना और मूंगफली के मामले में उन्नत बीजों के लिए 50 प्रतिशत सहायता देना इस खर्च में शामिल है । अतिरिक्त स्टाफ का खर्च पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है ।

पटसन फसल के फोलियर स्प्रे के लिए यूरिया मुफ्त सप्लाई की गई है और फोलियर स्प्रे के लिए कम मात्रा वाले पावर स्प्रेमर्स की 50 प्रतिशत कीमत केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई है ।

कोचीन पत्तन का विकास

854. **श्री मणियंगाडन** :
श्री किन्दरलाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन न्यास ने पत्तन के विकास के लिये क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार ने कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं और कार्यान्वयन की हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य सिफारिशों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये कोचीन पत्तन द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का, चौथी योजना

काल में कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का और चौथी योजना के कार्यक्रम से हटाई गई योजनाओं का तथा हटाये जाने के कारणों का ब्यौरा बताने वाला विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रख। गया, देखिए संख्या एल० टी० 7255/66]

Legal Assistance to the Poor

+

855. Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it has become very difficult for the poor people to get justice in the courts of law;

(b) whether it is also a fact that apart from the court fee, the expenses for engaging lawyers and other miscellaneous expenses of courts have increased so much that it has become difficult for a person earning upto Rs. 500 p.m. to bear them;

(c) if so, whether Government are formulating a scheme under which justice may be obtained at a very low cost or even free of cost; and

(d) if so, the nature of the scheme?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) No, Sir. The courts of law are open to all people, whether they are rich or poor and no distinction is made between the rich and the poor in the administration of justice.

(b) Administration of justice is a subject included in the State List and the grant of legal aid and assistance to the poor is, therefore, primarily the responsibility of the State Governments. However, the Government of India has also been giving its attention to the subject of legal aid to the poor since 1945. Attempts made by the Government of India to persuade the State Governments to formulate Schemes for providing substantial legal aid to the poor have not met with much success mainly due to the reluctance of the State Governments to undertake the heavy financial burdens involved in any comprehensive scheme of legal aid.

(c) and (d). Schemes for grant of legal aid to the poor have been made by the States of Andhra Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Rajasthan and West Bengal and also by the Union territories of Pondicherry, Goa, Daman & Diu, Himachal Pradesh and Dadra and Nagar Haveli. These schemes generally provide for the grant of legal assistance at Government's cost to undefended persons whose income does not exceed certain fixed limits, or who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and who have to institute or defend civil or criminal proceedings. The aid generally consists of assignment of a lawyer at the State's expense and in certain cases remission of court fees and other law charges too.

केन्द्रीय भेड़ पालन फार्म

856. श्री हेम राज : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 23 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3058 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल्लू के पास गदसा में केन्द्रीय भेड़ पालन (शीप ब्रीडिंग) फार्म के उपकेन्द्र में प्रयोग के रूप में दी गई विदेशी भेड़ों को वहां से हटा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन भेड़ों को किस स्थान पर भेजा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, हां। कुछ विदेशी भेड़े अनुसंधान उप-केन्द्र गेरसा (कुल्लू) से हटा ली गई हैं।

(ख) राजस्थान में केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्थान की परियोजना के अर्न्तगत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार इन विदेशी भेड़ों को स्थानान्तर किया गया है। यह एक यू० एन० साहाय्य परियोजना है जिसके साथ मालपुरा में केन्द्रीय स्टेशन और गेरसा (कुलू) तथा गन्नावनूर, (कोडाइकनल, मद्रास) में 2 उप-केन्द्र हैं। गेरसा में जो कार्यक्रम चलेगा—उसमें अच्छी ऊन का विकास, मन्नावनूर में वूल-कम-मटन (डबल प्रयोजन) भेड़ों की विदेशी किस्म को प्रचलित करना जिसमें मांस तथा ऊन गुण वर्तमान हैं किन्तु ऊन मध्यम किस्म की होती है। यह कार्यक्रम स्थानीय भेड़ों की जातियों को उन्नत करने की समस्या का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। गेरसा से जो भेड़ हटाई गई थी वे रोमनी मार्श (मोटी ऊन वाली) और साऊथ डाऊन मध्यम ऊन वाली मटन की किस्म थी। कुछ वर्ष हुए ये भेड़ें भेंट के रूप में प्राप्त की गई थीं और चूंकि कोडाइकनल केन्द्र स्थापित नहीं हुआ था इसलिए उन्हें गेरसा (कुलू) में रखा गया था। अब कोडाईकनल केन्द्र स्थापित हो गया है अतः भेड़ों को वहां रख दिया गया है। साथ ही विदेशी भेड़ें भी मालपुरा से गेरसा भेज दी गई हैं।

(ग) विदेशी भेड़ों को मन्नावनूर (कोडाइकनल) में केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान उप-केन्द्र में भेज दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया चावल

857. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य निगम की स्थापना के समय से लेकर सितम्बर, 1966 के अन्त तक इसके द्वारा विभन्न राज्यों में चावल या धान की कितनी मात्रा खरीदी गई ;

(ख) 1965 में और सितम्बर, 1966 में खाद्य निगम द्वारा चावल या धान किन-किन मूल्यों पर खरीदे गये थे ;

(ग) खाद्य निगम ने चावल या धान इस वर्ष किन कीमतों पर बेचा ; और

(घ) 1965–66 में कितनी रकम का माल खरीदा गया और विक्रय द्वारा कितनी रकम प्राप्त हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क), (ख), (ग) और (घ) भारत के खाद्य निगम से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में चावल का मूल्य

858. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1966 में खाद्य निगम तथा धान कूटने वाली मिलों के मालिकों के गोदामों से गुण्टूर जिला तथा आन्ध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में फुटकर दुकानों को चावल किन मूल्यों पर दिया गया था ;

(ख) फुटकर दुकानों में यह चावल किन मूल्यों पर बेचा गया था ;

(ग) क्या धान कूटने वाली मिलों के मालिकों तथा खाद्य निगम द्वारा दिये गये तथा बेचे गये चावल के मूल्यों में कोई अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख), (ग) और (घ) भारत के खाद्य निगम से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों से खाद्य उपहार

859. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिए इस वर्ष सितम्बर, 1966 के अन्त तक विदेशों से उपहार के रूप में कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए ;

(ख) क्या विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त खाद्य पदार्थों का कोई अंश बाजार में बेचा गया था ;

(ग) यदि हां, तो उनकी बिक्री से कितनी आय हुई ;

(घ) बिक्री से प्राप्त आय का किस प्रकार उपयोग किया गया ; और

(ङ) बिक्री से प्राप्त आय का किन क्षेत्रों में उपयोग किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया , देखिए संख्या एल० टी० 7256/66**]

(ख) से (ङ) दुग्ध चूर्ण, सूखे मटर, फलियां, बिस्किट्स और बाल आहार के उपहार कमी वाले क्षेत्रों को वहां पर लोगों में नि:शुल्क वितरण करने के लिये भेज दिये गये हैं । विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त हुए 54,756 मीट्रिक टन गेहूं और कनाडा से प्राप्त हुए 3,971 मीट्रिक टन गेहूं के आटे के अलावा सारे खाद्यान्न के उपहारों को विदेशों से आयातित खाद्यान्नों के साथ साथ वितरण के लिये खाद्यान्न के सामान्य भंडार में मिला दिया गया है । सोवियत संघ से 6,000 मीट्रिक टन वनस्पति तेल वनस्पति निर्माता संघ को बेच दिया गया है । यूनान से उपहार के रूप में प्राप्त हुई किशमिश को भी बेचने का निर्णय किया गया है ।

केरल में खाद्यान्नों की ढुलाई

860. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचीबावा :
श्री दशरथ देव :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री प० कुन्हन :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने केरल के विभिन्न भागों को मालवाहक नावों से खाद्यान्नों की ढुलाई बन्द कर दी है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के इस निर्णय के परिणामस्वरूप अब तक कितने मजदूरों की नौकरियां समाप्त हुई हैं ;

(घ) क्या इस संबंध में नाबीगा थोझिलाई ऐल्या समिति ने भारतीय निगम को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम कोचीन से एल्लेपी तक खाद्यान्नों की ढुलाई पहले की तरह नावों द्वारा ही कर रहा है। 1-9-1966 से कोचीन बन्दरागह के शैडों में जमा हो गये स्टाक हटाने के कार्य को शीघ्र समाप्त करने हेतु नावों के साथ-साथ आवश्यक न्यूनतम हद तक अनाज का परिवहन लारियों से भी किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) : कोचीन से एल्लेप्पी तक सड़क द्वारा अनाज के परिवहन के विरुद्ध नाबीगा थोझिलाई संघ से भारतीय खाद्य निगम को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और वह निगम के विचाराधीन है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा विदेशी अतिथियों को पार्टियां

861. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने गत एक वर्ष में भारत आये विदेशी अतिथियों को कितनी पार्टियां दी हैं ; और

(ख) इन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1 अक्तूबर, 1965 से 30 सितम्बर, 1966 तक 28 पार्टियों की व्यवस्था की गई।

(ख) 13,427.45 रुपये।

National Gardens, Agra

862. Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri R. S. Tiwary:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to develop the surrounding areas of the Taj and Fort at Agra as national gardens;

(b) if so, when; and

(c) the total expenditure to be incurred thereon?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) (a) to (c). On the basis of recommendations made by the Working Group constituted by the Department of Tourism, it has been decided to develop a National Park near the Taj Mahal at Agra. The Park will cover the existing Shah Jahan Gardens and the extensive area between the Circuit House and the Shah Jahan Gardens. A provision of Rs. 60 lakhs has been proposed in the draft Fourth Five Year Plan for this scheme. It will be taken up in the next financial year and completed by the Fourth Plan period.

केरल सरकार के पास ड्रेजर

863. श्री इम्बीचीबावा :
श्री नम्बियार :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों की सफाई करने के लिये केरल सरकार के पास पर्याप्त संख्या में ड्रेजर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या ये ड्रेजर केरल में छोटे पत्तनों के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं, केरल के छोटे पत्तनों में ड्रेजिंग कार्य के लिये कोई उपयुक्त ड्रेजर राज्य सरकार के पास अब उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में सहकार मंत्रियों का सम्मेलन

864. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में राज्यों के सहकार मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया ;

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये ; और

(घ) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण जिसमें उन विषयों का ब्योरा जिन पर विचार किया गया था तथा सम्मेलन के निष्कर्ष/सिफारिशें दी गई हैं, संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 7257/66]**

(घ) वे सिफारिशें जिन पर केन्द्रीय सरकार ने कार्यवाही करनी है, विचाराधीन हैं। अन्य सिफारिशें आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

व्योम बालाओं और विमान चालकों का विवाद

865. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के आरम्भ में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों के दौरान व्योम बालाओं और विमान चालकों के बीच कलकत्ता और हैदराबाद में और दूसरे दिल्ली और नागपुर के बीच हुई घटनाओं की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री(श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग) इंडियन एयर लाइन्स ने उन दो घटनाओं की जांच पूरी कर ली है जो कि 2–1–66 और 30–1–66 को क्रमश: कलकत्ता /भुवनेश्वर /विशाखापटनम/ हैदराबाद उड़ान तथा दिल्ली/लखनऊ/भोपाल/ नागपुर उड़ान पर हुईं। एक मामले में जो कि 2–1–66 को हुआ जांच अधिकारी ने व्योम-बालाओं को उन पर लगाये गये आरोपों के बारे में दोषी ठहराया। क्षेत्र प्रबन्धक ने जांच परिणामों को स्वीकार कर लिया और उन्हें उन पर लागू समय मान (टाइम स्केल) में उनके वेतन को दो स्टेजों द्वारा घटा देने का दण्ड दिया। दूसरे मामले में जो कि 30–1–66 को हुआ जांच अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि —

(क) कमांडर के पास वायुयान को रवाना होने के स्थान से पार्किंग बे तक वापस लाने का कोई वैध कारण नहीं था। उपर्युक्त इस कार्य से वह विमान सेवा को चलाने की अपनी ड्यूटी को निभाने में असफल रहा है और वह इस आरोप के बारे में दोषी है।

(ख) व्योमबाला कमांडर के आदेशों का पालन करने से इन्कार करने तथा क्षेत्र प्रबन्धक दिल्ली की ओर से उसे दिये गये पत्र को स्वीकार करने से इन्कार करने के आरोप के बारे में दोषी है।

क्षेत्र प्रबन्धक ने जांच परिणामों को स्वीकार कर लिया और निम्न दण्ड दिया :—

(i) व्योमबाला को उसके वेतन को दो स्टेजों द्वारा घटा देने का दण्ड दिया गया;

(ii) कमांडर के नाम भविष्य में और अधिक सावधान रहने के लिए एक चेतावनी पत्र जारी किया गया।

आसाम के गोदी-बाड़ा

866. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पयटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदी-जलयानों के निर्माण तथा मरम्मत के लिये आसाम में एक गोदी-बाड़ा के निर्माण के लिए किसी योजना की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य-क्षमता सहित इसकी योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

विस्तार प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन

867. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 2 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1026 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्तार प्रशिक्षण सम्बन्धी तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) जी, हां । भारत सरकार द्वारा सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और जहां सम्भव हुआ वहां कार्यवाही की गई है । अधिकतर सिफारिशें राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखती हैं , अतः उन्हें राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है ।

बीजों के उत्पादन में सहायता के लिये बिजली

868. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1966 के "लन्दन टाइम्स" में "ए शाक फार दि सीड्स : इलैक्ट्रिसिटी टु ऐड ग्रोथ" (बीजों को बिजली लगाना : उत्पादन में सहायता करने के लिये बिजली) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जैसा कि उसमें बताया गया है भारत में घास, चावल, चाय तथा कपास का बिजली से उत्पादन करने के बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : खेत की फसलों तथा वृक्षों पर विद्युतयुक्त जल में बीजों को जलसिक्त करके विद्युतयुक्त जल से फसलों की सिंचाई करके और भूमि पर विद्युत लगा कर 1931-49 के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए गए हैं किन्तु कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकले सलिए यह कार्य जारी नहीं रखा गया।

पश्चिम घाट राष्ट्रीय राजपथ

869. **श्री नाथ पाई :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री हेम बरुआ :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम घाट राष्ट्रीय राजपथ को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) इस राजपथ के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) वैस्ट कोस्ट सड़क के निर्माण से प्राप्त प्रगति इस प्रकार है। यह महाराष्ट्र गोआ मैसूर और केरल हो कर जाती है और राष्ट्रीय मुख्य मार्ग नहीं है।

महाराष्ट्र : 301 मीलों में से 261 मील सब तरह से पूर्ण हो गये हैं। गोआ से सड़क मिलाने के लिए अकेरी से पटरा देवी की 14 मील का गायब टुकड़ा अभी ठीक किया जाना है। 26 मीलों की शेष लम्बाई में कालीसतह या कंकरीट कार्य हो रहा है। 111 बड़े और छोटे पुलों में से 108 पूरे हो गये हैं एक पर काम हो रहा है और दो पर काम करना शेष है।

गोआ : 87 मीलों में से लगभग पूरी सड़क केवल उत्तर में 10 मील की लम्बाई छोड़ कर जो गोआ को महाराष्ट्र से जोड़ती है ; गोआ के स्वाधीन होने से पूर्ण ही बना ली गई है मगर अभी इसे ऊंचा करना और सतह में सुधार करना शेष है वो किया जा रहा है। 10 मील के गायब टुकड़े पर भी काम हो रहा है। दक्षिण भाग में लगभग तीन मील की लम्बाई में संरेखण होना है और इसे 1967-68 में किये जाने का प्रस्ताव है। सड़क को तीन नदियां यथा कोलवाले मंडावी और जुआरी काटती हैं। मंडावी के पुल का काम प्रगति पर है और बाकी दो नदियों का काम हाथ में लिया जाना है।

मैसूर : 175 मीलों में से, 92 मील की सड़क पूरी हो गई है। कारवार से गोआ तक 9 मील की सड़क का निर्माण किया जाना है। बाकी लम्बाई में काम विभिन्न अवस्थाओं में प्रगति है। 29 बड़े और छोटे पुलों में से 25 पूरे हो गये हैं, तीन प्रगति पर हैं और एक का काम शेष है।

केरल : लगभग 199 मील में से 175 मील पूरे हो गये हैं। बाकी भाग में काम प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है। 31 बड़े और छोटे पुलों में से 25 पूरे हो गये हैं और बाकी पांच पर प्रगति हो रही है और एक का काम शेष है।

(ख) संबद्ध सरकारों द्वारा रिपोर्ट किये गये व्यय की दशा निम्न है :—

		(रु० लाख में)
(1)	महाराष्ट्र	5.80
(2)	गोआ	0.72
(3)	मैसूर	6.59
(4)	केरल	2.94
	जोड़ :	16.05

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सड़क के सम्पूर्ण रूप से पूरी हो जाने की आशा है।

Agitation by Milk Suppliers

870. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the milkmen who supply milk to the Delhi Milk Scheme had staged a demonstration in the first week of October, 1966 at the residence of Lt. Governor in support of their demands;

(b) whether it is also a fact that about 114 milk suppliers were arrested in this regard; and

(c) if so, the action taken by Government on their demand?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) The demonstration in the first week of October, 1966 at the residence of Lt. Governor was organised by the milk and khoa suppliers who had grievances against the khoa traders of Delhi. To the best of our knowledge, no Delhi Milk Scheme milk contractor was involved in this demonstration.

(b) Yes, Sir.

(c) The information is being ascertained from the Delhi Administration and will be laid on the Table as soon as possible.

I.A.C. Dakota Damaged at Santa Cruz

871. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Dakota of the Indian Airlines Corporation was damaged at Santa Cruz Airport in the first week of September, 1966;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the extent of loss to life and property?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) During through flight inspection of an Indian Airlines Corporation Dakota at Bombay on the 8th September 1966, a dent at the trailing and inboard edge of the port aileron was observed by the engineer. The aircraft was grounded at Bombay for rectification and a standby Dakota operated the next scheduled service.

(b) The incident is under investigation by an Indian Airlines Corporation Board of Enquiry.

(c) There was no loss of life and property except a small dent on the port aileron observed during through flight inspection at Bombay.

केरल के वाडगे तीर की मात्स्य क्षमता

872. **श्री प० कुन्हन :**
श्री उमानाथ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दक्षिण केरल के तट पर वाडगे तीर की मात्स्य क्षमता बहुत अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि वाडगे तीर पर उपलब्ध विशाल मत्स्य सन्साधनों का अभी तक पूरी तरह लाभ नहीं उठाया गया है ; और

(ग) यदि पूरी तरह से इस तीर से मछलियां प्राप्त की जायें तो उनकी अनुमानित वार्षिक उपलब्धि कितनी होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। अनुसंधानों से पता चला है कि मछली पकड़ने के लिए यह एक अच्छा स्थान है।

(ख) जी हां। यह ठीक है कि अभी तक इस तीर से पूरा लाभ नहीं उठाया गया है। विजिन्झम स्थिति मछली पकड़ने के बन्दरगाह के पूरा होने पर ही पूर्ण रूप से लाभ उठाया जा सकेगा।

(ग) वार्षिक उपलब्धि के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इस तीर से मध्य श्रेणी की नाव की सहायता से एक घंटे में 500 पौण्ड मछलियां पकड़ी जा सकती हैं।

सारडीन तथा मैकरेल मछलियों का तेल

873. **श्री प० कुन्हन :**
श्री उमानाथ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आमतौर पर भारत के लिए और विशेषत: केरल के लिए सारडीन तथा मैकरेल मछलियों के तेल का कितना महत्व है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सारडीन तथा मैकरेल मछलियों के पकड़ने से सम्बन्धित कई समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई स्टेशन स्थापित किया है जिससे कि इन मछलियों को अधिक से अधिक संख्या में पकड़ा जा सके ; और

(ग) भारत में किसी एक वर्ष में जितनी समुद्री मछलियां आई हैं उनमें से कितनी प्रतिशत आयल सारडीन तथा मैकरेल मछलियां केरल के समुद्र तट पर आई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सारडीन तथा मैकरेल मछलियां, जिनका देश में मछलियों के उत्पादन में काफी बड़ा स्थान है, के आर्थिक महत्व को स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) जी हां । निम्न अनुसंधान संस्थान सारडीन तथा मैकरेल मछलियों से संबद्ध विभन्न समस्याओं का अध्ययन करते हैं । अध्ययन का अभिप्राय उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने में सहायता देना है :—

(1) केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान के एर्नाकुलम, कालिकट, करवार स्थिति उपकेन्द्र तथा कन्नानौर तथा मंकगलौर स्थिति एकक ।

(2) केन्द्रीय मछली तकनौलौजी संस्थान एर्नाकुलम तथा कालिकट स्थिति एकक ।

(3) केरल सरकार के अधीन समुद्रीय जीवाणु केन्द्र, कालिकट ।

(ग) भारत में किसी एक वर्ष में कितनी समुद्रीय मछलियां आई हैं व उनमें से कितनी प्रतिशत आयल सारडीन तथा मैकरेल मछलियां केरल के समुद्र पर आयी हैं, इसके बारे में ठीक से कुछ कहना कठिन है क्योंकि यह प्रतिशत प्रतिवर्ष बदलता रहता है । 1956 से 1965 के दस वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(1)	आयल सारडीन	0.70 प्रतिशत से 26.58 प्रतिशत । औसत प्रतिशत 16.44 प्रतिशत ।
(2)	मैकरेल	1.12 प्रतिशत से 7.46 प्रतिशत । औसत 3.54 प्रतिशत ।

पर्यटन केन्द्रों के रूप में भाखड़ा और नांगल बांध

874. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में भाखड़ा और नंगल बांध का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना का ब्योरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). भाखड़ा में 5 लाख रुपये की लागत से एक रेस्टोरेन्ट बनाने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी कर दिया गया है और भाखड़ा डाम प्रशासन इस कार्य को तत्काल शुरू कर रहा है । रेस्टोरेन्ट के आगामी वर्ष तक तैयार हो जाने की आशा है । रेस्टोरेन्ट के चालू हो जाने के बाद गोविन्दसागर

भरतल में जल क्रीड़ाओं के लिए एक फ्लोटिंग जेटी तथा मोटर वोटों व पाल-नौकाओं के व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी है। पर्यटन के विकास के लिए चौथी योजना के कार्यक्रम में उपर्युक्त सुविधाओं के लिए व्यवस्था कर दी गई है । नंगल में पर्यटकों के लिए सुविधायें प्रदान करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है । नंगल और नया नंगल में मौजूदा अवास स्थान पर्याप्त समझा जाता है ।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

875. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा**: क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आलोचना का पता है कि सुपर बाजार नई दिल्ली में जो आम जनता की आवश्यकताओं की अपेक्षा उच्च अथवा मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की अधिक पूर्ति करता है, लगाये गये धन को यदि आम जनता की जो कि अधिक संख्या में हैं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम में लगाया जाता तो अधिक अच्छा होता ; और

(ख) यदि हां तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). जी नहीं । सुपर बाज़ार मुख्यतया आम जनता द्वारा अपेक्षित वस्तुओं में कारोबार करता है । आलोचना निराधार है ।

अधिक उपज वाली किस्म की अनाज की फसलों के लिये ऋण

876. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सहकारी बैंकों तथा रिर्जव बैंक में प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण बहुत से राज्यों में कृषकों को अधिक उपज वाली किस्म की फसलों की आवश्यकतायें पूरी नहीं की जातीं ;

(ख) यदि हां तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां क्या हैं; और

(ग) उन राज्यों के लिए जो अधिक उपज वाली किस्म की अनाज की फसलों के लिए पूरे धन की व्यवस्था नहीं कर सकती हैं क्या मार्गोपाय अपनाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम में भाग लेने वाली सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों की ऋण सम्बन्धी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सहकारी बैंकों के लिए ऋण की विशेष सीमायें निश्चित की हैं । इसके अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, कार्यक्रम में भाग न लेने वाले सदस्यों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी तकावी की व्यवस्था की गई है ।

Taichung Native-I Paddy Crop

877. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the total acres of land where Taichung Native-I Paddy has been sown so far; and

(b) the approximate increase in production of paddy achieved thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Taichung Native-I Paddy was sown over 5.82 lakh acres approximately in different States during the Kharif 1966 season.

(b) Full statistical information about the increase in yields obtained from Taichung Native-I is not yet available.

सहकारी खेती के सम्बन्ध में गाडगिल समिति का प्रतिवेदन

878. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री 2 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 953 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी खेती के सम्बन्ध में गाडगिल समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग के परामर्श से कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने सहकारी खेती निदेश समिति की सिफारिशें मान ली हैं । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को एक नीति सम्बन्धी पत्र लिख दिया गया है ।

Seed Farms and Agricultural Implements Service Station in States

879. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a scheme to set up a seed farm and an agricultural implements Service Station in every State; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) and (b). It is proposed to set up a number of Central Seed Farms and Agricultural Service Stations in the country during the Fourth Five Year Plan. The Farms will undertake mainly the production of improved Seeds and will be established in States where large-sized tracts of cultivable land are available.

The Agricultural Service Stations will provide to the farmers facilities for repairs, maintenance, and hire of agricultural implements and machinery

and will be establshided where sufficient scope for the utilisation of the same on an economical basis can be found.

बेनेट कोलमैन कम्पनी

880. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैनेट कोलमैन कम्पनी के मामले की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). निरीक्षक जिस की मूल रूप से 1963 में नियुक्ति की गयी थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में प्रकटाई गई अनियमिताओं के आधार पर समवाय अधिनियम की धारा 388 ख तथा 398 और 401 के चधीन समवाय अधिकरण के समक्ष दो याचिकाएं प्रस्तुत कर दी गई हैं। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान में भी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकरा दी गई हैं। समवाय अधिनियम की धाराओं 398 और 401 के अधीन भारत सरकार की याचिका की सुनवाई समवाय अधिकरण द्वारा हर महीने होती है और जिस की समाप्ति पर समवाय अधिनियम की धारा 402 के अधीन समवाय अधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जायेंगे ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों द्वारा परीक्षण उड़ान भरने से इन्कार

881. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 अक्तूबर 1966 को बम्बई में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान-चालक ने एक विमान को परीक्षण उड़ान के लिए उड़ाने से इंकार कर दिया था जिसके फल-स्वरूप कलकत्ता जाने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर 8 घंटे से भी अधिक समय रुकना पड़ा था और गोआ तथा हैदराबाद की विमान सेवायें रद्द कर दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) जनता के लिए असुविधा पैदा करने वाले ऐसे विवादों को उत्पन्न न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). इंडियन एयरलाइन्स के जनरल मैनेजर ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के उपाय निकालने की दृष्टि से 18 अक्तूबर 1966 को इंडियन कर्मशियल पायलाट्स एसोसियेशन और इंजीनियर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायी । ऐसे मसलों पर जिन पर कि पायलटों और इंजीनियरी विभाग के बीच मतभेद है विचार-विमर्श करने के लिए क्षेत्रों में नियत-कालिक बैठकें बुलाने का प्रबन्ध किया गया है ।

गुजरात राज्य में चीनी के कारखाने

882. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में तथा इस वर्ष अब तक गुजरात राज्य चीनी सहकारी समितियों से चीनी के कारखानों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितनी सहकारी चीनी समितियों को आशय-पत्र मिल चुके हैं ;

(ग) क्या औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण दिये जाने से इन्कार करने के कारण इन सहकारी चीनी कारखानों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) वर्ष 1965 और 1966 में गुजरात राज्य में सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) गुजरात राज्य में 1965 और 1966 में दो सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना के लिए अधिकार पत्र जारी किये गये थे । ये उन आवेदन पत्रों में से थे जो 1965 से पहले प्राप्त हुए थे ।

(ग) और (घ). गुजरात राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में कहा गया है कि ऋण के आवेदन पत्र काफी समय से अनिर्णीत पड़े हुए हैं । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपने सीमित साधनों तथा उच्च प्राथमिकता वाले कई उद्योगों से भारी मांग के कारण चीनी उद्योग को उतनी सहायता देने में असमर्थ है जितनी वह उन्हें पहले देता रहा है । मामला विचाराधीन है ।

Jeeps in Development Blocks

883. **Shri Kishen Pattnayak:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state the number of jeeps utilised at present in Development Blocks and the number of such Development Blocks?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): 4,038 jeeps have been supplied to the 5,263 blocks into which the country has been delimited. The exact number of jeeps actually working at present is not available.

Rise in Prices of Foodgrains in Punjab

884. **Shri Shinkre:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Ramachandra Mallick:
Shri Sudhansu Das:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of wheat at Amritsar, Jullundur, Ludhiana and Ambala in Punjab has gone up to Rs. 100 per quintal;

(b) whether it is also a fact that rice is not at all available there; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) No, Sir.

(b) As there are no restrictions on the free movement of rice within Punjab and as the new crop has just arrived, it is not likely that rice is not at all available. However, the State Government have been requested to enquire into this matter and the information when received will be placed before the Sabha.

(c) Punjab is surplus in rice. There is, therefore, no question of supplying any rice from Central stocks. Imported wheat is, however, regularly being supplied to the State.

पूर्वी पाकिस्तान को चावल का चोरी छिपे ले जाया जाना

885. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान को चोरी छिपे चावल ले जाये जाने के कोई मामले पकड़े गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT

दिल्ली की घटनायें

अध्यक्ष महोदय : मुझे आठ स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । ये नई दिल्ली में हुई 7 नवम्बर की घटनाओं के बारे में हैं। मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं । अब श्री हुकम चन्द कछवाय सभा में अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखें ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I ask for the leave of the House to move my adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुमति दिये जाने के बारे में किसी को आपत्ति है ।

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : हमें आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : आपत्ति की गई है । अतः मैं उन माननीय सदस्यों से जो कि अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं कहता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें . . . . ।

केवल 22 माननीय सदस्य खड़े हुए हैं । स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है ।

अगला स्थगन प्रस्ताव श्री प्रकाशवीर शास्त्री का है। यह भी उसी प्रस्ताव के अनुसार है। एक प्रस्ताव श्री मधु लिमये का है। यह भी उसी प्रकार है। एक अन्य स्थगन प्रस्ताव श्री स० मो० बनर्जी का है। इसमें दिल्ली में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। इस के बाद डा० राम मनोहर लोहिया का प्रस्ताव आता है। इस में सात व्यक्तियों की पुलिस गोली से मरने की बात उठायी गई है। क्या सभा इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति प्रदान करती है?

श्री सत्य नारायण सिंह : जो नहीं, मुझे इस प्रस्ताव पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों से जो अनुमति दिये जाने के समर्थन में हैं कहूंगा कि अपने स्थानों पर खड़े हो जायें........। केवल 30 सदस्य खड़े हुए हैं। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।

अब मैं श्री हेम बरुआ की सूचना लेता हूं। उन्होंने नागरिकों की सम्पत्ति की सुरक्षा करने में सरकार की असफलता का प्रश्न उठाया है। क्या उन को अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति है?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे इस पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जायें.......। केवल 45 सदस्य खड़े हुए हैं। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।

अब मैं श्री रंगा द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को लेता हूं। इन्होंने कल संसद भवन के निकट दुखद घटनाओं का ज़िक्र किया है और इस बारे में भारत सरकार की असफलता बतायी है। मैं इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता हूं। अब श्री रंगा सभा से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति ले सकते हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं सभा से अपने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुमति दिये जाने के बारे में किसी को आपत्ति है?

श्री सत्य नारायण सिंह : जी हां, मुझे आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जायें........। केवल 40 सदस्य खड़े हुए हैं। अतः स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।

सभा ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनमति नहीं दी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार यन्त्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1966

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1966

की एक प्रति, जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1265 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7234/66]

भारत स्थित चीन के दूतावास को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिया गया नोट

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा 4 नवम्बर, 1966 को भारत स्थित चीन के दूतावास को दिए गए नोट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7235/66]

राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य के बारे में जारी की गई उद्घोषणा के प्रतिसंहरण करने की उद्घोषणा

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 1 नवम्बर, 1966 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति, जिसके द्वारा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 5 जुलाई, 1966 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया और जो दिनांक 1 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1677 में प्रकाशित हुई थी। सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7236/66]

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE. CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : क्या मैं यह जान सकता हूं कि आपने इस सत्र के दौरान कोई ध्यान दिलाने वाली सूचना न लेने का निर्णय किया है? आप ने एक भी सूचना लिये जाने की आज्ञा नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। प्रत्येक सूचना पर ध्यान से विचार किया जाता है और उसके बाद निर्णय किया जाता है।

श्री रंगा (चित्तूर): मैंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

Shri Madhu Limaye (मुंगेर) : People are dying of starvation in Bihar. It has not been taken up.

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

भारतीय तार यंत्र (चौथा संशोधन) नियम

संचार तथा संसद्-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (चौथा संशोधन)

नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1493 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7238/66]

खाद्य निगम (नवां संशोधन) नियम, 1966

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : श्री गोविन्द मेनन की ओर से मैं निम्न पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :—

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (नवां संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1576 में प्रकाशित हुए थे [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7237/66]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) खाद्यान्न (मांग के निर्माण में प्रयोग का निषेध) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1382 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 1432 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

(तीन) चना क्षेत्र (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1433 में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) पश्चिमी बंगाल अत्यावश्यक वस्तु (वहन पर प्रतिबन्ध) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1435 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (वहन नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश 1966 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1504 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7239/66]

परिसीमन आयोग के दिनांक 26 मार्च, 1966 के आदेश संख्या 6 में कुछ शुद्धियां करने वाले आदेश

श्री हाथी : मैं श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् की ओर से निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा गुजरात

राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 26 मार्च, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 6 में कतिपय शुद्धियां की गईं :—

(एक) आदेश संख्या 6क जो दिनांक 20 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2213 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) आदेश संख्या 6ख जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० 2457 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7240/66]**

केरल मोटर गाड़ी करारोपण नियम इत्यादि, 1963

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्-घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 346/66 की एक प्रति जो दिनांक 13 सितम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा केरल मोटर गाड़ी करारोपण नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7241/66]**

(2) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) अधिसूचना संख्या 100/66/एफ० संख्या 68–334/66–पब० जो दिनांक 12 अगस्त, 1966 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (स्टेज कैरेजों के लिए कंडक्टरों को लाइसेंस देना) नियम, 1961 में एक संशोधन किया गया ।

(दो) अधिसूचना संख्या 130/66/एफ० संख्या 68–334–66–पब० जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1966 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह मोटर गाड़ी नियम, 1939 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7242/66]**

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 350/66 की एक प्रति जो दिनांक 20 सितम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7243/66]**

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7244/66]**

(2) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7245/66]**

(3) भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7246/66]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

श्री श्यामधर मिश्र : मैं श्री शिन्दे की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1622 की एक प्रति, जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7247/66]**

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

(श्री रामेश्वरानन्द)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि नई दिल्ली के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट के दिनांक 7 नवम्बर, 1966 के एक संदेश में सूचना दी गई है कि लोक-सभा के सदस्य स्वामी रामेश्वरानन्द को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 120बी/395/188/147/148/149/307/332/436 और पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 के अधीन 7 नवम्बर, 1966 को हिरासत में लिया गया है और उन्ह 20 नवम्बर, 1966 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया गया है। **(अन्तर्बाधायें)**

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

सत्तानवेवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्तानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में

RE. ARREST OF MEMBER

Dr. Ram Manohar Lohia: I have received information about the arrest of Swamiji. He was detained in Police station. I am surprised to find that only number of vehicles burnt has been stated but not the names of persons killed.

(अन्तर्बाधाएं) ***

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia: I do not mind if it not recorded, but the House should know and the Home Minister...**

(अन्तर्बाधाएं)

Mr. Speaker: This will not be recorded.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Sadhus have been killed. Their names should be given (*Interruptions*) * *

Dr. Ram Manohar Lohia: * *

Mr. Speaker: I request the Press. They should not publish anything that has not been recorded. Shri Kachhavaiya's behaviour is grossly disorderly. He should go out.

(श्री हुकम चन्द कछवाय सभा भवन से बाहर चले गए)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya left the House.

(अन्तर्बाधाएं)

Shri Yashpal Singh (Kairana): The hon. Home Minister had said that he had not got the full facts and he would make a statement afterwards. I want to know when a fuller statement would be made?

Mr. Speaker: Yes, I would request the hon. Minister to give full facts.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं चाहता हूं कि आप सरकार से कहें कि वे मरने वालों के नाम बतायें ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

Shri Madhu Limaye (Munghyr): Sir, I want to know as to why the All India Radio and P.T.I. have broadcast charges against Shri Rameshwaranand?

Mr. Speaker: In this connection it can be stated that a report has been registered with Police and the Home Minister has told the House about that.

Shri K. D. Malaviya (Basti): We forego all types of insults, but the opposition parties are responsible for the happenings of yesterday.†

**कायवाही के वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

†अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

†Expunged as ordered by the Chair.

श्री रंगा (त्रिचूर) : हमारे प्रस्तावों पर चर्चा की अनुमति नहीं मिली परन्तु आप ने श्री मालवीय को यह सब कहने की आज्ञा दे दी है । **

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : **

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं दोनों पक्षों के सदस्यों का आभारी हूं । मैं श्री मालवीय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । **

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इसे कार्य से निकाल दिया जाये ।

The Minister of Communication and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narain Sinha): Of late it has become a regular tendency with the opposition to level baseless charges. Unless there is a *prima facie* case and the members are convinced of the facts such gross charges should not be made * *

Shri Hari Vishnu Kamath: I want to say that an impartial inquiry should be conducted on the yesterday's happenings. Thereafter we would know who is guilty. There is no use of making allegations against any one?

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

मद्रास चक्रवात (साइक्लोन) के कारण हुई क्षति के बारे में वक्तव्य

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): मैं मद्रास में 3 नवम्बर, 1966 को चक्रवात के कारण जहाजों को पहुंची क्षति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्कालय में रखा गया दखिये संख्या एल० टी० 7248/66]**

नियम 338 की निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION *RE.* SUSPENSION OF RULE 338

कार्य मंत्रणा समिति

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कार्य मंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन के विषय में 3 नवम्बर, 1966 को सभा द्वारा किये गये निर्णयों को विखण्डित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 का लागू होना निलम्बित किया जाये ।"

मैं सभा तथा कांग्रेस के सदस्यों से विशेषकर यह निवेदन करूंगा कि इस मामले पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व वे ध्यान पूर्वक विचार करें । सरकार को मिथ्या प्रतिष्ठा तथा हठ पर नहीं

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

अड़े रहना चाहिये । ऐसा करना सरकार के लिए उचित नहीं है । आप ने भी पीठासीन अधिकारियों की बैठक में जो परामर्श दिया था उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है । सरकार को सभा की कार्यवाही में अध्यक्ष महोदय के स्वविवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । सरकार में अदक्षता, भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन के कारण राष्ट्रीय कार्यों में भी हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं यदि सरकार अपने आयोजन में असफल हो जाती है तो इसके लिए उसे विरोधी दलों को दोष नहीं देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय आप ने यह भी सुझाव दिया था कि विरोधी दलों के जो सुझाव ठीक अथवा युक्तियुक्त हों उनको सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । परन्तु सरकार ने आप के किसी सुझाव पर भी ध्यान नहीं दिया है । सरकार को कम से कम यह सुझाव तो मान ही लेना चाहिए कि दिन के अन्त में वह गणपूर्ति बनाये रखेंगे । यह देखना सरकार का काम है कि गणपूर्ति के होते हुए विधेयक आदि पारित हों चाहे उसके लिए सभा को सात बजे शाम तक क्यों न बैठना पड़े ।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : इस विषय पर बोलने के लिए अन्य सदस्यों को भी अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : जो व्यक्ति न्याय चाहता है उसे स्वयं न्याय करना चाहिए । इस प्रस्ताव के प्रस्तावक तथा उनके साथी सभा द्वारा लिये गये निर्णय के विरोध में सभा छोड़ कर चले गये थे और सारा दिन अनुपस्थित रहे थे । यदि वे वास्तव में सभा के इस निर्णय को बदलना चाहते थे तो उनको सभा में उपस्थित रह कर कार्यवाही में भाग लेना चाहिए था । सभा इस मामले में पहले ही निर्णय ले चुकी है इसलिए उसका विखण्डन करना उचित नहीं होगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : इस प्रस्ताव को कार्य मंत्रणा समिति को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाना चाहिये । ऐसा केवल नियम 338 के निलम्बन से ही किया जा सकता है । सोये हुए को तो जगाया जा सकता है परन्तु जागते हुए को नहीं जगाया जा सकता । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस मामले को प्रतिष्ठा का मामला न बना कर विरोधी दलों की उचित मांग को स्वीकार कर ले ।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड): यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गई है कि सरकार अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहती और विरोधी दलों को दबाना चाहती है । सरकार किसी ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव का उत्तर नहीं देना चाहती । देश में जो कुछ हो रहा है सरकार उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहती । उसको खतरा है कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके सम्बन्ध में आक्रमण-वेला के दौरान उसका पर्दाफाश न हो जाये । यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि सभा की कार्यवाही में भाग लेना लाभदायक होगा अथवा नहीं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : जहां तक सदस्यों के विशेषाधिकार का सम्बन्ध है चाहे वे कांग्रेस के सदस्य हों अथवा विरोधी दलों के, अध्यक्ष महोदय उनको स्वीकार करने में बड़ी उदारता से काम लेते हैं । परन्तु हमारा यह अनुभव है कि आक्रमण-वेला के दौरान महत्वहीन मामलों पर लम्बे लम्बे भाषण करके सभा का समय नष्ट किया जाता है । हमारे विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं । उदाहरण के तौर पर मेरा एक मित्र था जो कि** ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाल दिये गये ।

** The words referred to were expunged as ordered by the Chair—*Vide* p. 2992.

[श्री दी० चं० शर्मा]

यदि विरोधी दलों के सदस्यों को आक्रमण-त्रेला में मनमानी करने दी गई तो इससे शनैः शनैः लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : शून्य काल के दौरान चाहे कुछ मामले अथवा प्रश्न क्यों न उठाये जायें और उससे सरकार को चाहे कितनी भी असुविधा तथा कठिनाई क्यों न हो परन्तु उससे सभा की प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होती । सभा की प्रतिष्ठा तो सत्तारूढ़ दल की स्थिति के समर्थन के लिए घटिया तर्क देने से कम होती है ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : उस समिति की बैठक बुलाये जाने से पूर्व समिति के सदस्यों के बीच इस मामले को औपचारिक रूप से परिचालित नहीं किया गया था । ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर सदस्यों को अपने दल के नेताओं से विचार-विमर्श करना होता है । इस मामले को समिति की कार्यसूची में भी नहीं दिखाया गया था । इसलिए यदि समिति के सदस्य इस मामले पर चर्चा करना चाहते भी हों तो भी वे ऐसा नहीं कर सकते । इन सभी बातों को देखते हुए यह उचित ही होगा कि इस मामले को पुनः कार्य मंत्रणा समिति के पास भेज दिया जाये । यह एक साधारण मांग है इसे मान लिया जाना चाहिए ।

यदि सरकार ने वास्तव में सरकारी कार्य की पूर्ति के लिए ऐसा किया है तो हम आश्वासन दिलाते हैं कि हम कार्य पूरा करने के लिए देर तक बैठने के लिए तैयार हैं । सरकार छः बजे के पश्चात् गणपूर्ति को बनाये रखना सुनिश्चित करे और सामान्य कार्य को आगे चलाय परन्तु शून्य काल के दौरान विरोधी दलों द्वारा सार्वजनिक कष्टों को व्यक्त करने के उनके अधिकार को न छीने । यदि सरकार इस समस्त मामले को पुनः समिति के पास नहीं भेजना चाहती तो वह समिति को स्वतंत्रता से निर्णय करने दे । यदि विरोधी दलों के इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो इससे अधिक गड़बड़ उत्पन्न होने का खतरा है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): The business of Lok Sabha is not only to pass or reject the Bills but also to consider the grievances and difficulties of the people sympathetically and to evolve a rationalise system which may prove helpful in running the Government and also democracy. This Lok Sabha is yet to evolve such a rationalised system. The people of this country are deadly against the Congress Party and have lost all hopes in it. If the opposition is denied the right of expressing themselves and presenting the difficulties of the people in the zero hour the people will be forced to adopt the extreme way of revolution. Abolition of the zero hour may prove fatal to this Government.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): The obstinacy of the Government shows how the mind of the ruling party is working. It is but right to send this matter back to the Committee where the issue can be discussed in a cool and calm atmosphere.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): I have failed to understand what special situation has arisen today which has necessitated for the Business Advisory Committee to recommend such a motion which is against all the Parliamentary Practices and which may also prove fatal to democratic traditions. We can put before the House grievances of the people through the Calling Attention Notices, Adjournment Motions only, and the time for this is fixed *i.e.* after the Question hour. This right should not be denied

to the opposition. Moreover this is the last session of this Lok Sabha and we should not establish such wrong practices.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satyanarayan Sinha): When this issue was raised last time. I made it amply clear that we neither intend to take away the right of zero hour of opposition nor we intend to shorten the time. The whole of this discussion is based on the wrong notion that we do not want to give an opprtunity to the opposition to speak. That is an ad hoc arrangement made for this session only. There is no question of making it a precedent. This will not be binding on the future Parliaments. This has been done because time at our disposal is very short and we have to deal with a lot of business. So we should make best use of the available time. Even in spite of all this Speaker has the right to increase the time or to take it after 6 O'Clock.

Shri Hari Vishnu Kamath: The hon. Minister has given a wrong statement. It is written in the motion which was passed by the House day before yesterday that:

> "the Committee further recommend that miscellaneous items of business included in the List of Business for the day which are taken up after the Question Hour should be disposed of by 12.30 P.M.

इसलिए अध्यक्ष महोदय आप को कोई विवेक के प्रयोग का कोई अधिकार नहीं दिया गया है । आप को तो केवल यह निर्णय करना है कि छः बजे के पश्चात् कौन सा मामला लिया जाये । सरकारी कार्य को छः बजे के पश्चात् क्यों नहीं लिया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस चर्चा को पुनः आरम्भ करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री रंगा (चित्तूर) : माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । क्या वास्तव में कार्य मंत्रणा समिति का यह काम है कि वह सुझाव दे कि समस्त सत्र में सभा का कार्य किस प्रकार चलाया जाना है । क्या यह सच नहीं है कि कार्य मंत्रणा समिति का काम सरकार द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले अगले सप्ताह में कार्य संचालन के बारे में सुझाव देना है ? इसके अतिरिक्त यह मद समिति की कार्यसूची में नहीं थी । संसद्-कार्य मंत्री ने यह प्रश्न उस समय उठाया जब समिति के सदस्य बाहर जाने के लिए तैयार थे । सभा को इस मामले में इतनी शीघ्रता से निर्णय नहीं करना चाहिए था विशेषकर जबकि सभी विरोधी दल इसका विरोध कर रहे थे और सभा से बाहर चले गये थे । विभिन्न मोर्चों पर, विशेष कर खाद्य के मोर्चे पर सरकार द्वारा असफल रहने के कारण बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भयंकर घटनाएं घट रही हैं । सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि भुखमरी से कई व्यक्ति मरे हैं । सरकार ने स्वयं इन बातों को सभा के समक्ष रखने और सभा को उन पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया । उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की हड़ताल के बारे में भी सरकार ने सभा को कुछ नहीं बताया । देश के सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में सम्बन्धित मंत्री कोई उत्तर देने से हिचकिचाते हैं । इस प्रकार लोकतंत्र को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता । सरकार को स्वयं पहल करनी चाहिए, जिससे सभा पहले की स्थिति बनाये रखने के लिए काम कर सके । शून्य काल (जीरो आवर) को बढ़ाने का लाभ इससे सिद्ध हो चुका है कि उसमें देश के समक्ष विद्यमान महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

[श्री रंगा]

शून्य काल (ज़ीरो आवर) को घटाने के स्थान पर सभा की सामान्य कार्यवाही छः बजे सायंकाल के बाद बढ़ा दी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वह तर्क को सुनें।

श्री रंगा : मेरा निवेदन केवल यह है कि इस मामले में यथापूर्व स्थिति बनाई रखनी चाहिए। हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं।

श्री दाजी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि श्री सत्य नारायण सिंह आपके स्थान पर गये और वहां यह निर्णय किया गया कि ज़ीरो आवर कम कर दिया जाये। क्या यह सच है ?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मेरे निवास स्थान पर किसी समय भी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : नियम 25 के परन्तुक में कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय की सम्मति के बिना कार्य-सूची में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे समक्ष एक निश्चित प्रस्ताव है। मैं उसे सभा के समक्ष रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि कार्य मंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन के विषय में 3 नवम्बर, 1966 को सभा द्वारा किये गये निर्णयों को विखण्डित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 388 लागू होना निलम्बित किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 45, विपक्ष में 121

Ayes 45; Noes 121

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

श्री हरि विष्णु कामत : यह संसद का उपहास है।

श्री वासुदेवन नायर : यह लोकतंत्र की हत्या के लिए जान-बूझ कर किया गया प्रयत्न है। इसके विरोध में हम सभा से उठकर जा रहे हैं।

(इसके पश्चात् श्री हरि विष्णु कामत तथा श्री वासुदेवन नायर विरोधी दलों के अन्य सदस्यों के साथ सभा से बाहर चले गये।)

(Then Shri Hari Vishnu Kamath and Shri Vasudevan Nair along with other Members of opposition groups left the House.)

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE. PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF KERALA—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री हाथी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित सांविधक संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

> "कि यह सभा, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 24 मार्च, 1965 की उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1966 से छः मास की अग्रेत्तर अवधि तक लागू रखने का अनुमोदन करती है ।"

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं कल कह रहा था कि केरल के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक बड़े पैमाने पर हड़ताल करना चाहते हैं । वहां के अध्यापक भारत के अन्य राज्यों के अध्यापकों की तरह वेतन और भत्तों के मामले में बहुत अशान्त और अप्रसन्न हैं, शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कम से कम केरल में तो सीधे रूप से कार्यान्वित कर दिया जाना चाहिये । प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों से लेकर कालेज तथा विश्व-विद्यालय स्तर तक के अध्यापकों को शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिक वेतनमान दिये जाने चाहिय ।

[श्री उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

केरल भारतीय दर्शन का घर रहा है । भारत के महानतम दार्शनिकों में से एक श्री शंकराचार्य केरल में पैदा हुए थे । त्रावणकोर के केरल विश्वविद्यालय में एक डा० राधाकृष्णन दर्शनपीठ की स्थापना की जानी चाहिये ताकि श्री शंकराचार्य द्वारा जलाई गई दर्शन की ज्योति को प्रज्वलित किया जा सके । केरल के किसी एक विश्वविद्यालय में एक संस्कृत पीठ भी होनी चाहिये । उसे श्री शंकराचार्य संस्कृत पीठ कहा जाना चाहिये । भारत के लोगों को उनके दर्शन की सब से अधिक आवश्यकता है ।

केरल को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जाना चाहिये । केरल के लोगों में आथित्यसत्कार की भावना है और उसका लाभ उठाकर उसे पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करके डालर, पौंड और रुपये कमाये जा सकते हैं ।

यह खेद की बात है कि केरल बेकारी के पुराने रोग से पीड़ित है यद्यपि वह भारत में सब से अधिक शिक्षित राज्य है । सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो देश के उस भाग में रोज़गार के साधन निकाले । सब से उत्तम बात यह होगी कि और तापीय तथा जल विद्युत् संयंत्र स्थापित किये जायें ।

तकावी ऋण न लौटाने के कारण बहुत से लोगों को भूमि से बेदखल कर दिया गया है । ऐसे बहुत से अन्य स्थान हैं जहां कृषकों ने तकावी ऋण नहीं लिये हैं । सरकार को कृषकों की कठिनाइयों पर ध्यान देना चाहिये और उन्हें हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिये ।

[श्री दी० चं० शर्मा]

काफी समय से कोचीन पत्तन से मिट्टी नहीं निकाली गई है । इसका फल यह हुआ है कि यह उत्तरोत्तर अप्रभावकारी बनता जा रहा है । उसमें से गाद तथा मिट्टी निकाली जानी चाहिये । कोचीन हमारे देश का एक बड़ा पत्तन होना चाहिये ।

मछली केरल के लिए तथा देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक साधन है । बताया जाता है कि मीनक्षेत्र निगम ठीक रूप से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि वे उस मछली का लाभ उठाने में असमर्थ हैं जोकि बहुत कम समय के बाद मर जाती है । राज्य में मीनक्षेत्र उद्योग को पुनः बहाल करने तथा पुनः संगठित करने के लिए प्रभावी पग उठाने चाहियें । मछुओं को मत्स्यनौकायें, नावें और अन्य निजी सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

इसमें सन्देह नहीं कि लोकतंत्रात्मक सरकार, चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी, राज्यपाल के शासन से अच्छी है परन्तु कई स्थानों पर राज्यपाल के शासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और मुझे आशा है कि जब लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित हो जायेगा तो यह राज्य उन्नति करेगा ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I support the resolution for continuance of the Proclamation in the State of Kerala. A discussion on the advantages and disadvantages and the propriety of President's rule in Kerala was held last time and we cannot go into it now.

There is no need of holding separate election in Kerala as the General election is very near. It will be a very good thing if any political party gets a majority in the coming elections.

I would like to draw the attention of hon. Minister to the Five-Year Plan. Forest wealth of Kerala is abundant. The forest products are being exported and we are earning foreign exchange thereby. The people of Kerala produce only cash crops and, therefore, food situation is not satisfactory there. They should also produce foodgrains.

Kerala is not lagging behind other States in the matter of development. Something should be done with regard to the unemployment problem in Kerala. Attention should also be paid to the development of tourism. The persons settled on the forest land should not be evicted and if they are evicted, they should be provided alternative land.

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho): The demand for extension of President's rule in Kerala is not proper, but has to be accepted since all efforts to establish a stable government there have proved unsuccessful. I am happy that Kerala is progressing in all the directions under President's rule.

During my visit to Kerala, I saw the forests of Kerala. The Kerala earns foreign exchange through its forest products. There is shortage of foodgrain in Kerala and cash crops are produced there. It is our bounden duty to provide foodgrains to them so that they are able to earn foreign exchange for us.

Irrigation in Kerala is done through the medium of persian wheels and electrical pumps. There are very good provisions for irrigation in that state. The Government should also arrange those means of communications in northern parts of the country which are affected by drought.

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : मैं बहुत दुःख के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने की अनुमति देने से अधिक और कोई बात अलोकतन्त्रीय नहीं है। केरल की जनता को लोकप्रिय सरकार से वंचित रखना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मुझे है कि कम से कम आने वाले समय में चुनावों में केरल विधान सभा में एक बहुमत वाला दल होगा और पीछे की गलतियां पुनः दुहराई नहीं जायेंगी।

लोगों को नियन्त्रणाधीन रखने के तरीकों में से एक यह है कि सरकार स्वयं लोकतन्त्र के सिद्धान्त में श्रद्धा रखती हो। यदि उन नियमों का ध्यान से पालन नहीं किया जायेगा तो मेरा विश्वास है कि केरल के सम्बन्ध में की गई पहली कार्यवाही को पुनः दुहराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैंने केरल के सदस्य के विचार विशेष रूप से सुने हैं और मैं उनके उस विचार से सहमत हूं कि उन्हें लोकप्रिय सरकार का शासन प्राप्त नहीं है। हम सभी की यह इच्छा होनी चाहिये कि जाने वाले चुनाव में एक दल का बहुमत हो और शीघ्र ही वहां लोकप्रिय सरकार बने ;

श्री गोपालन ने यह आरोप लगाया है कि जहां कहीं राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया, इसी कारण किया गया कि वहां पर कांग्रेस दल का शासन नहीं था। यह कहना गलत है। जब पंजाब के मुख्य मन्त्री डा० गोपीचन्द्र भार्गव थे और वह वहां पर कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था।

केरल में जनशक्ति, सामग्री तथा संसाधन बहुत अधिक हैं। जितने माननीय श्रम तथा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो, हमें उनकी व्यवस्था करनी चाहिये और मुझे विश्वास है कि उससे केरल का विकास होगा। राष्ट्रपति के शासन की अवधि के दौरान यह प्रयत्न किया गया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और सबसे महत्वपूर्ण विकास अधिक उत्पादन वाली विभिन्न किस्मों के कार्यक्रम को चालू करने में हुआ है। पिछली फसल पूर्ण रूप से सन्तोषजनक रही है और आशा है कि केरल शीघ्र ही अन्न में आत्म निर्भर हो जायेगा।

इस विभाग का एक और महत्वपूर्ण कार्य त्रिचूर, एलेप्पी तथा कोट्टायम जिलों की एक फसल वाली भूमि में एक और फसल उगाना था एक और महत्वपूर्ण कार्य जिला कन्नानूर में लेटराइट क्षेत्रों को कृषि-योग्य बनाने का था। वहां पर टेपिओका, धान तथा सब्जियां उगाई गई हैं और जब तक उत्साहवर्धक पैदावार हुई है। जहां विचार यह है कि वर्ष में पांच हजार एकड़ तक और भूमि में कृषि की जाये। 1966–67 के दौरान राज्य योजना में मत्स्यपालन के लिए 84 लाख रुपये का खर्च बढ़ा कर 138 लाख किया गया है। उसी अवधि में 267 यन्त्रीकृत नौकाओं का निर्माण मछुओं को देने के लिए किया गया था। इस के इलावा जब 169 नौकायें बनाई जा रही हैं। पांच करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी से केरल फिशरीज कार्पोरेशन की स्थापना की गई हैं। निगम ने काम करना आरम्भ कर दिया है।

यह गलत है कि केरल में लोकप्रिय सरकार न होने के कारण चतुर्थ योजना सफल नहीं होगी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 170 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था और चतुर्थ योजना में प्रस्तावित परिव्यय 309 करोड़ रुपये का था।

[श्री हाथी]

हमने परामर्शदाता समिति से कोचीन पत्तन के बारे में विचार-विमर्श किया है और सदस्यों की इच्छा है कि उनका मत परिवहन मन्त्री के समक्ष रखा जाये। मैं यह बात पहले ही सम्बन्धित मन्त्री को बता चुका हूं।

विद्युत् बोर्ड का मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंप दिया गया है। केरल के एक सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। उसी प्रकार अन्य समस्यायें भी हल कर ली गई हैं।

परामर्शदाता समिति के बारे में कहा गया है कि उस समिति द्वारा किये गये निर्णय अभी तक लागू नहीं किये गये हैं। उन्हें लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। परन्तु पूरी तरह लागू करने में कुछ समय लगेगा।

उद्घोषणा को जारी रखने के मुख्य प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है। इसलिए, मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि उस संकल्प को स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 24 मार्च, 1965 की उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1966 से छः मास की अग्रेत्तर अवधि तक लागू रखने का अनुमोदन करती है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

कीटनाशी विधेयक

INSECTICIDES BILL

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): I beg to move:

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides with a view to prevent risk to human beings or vertebrate animals, and for matters connected therewith, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 26th July, 1966 and communicated to this House on the 28th July, 1966 and resolves that the following 30 members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:—

Shri Alvares, Shri Balmiki, Shri Bibhuti Mishra, Shrimati Zohraben A. Chavda, Sardar Daljit Singh, Shri Ganapati Ram, Shri Ansar Harvani, Shri Hazarika, Shri Kandappan, Shri Kapur Singh, Shri Mohammad Koya, Shri Kunhan, Shri Narendrasingh Mahida, Shri Inder J. Malhotra, Shri Maruthaiah, Shri Shiv Charan Mathur, Shri K. L. More, Shri Vasudevan Nair,

Shrimati Sahodra Bai Rai, Shri Ram Sewak, Shri Ramapathi Rao, Shri R. Surender Reddy, Dr. Sisir Kumar Saha, Shri C. Subramaniam, Shri Surya Prasad, Shri Mohammad Tahir, Shri Thimmaiah, Shri Vishram Prasad, Shri Yudhvir Singh, and Dr. Sushila Nayar."

This House further recommends to Rajya Sabha that the said Joint Committee be instructed to report by the 30th November, 1966."

Let me state that it is necessary to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and the use of insecticides with a view to prevent risk to human beings or vertebrate animals. This Bill should be passed very soon in this session. It was 1958 that a committee was appointed under the chairmanship of Shri Shah to draft the Bill for the above mentioned purpose. The Committee submitted the report in 1958 and recommended a Bill for this name. The Government accepted the proposal but Government could not do anything in the direction due to certain reasons.

In 1963 it was suggested by Shri S. K. Patil that this matter should be taken up by the Health Ministry, as all the work of drugs control is being done by the Health Ministry. Then the Bill was drafted and presented to the Rajya Sabha. A Committee was also appointed and we have received the Report of the Committee. It is already late and it should be attended to immediately.

I hope that members are in the know that insecticides have caused several deaths in the various parts of the country some years ago. According to the recommendation of the committee, it is very essential to handle the insecticides carefully so that they may not be mixed with foodgrains. The Government have accordingly brought forward a Bill. The Bill is being referred to a Joint Committee.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : यह विधेयक काफी देर से आया है । इसके बिना मानव जीवन को काफी हानि हो रही थी । इसका उद्देश्य कीटनाशी दवाइयों के आयात निर्यात, निर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण तथा उपयोग को विनियमित करना है । इस विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए । यह तो उचित ही है कि कीटनाशी औषधियों को रखने के अधिकार पर कुछ न कुछ नियन्त्रण होना चाहिए । ऐसी खबरें मिली हैं कि उनका उपयोग प्राय: आत्म-हत्या करने के लिए यद्यपि इसके लिए दण्ड की भी व्यवस्था है, परन्तु मेरा मत है कि इस मामले में दण्ड तनिक सावधानी से दिया जाना चाहिए । विधेयक में अधिकारियों को अधिक अधिकार दिये गये हैं, इनसे कुछ लाभ होने की ही आशा है ।

मैं इस बारे में एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि यह विधेयक मनुष्यों अथवा रीढ़दार पशुओं के जोखिम को रोकने की दृष्टि से पारित किया जा रहा है । मेरा विचार है कि इन वाक्यों के अर्थ करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है । अत: मेरा सुझाव यह है कि 'रीढ़ दार' शब्द से पूर्व 'अन्य' शब्द जोड़ दिया जाये । इससे सारी पदावली का अर्थ 'मानव अथवा अन्य रीढ़दार पशु' हो जायेगी ।

इस विधेयक के लिए स्वास्थ्य मन्त्री बधाई के पात्र हैं ।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): I support this Bill wholeheartedly. I am of the opinion that this Bill is very necessary in the interest of the

[Shri Shree Narayan Das]

agricultural production. There is growing use of insecticides in the country. The contents of these insecticides are poisonous and may cause deaths. This has been happening in the past. In the circumstances it is very necessary that their manufacture, sale and distribution was correctly regulated. It is good that the Bill is going before the Joint Committee. The whole matter should given very serious consideration.

I agree with the object of the Bill, but I feel that there will be some difficulties in the implementation of certain things. My request is that Government should take care that the officers and agencies appointed to give effect to the provisions of the Bill. It should be very carefully seen that they discharge their duties honestly and efficiently. If it is not done, this is certain that the purpose of the Bill will be defeated. The failure of the Prevention of Food Adulteration Act is simply due to the officers. Government should draw some conclusion and take some lesson from that.

I would also like to suggest, that while discharging the applications, the officers concerned should mention the reasons why it is necessary that the applicant can go ahead. Punishments provided for the violation of this provision are not uniform. They should be uniform. Moreover the law should be such that people may not get hard punishments for small and ordinary offences. This point should be considered by the Joint Committee. With these words I support the Bill.

Shri P. G. Sen (Purnia): I support this Bill and I am of the opinion that it has been brought forward with good intentions. I want to urge specially that the use of this law should be done in villages extensively. This is a well-known fact that the insecticides are very injurious for health. Therefore it is very essential that it may be handled very carefully. I am of the opinion that special training should be given to the people for spraying insecticides. I congratulate the Minister for this Bill and support it heartily.

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए
Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

Shri Raguñath Singh (Varanasi): I support the Bill brought forward by Dr. Sushila Nayar. I also appreciate the efforts that the Health Minister is taking for encouragement of Ayurvedic, which is being lauded in all directions.

As far as this Bill is concerned, it has come in pursuance of the recommendation made by the Kerala and Madras Food Poisoning Cases' Enquiry Commission which was appointed to go into the cases of food poisoning in the different parts of the country. The need for this Bill has been felt for a long time. The Bill should be sufficiently publicised.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : खाद्य में विष मिल जाने के कारण ही इस विधेयक की आवश्यकता महसूस हुई। कीटनाशकों के द्वारा खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के परिणामस्वरूप बहुत से लोग मर गये। अतः उसका उपचार करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । भारत सरकार द्वारा केरल और मद्रास में खाद्य-विषाक्तता की जांच के लिए आयोग नियुक्त किया गया था। उसने कुछ अल्पकालीन और कुछ दीर्घकालीन सुझाव प्रस्तुत किये। अल्पकालीन सुझावों को कार्यान्वित करने की दिशा में कार्यवाही की जा चुकी है। दीर्घकालीन उपायों के बारे में इस विधेयक के उपबन्धों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसके अन्तर्गत कीटनाशकों के निर्माण, विक्रय, स्टोर करने तथा

लाने ले जाने के अतिरिक्त वितरण तथा प्रयोग विनियमन की भी व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए उपबन्ध बनाये जायेंगे ।

इस दिशा में मेरा यह सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था की जाती कि बन्दरगाहों पर जिस समय खाद्यान्न जहाजों से उतारा जाय तो उस समय निकट में कोई रसायनिक मिश्रण नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। मेरा विचार है कि यदि इस सावधानी का प्रयोग कर लिया गया तो इस बारे में अधिकांश शिकायतें दूर हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक के खण्ड 24 पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके अन्तर्गत उन स्थानों के बताने की व्यवस्था है जहां कि कीटनाशक बनते तथा स्टोर किये जाते हैं। यह बहुत ही जरूरी बात है। यह इस लिए जरूरी है कि सरकार अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सकी कि ये कीटनाशक कहां से आते हैं।

खण्ड 25, 27 और 34 बहुत ही महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं। इनके अन्तर्गत कीटनाशक विश्लेषण, उसकी रिपोर्ट, विषाक्तता की अधिसूचना और कम्पनियों के अपराधों के बारे में उपबन्ध आते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मुथिया (निरूनेल वेली) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इससे प्राणियों की रक्षा में सहायता मिलेगी। इस विधेयक का उद्देश्य ही यह है कि कीटनाशी दवाइयों से आदमियों और पशुओं को घायल होने से बचाया जाय। विधेयक उन व्यक्तियों के पंजीकरण और लाइसेंस देने से सम्बन्धित है जो कीटनाशी दवाइयों का निर्माण करना चाहता है अथवा बेचना चाहता है। इसमें केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड तथा उस उद्देश्य के लिए एक पंजीकरण समिति की स्थापना करने के लिए व्यवस्था की गई है।

मैं विधेयक के खण्ड 9 का स्वागत करता हूं। इसके अन्तर्गत पंजीकरण समिति को कीटनाशी पदार्थ के रजिस्टर करने से इंकार करने अथवा पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि परन्तुक से सरकारी अत्याचार अथवा दल को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। खण्ड 24, जिसमें लोक सुरक्षा के लिए कीटनाशी के प्रयोग को निषिध करने की व्यवस्था की गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। खण्ड 39 में कुछ लोगों को छूट दी गई।

Shri Brij Bihari Mehrotra (Bilhaur): I support the Bill, put forward by the Health Minister. In order that our agricultural production may increase, it is very essential to have insecticides. They are very badly needed. In this connection we should keep one thing in view and that is their price should not be very high. The peasants and farmers are not in a position to purchase them for the purposes of agricultural use, because of high prices. Moreover we should depend on foreign import of this item. We should produce them locally. It will save much of our foreign exchange.

Dr. Sushila Nayar: The House has welcomed this Bill, I am grateful to the House. Some suggestions have come. We are trying to encourage the production of insecticides in the country and some of the insecticides are already being introduced. Other suggestions given by the hon. Members would also be kept in view when the Bill will be considered in the Joint Committee.

Once again I express my gratitude to the House and assure the members that their suggestions will be considered.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा अपनी 26 जुलाई, 1966 को हुई बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 28 जुलाई, 1966 को इस सभा को भेजी गई

[सभापति महोदय]

इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा मानव-प्राणियों या केशरुकीय जीव-जन्तुओं के खतरे का निवारण करने की दृष्टि से कीटनाशी के आयात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग का विनियमन करने के लिए और तत्सम्बन्धित विषयों के लिए विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाये, अर्थात् :—

श्री अल्वारेस, श्री बाल्मीकी, श्री विभूति मिश्र, श्रीमती जोहराबेन चावदा, श्री दलजीत सिंह, श्री गणपति राम, श्री अन्सार हरवानी, श्री हजारिका, श्री कंडप्पन, श्री कपूर सिंह, श्री मुहम्मद कोया, श्री कुन्हन, श्री नरेन्द्र सिंह महीडा, श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा, श्री मरुथैया, श्री शिव चरण माथुर, श्री मोरे, श्री वासुदेवन नायर, श्रीमती सहोदरा बाई राय, श्री राम सेवक, श्री रमापति राव, श्री सुरेन्द्र रेड्डी, डा० शिशिर कुमार साहा, श्री चि० सुब्रह्मण्यम, श्री सूर्य प्रसाद, श्री मुहम्मद ताहिर, श्री तिम्मय्या, श्री विश्राम प्रसाद, श्री युद्धवीर सिंह और डा० सुशीला नायर ।

यह सभा राज्य-सभा से यह भी सिफारिश करती है कि उक्त संयुक्त समिति को 30 नवम्बर, 1966 तक प्रतिवेदन देने की हिदायत दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

दिल्ली नगर निगम (विद्युत्कर की विधिमान्यता) विधेयक

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (VALIDATION OF ELECTRICITY TAX) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विद्युत् के उपभोग या विक्रय पर दिल्ली नगर निगम द्वारा कतिपय करों के अधिरोपण और संग्रहण को विधिमान्य करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक एक समर्थक विधेयक है जो पीछे हुई कुछ भूलों का सुधार करता है । विधेयक के खंड 2 (1) के उपखंड (i) के अनुसार, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन का दिनांक 24 जून, 1959 का संकल्प, जहां तक कि इसके द्वारा बिजली की खपत तथा बिक्री पर लागू दर का सम्बन्ध है, उसे विधि द्वारा पारित किया हुआ माना जायेगा और उपरोक्त संकल्प निश्चित किये गये दरों को दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बदल न दिया जाय, वास्तविक लागू दर समझा जायेगा ।

खंड 2 का उपखंड किसी डिग्री अथवा किसी वाद को मानने से वर्जित करता है । इसमें अग्रेतर यह उपबन्ध है कि कारपोरेशन द्वारा कर को लागू करने अथवा वसूली के सम्बन्ध में की गई कोई कार्यवाही विधि के अनुसार समझी जायेगी । कर की विधि द्वारा मान्यता दिये जाने के बारे में कुछ

परिणामिक खण्ड भी हैं। दिल्ली परामर्श दात्री समिति ने इससे पहले ही विधान का पुष्टिकरण कर दिया है । इस कारण दिल्ली नगर समिति तथा दिल्ली नगर पालिका में परस्पर कुछ विवाद है। महान्यायवादी का इस बारे में मत लिया गया था। अन्ततोगत्वा उसने भी सरकार को यही परामर्श दिया कि अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके स्थिति को स्पष्ट कर देना अधिक अच्छा होगा। इस परामर्श के अनुसरण में यह विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया गया है।

मैं विधेयक विचार के लिये पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा (आनन्द) : यह बड़ा आश्चर्यजनक विधेयक है । नगर निगम ने एक भूल की और न्यायालय ने उस भूल को ठीक कर दिया। ऐसी स्थिति में सदस्यों के लिये इस विधेयक का समर्थन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं रहता। मेरा इस दिशा में यह निवेदन है कि भविष्य में यदि ऐसे संकल्प पारित करने हों तो नगर निगम को अधिक सावधनी से काम लेना चाहिए।

Shri Naval Prabhakar (Delhi Karol Bagh): This is very simple Bill. The Advisory Committee for Delhi have approved the Bill. Government have brought forward the Bill to remove the difficulty created by the judgement of the Punjab High Court. With these words I welcome this Bill and urge the House to accept it.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : इस विधेयक को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में, नगर निगम ने जो कुछ किया है उसको इस विधेयक द्वारा मान्यता दी गयी है । यह सब भूतलक्षी प्रभाव से किया गया है। इसके दूसरे भाग में, न्यायालय के समक्ष निगम के प्रकट होने के परिणामों के फलस्वरूप जो कुछ किया गया है उसकी सारी कमी को मुआवजा देकर पूरी कर दी गई है।

मेरा अनुरोध यह है कि गृह-कार्य मंत्रालय को इस बात की छान-बीन करनी चाहिए कि क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम को उन त्रुटियों को दूर करने के लिए जिनके कारण वर्तमान कठिनाई उत्पन्न हुई है, संशोधित किया जाना चाहिए । बस केवल मैंने इतना ही गृह मंत्री से निवदन करना है कि वह इस पर विचार करें।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : दिल्ली नगर निगम ने एक संकल्प पारित किया जिसे पंजाब उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। उसका कहना था कि बिजली की खपत पर कर लगाने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है। मुझे यह मालूम नहीं कि यह प्रश्न प्रथम बार ही हमारे सामने आया है, अथवा इससे पूर्व भी आ चुका है। प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार को उसी शक्ति के अधीन निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में तबदीली करने का अधिकार है अथवा नहीं ? इस दिशा में यह बताया जाना चाहिए कि क्या केन्द्रीय सरकार ने निगम के उस संकल्प पर विचार करते हुए इस प्रश्न की छानबीन को है । क्या गृह-मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से स्वीकृति के उपबन्ध के कार्य-क्षेत्र के बारे में सलाह दी है । मैं इस बात का भी अनुरोध करता हूं कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि बिजली की खपत पर कुछ कर लगाने के सम्बन्ध में निगम द्वारा रखे गये प्रस्तावों में तबदीली करने के कारण क्या हैं।

इन शब्दों से मैं इस विधान का समर्थन करता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसका तनिक और स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । इस बात पर निश्चितरूप से तर्क करना सम्भव है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा बिजली की खपत या बिक्री पर कर लगाने एवं वसूली को मान्यता देने, जिसको कार्यरूप देने के लिए विधेयक में व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें संसद् द्वारा ऐसे कर को, भूतलक्षी प्रभाव से संविधान के अनुच्छेद 110 के खण्ड 1 (अ) के अन्तर्गत लगाने की व्यवस्था है।

ऐसी स्थिति में हमने अनुच्छेद (1) (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को सिफारिश प्राप्त की थी। इससे यह सिद्ध हो जायेगा कि कर एकत्र करने के अधिकार को उसी तिथि से मान्यता दी गई है। सरकार द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील न करने का कारण यहहै कि पूरे मामले पर विचार करने के बाद महान्यायवादी ने राय दी है कि इस सम्बन्ध में सभी सन्देहों को दूर करने के लिए अधिनियम में उचित संशोधन करना ही अच्छा होगा और यही कारण है कि सरकार ने वर्तमान संशोधन प्रस्तुत किया है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नगर निगम ने दरों की सिफारिश करते हुए छोटे-बड़े उद्योगों में भेदभाव नहीं किया है। सरकार क्योंकि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्सुक है, अतः सन्तुलन बनाये रखने के लिए लघु उद्योगों पर लागू होने वाली दरें कम कर दी गई हैं तथा दूसरे उद्योगों पर लागू होने वाली दरें कुछ बढ़ा दी गई है। इससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा यह सब की भलाई के लिए है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। यह वित्तीय विधेयक है। अतः इसे अलग से ही लाया जाना था।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत् के उपभोग या विक्रय पर दिल्ली नगर निगम द्वारा कतिपय करों के अधिरोपण और संग्रहण को विधि मान्य करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 और 2, विधेयक का नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 1 और 2, विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

lauses 1 and 2, the Title and the Enacting Formula were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक

COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 को अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

कुछ समय से इस पर विचार करने की बात थी। संक्षेप में इसके लिए तीन संशोधन हैं। प्रथम दो तो मौखिक ही हैं। अतः उन पर मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। इसके अतिरिक्त जो संशोधन है, वह भी साधारण ही है और उसका सम्बन्ध 240 धारा से है। इसमें यह व्यवस्था करने के लिए कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से कोई संकलित सूचना, पुस्तकें और कागजात जो जांच के लिए आवश्यक हो, लेने का अधिकार देने से पहले, इन्सपेक्टर को केन्द्रीय सरकार से अवश्य अनुमति लेनी चाहिए।

कम्पनी अधिनियम की धारा 370 जिसका संशोधन सभा के समक्ष है, एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी को ऋण देने और उस ऋण के सम्बन्ध में गारन्टी देने अथवा प्रतिभूति की व्यवस्था करने के बारे में है। इस धारा में यह कहा गया है कि कोई भी कम्पनी अपनी साधारण सभा के के विशेष संकल्प द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना न ऋण देगी और न गारन्टी आदि देगी। इस धारा की उपधारा (1) के "स्पष्टीकरण" में जो कि 1965 के संशोधन अधिनियम द्वारा रखा गया था, एक कम्पनी को साधारण सभा अपने प्रबन्धकों के बोर्ड का 30 प्रतिशत तक या जैसी स्थिति हो, उसकी समस्त चुकता पूंजी और अबाध जमा का 20 प्रतिशत तक ऋण देने का अधिकार दे सकती है।

अतः प्रत्येक बार जब ऋण दिया जायेगा तो कम्पनी को साधारण सभा बुलाना आवश्यक होगा। यह ढील साधारण सभा बुलाने की व्यवहारिक कठिनाई को, जो कि बड़ी कम्पनियों को विशेष रूप से होती है, देखते हुए दी गई है। पीछे कहे गये स्पष्टीकरण में गारन्टी अथवा जमानतों की व्यवस्था जो कि कम्पनी अधिनियम की धारा 370 द्वारा विनियमित होती है, नहीं आती। अतः इस प्रकार के स्पष्टीकरण के उपबन्ध विशेष रूप से प्रत्याभूतियों और साख पत्रों के बारे में, न होने के कारण यह माना जायेगा कि कम्पनी की साधारण सभा में किये गये विशेष संकल्प की उस समय प्रत्येक बार आवश्यकता होगी जबकि किसी कम्पनी द्वारा कोई गारन्टी अथवा जमानत दी जायेगी। अतः प्रस्तावित संशोधन द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि यदि ऋण देने वाली कम्पनी द्वारा यह विशेष संकल्प पास किया गया है कि उसके प्रबन्धकों का बोर्ड संकल्प में निर्धारित सीमा तक की गारन्टी अथवा साखपत्र देने के लिए अग्रेतर विशेष संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार का संशोधन बड़ा जरूरी है। गत बार यह भूल हो गई थी जिसे अब सुधार लिया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : सब से पहले यह विधेयक 21 सितम्बर,1964 को पारित किया गया था। 1965 को इसे दोनों सभाओं ने पारित कर दिया था। 25 सितम्बर, 1965 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी। इसका उद्देश्य यह था कि वित्तीय संस्थाओं के कार्य करने के राह में जो रुकावटें हैं वे दूर की जाये। कहा गया है कि इसे विवियन बोस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसके सारे उपबन्धों को संशोधन करने के बाद 1 अप्रैल, 1966 को लागू कर दिया था और इसने अध्यादेश का स्थान ले लिया था। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : मामूली भूल हो जाने के कारण इस विधेयक को प्रस्तुत करना पड़ रहा है। विवियन बोस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। उन सिफारिशों के अनुसार परस्पर ऋणों को कम्पनी के परस्पर विनियोजन के जैसा समझा जाना चाहिये।

[**श्री पें० वें० कटासुब्बया पीठासीन हुए**
Shri P. Venkatasubbaiah in the Chair.]

इसका यह मतलब है कि धारा 372 के अन्तर्गत जो प्रतिबन्ध है वे धारा 370 पर लागू हों। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है परन्तु चूंकि उसे धारा 370 में संशोधन करने वाले अधिनियम, अर्थात् कम्पनी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1965 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए हमारे पास कम्पनी के परस्पर ऋणों पर इस अग्रेतर प्रतिबन्ध को स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए हमारे पास कम्पनी के परस्पर ऋणों पर इस अग्रेतर प्रतिबन्ध को स्वीकार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।

यदि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 46 के उपबन्धों को अभी तक लागू न किया गया होता, तो अच्छा होता, क्योंकि बैंकों की वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि यदि हम ने उन उपबन्धों को लागू नहीं किया है तो हम उसे कुछ और समय तक जारी रख सकते हैं। अन्ततः सरकारी नीति में भी वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि संस्थाओं तथा बैंकों को अधिक सरलता से ऋण उपलब्ध कराने पर नियंत्रण में ढिलाई दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड दो में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 3

संशोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 11 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें :

3. In section 370 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1), the Explanation shall be renumbered as Explanation, 1, and after Explanation 1 as so renumbered, the following explanation shall be inserted, namely:—

"**Explanation** 2.—If a special resolution has been passed by the lending company authorising the Board of Directors to give any guarantee or provide any security upto a limit specified in the resolution, then no further special resolution or resolutions shall be deemed to be necessary for giving any guarantee or providing any security within such limit."

(2) In sub section (2),—"

"3. मूल अधिनियम की धारा 370 में—

[(एक) उप-धारा (एक) में व्याख्या को व्याख्या एक पढ़िये और इस परिवर्तित संख्या वाली व्याख्या एक के बाद निम्नलिखित व्याख्या जोड़ दी जाये, अर्थात् :—

व्याख्या 2.—यदि ऋण देने वाली किसी कम्पनी द्वारा विशेष संकल्प पास करके निदेशकों के बोर्ड को संकल्प में निर्दिष्ट सीमा तक कोई प्रत्याभूति अथवा प्रतिभूति देने के लिये प्राधिकृत करती है, तो ऐसी सीमा के अन्तर्गत कोई प्रत्याभूति अथवा प्रतिभूति देने के लिये अन्य किसी विशेष संकल्प अथवा संकल्पों की आवश्यकता नहीं होगी ।"

(दो) उप-धारा (2) में, —'] (3)

[चे० रा० पट्टाभिरामन]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4 में—

"the compaies (Amendment) Act, 1966".

["कम्पनी (दूसरा संशोधन] अधिनियम, 1965"] के स्थान पर "

"the Companies (Amendment) Act, 1965".

["कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1966"] शब्द रख दिये जायें । (2)

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में,—

"sixteenth" ["सोलह"] के स्थान पर "seventeenth" ["सत्रह"] शब्द रख दिये जायें" । (1)

[श्री चे० रा० पट्टाभिराम

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक के पारित करने के बारे में नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव

MOTION UNDER RULE 388 IN RELATION TO PASSING OF CONSTITUTION (TWENTY-FIRST AMENDMENT) BILL

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है ।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं श्री गोपाल स्वरूप पाठक की ओर से प्रस्तुत करता हूं :

"कि संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 पर विचार करने तथा उसे पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का लागू होना निलम्बित किया जाये ।"

नियम 66 इस प्रकार है :

"कोई विधेयक, जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुरःस्थापित किया जा सकेगा :

परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिये केवल तभी लिया जायेगा जबकि पहला विधेयक सदन द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो ।"

लोक सभा में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में चर्चा के लिये आने वाला है । इसके साथ-साथ हमें संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक पर भी विचार करना होगा ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कार्यसूची पर अगला मद लोकप्रतिनिधित्व विधेयक के बारे में प्रस्ताव है। यह विधेयक संविधान (संशोधन) विधेयक पर निर्भर है न कि संविधान (संशोधन) विधेयक लोकप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर निर्भर है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : ये दोनों विधेयक अलग अलग हैं।

श्री श्रीनारायण दास : लोकप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक में हम यह उपबन्ध करने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा गठित किये जाने वाले न्यायाधिकरण को अब गठित नहीं किया जायेगा। निर्वाचन आयोग से यह शक्ति ली जा रही है। अब चुनाव के विरुद्ध सभी याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय में होगी। इसलिए लोकप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक संविधान (संशोधन) विधेयक पर निर्भर है। जब तक निर्वाचन आयोग से उसको संविधान के अन्तर्गत मिली शक्ति को वापस नहीं लिया जाता तब तक अन्य विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। संविधान (संशोधन) विधेयक के लिये नियत संख्या में मतों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस पर पहले विचार नहीं किया जा सकता। कार्यसूची में लोकप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक को पहले तथा संविधान (संशोधन) विधेयक को बाद में दिखाया गया है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि हमें नियम 66 के पर तुक को लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर लागू होने से निलम्बित करना है क्योंकि जब तक संविधान (संशोधन) विधेयक पारित न हो जाये इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभा के समक्ष जो प्रस्ताव है यदि हम उसको पास कर देते हैं तो फिर क्या स्थिति होगी ? बात यह है कि जब तक इस बारे में संविधान में उपबन्ध है इस विधि को लोक-सभा द्वारा पास नहीं किया जा सकता। संविधान (संशोधन) विधेयक को पास किये बिना इस विधेयक को पास करने का क्या लाभ है ? जब इस विधेयक को लागू नहीं किया जा सकता तो इसको पास करने की जल्दी क्या है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस पर पुनः विचार करें। पहले संविधान (संशोधन) विधेयक को पास किया जाना चाहिये। उसके पश्चात् हम इस विधेयक को पास कर सकते हैं।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): कार्यसूची में बताया गया है कि मद 21 और 22 पर एक साथ विचार किया जायेगा। उसमें एक अन्य टिप्पण भी है जिस में बताया गया है कि यदि मद 20 में दिये गये प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तो मद 22 पर मद 21 के साथ विचार किया जायेगा। सरकार का विचार पहले निलम्बन प्रस्ताव को पास करना है और उसके पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व के दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार किया जायेगा। यदि सरकार ऐसा करना चाहती है तो उसके लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए। उन्हें प्रक्रिया संबंधी नियमों में बताई गई प्रक्रिया का ही अनुसरण करना चाहिए

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : श्री श्रीनारायण दास ने जो मामला उठाया है वह एक मूलभूत मामला है। उनका कहना है कि परन्तुक को संविधान के संशोधन संबंधी प्रस्तावों के लिये नहीं बल्कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्तावों के लिए निलम्बित किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि श्री श्रीनारायण दास द्वारा उठाये गये इस मामले की ओर विधि मंत्री ध्यान देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : हमारे समक्ष नियम 388 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव है। इस नियम में बताया गया है :

> "कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगित नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा।"

अब नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन का प्रश्न है। यदि हम मद 20 को गृहण करते हैं तो हम मद 22 पर विचार कर सकते हैं। यदि हम इसको रद्द कर देते हैं तब हम मद 21 पर विचार कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : स्थिति इस प्रकार है। संविधान के अनुसार न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को दी गई है। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन में चुनाव संबंधी सभी झगड़ों को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकर में लाने की व्यवस्था है। यदि संविधान में संशोधन किया जाता है और चुनाव आयोग से निर्वाचन न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति लेली जाती है केवल तभी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन द्वारा यह शक्ति उच्च न्यायालय को दी जा सकती है। इसलिए प्रत्येक दूसरे पर निर्भर है।

श्री श्रीनारायण दास : एक विधेयक है तथा दूसरा संविधान है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यदि संविधान में संशोधन किया जाता है तब उस मामले में निर्वाचन आयोग के पास न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति नहीं रहती है।

श्री त्यागी (देहरादून) : जिस प्रकार हमने संविधान में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया है उसी प्रकार निर्वाचन आयोग का भी संविधान में उल्लेख किया जा सकता है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : संविधान में संसद् को यह शक्ति दी है कि वह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किसी को भी दे सकती है। यदि किसी अन्य उपबन्ध द्वारा अन्य शक्ति दी जाती है तो यह उपबन्धों का दोहराया जाना होगा। इसलिए ऐसी शक्ति देने के लिए कानून में अन्य उपबन्ध करना सम्भव नहीं है। यदि श्री त्यागी के सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि यद्यपि चुनाव संबंधी झगड़ों के मामलों को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाने की शक्ति पहले ही है तथापि आप उसी शक्ति को अन्य उपबन्ध द्वारा पुनः दे रहे हैं। यह केवल फालतू ही नहीं अपितु उन्हीं उपबन्धों का दोहराया जाना होगा। इसलिए इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा सकता।

नियम 66 का पहला भाग विधेयक को केवल प्रस्तुत करने के संबंध में है। विधेयक पूर्वाशा में प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु परन्तुक विधेयक पर विचार करने के संबंध में है। परन्तुक इस प्रकार है :

> "परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिये केवल तभी लिया जायेगा जबकि पहला विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।"

[श्री गोपाल स्वरूप पाठक]

यदि इस परन्तुक को लागू किया जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि संविधान संशोधन विधेयक को पहले पास कर दिया जायेगा और निर्वाचन आयोग से न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति ले ली जायेगी और केवल तभी लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। यदि वह विचार के लिये आता है और सभा उसको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकर में नहीं देती तो स्थिति यह होगी कि न तो कोई न्यायाधिकरण होगा अथवा न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति होगी और न ही इन झगड़ों पर निर्णय देने के लिये उच्च न्यायालय के पास शक्ति होगी। इसलिये इस परन्तुक के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव पर पहले विचार किया जाना है ताकि संसद् के लिये संविधान संशोधन विधेयक पहले पास करना और राष्ट्रपति के लिये उस पर अनुमति देना आवश्यक न हो। जब तक चुनाव आयोग को यह शक्तियां प्राप्त हैं कि वह न्यायाधिकरण नियुक्त करे तब तक संसद् उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन (विधेयक) में उपबन्ध नहीं कर सकती। इस लिए, यह आवश्यक है कि अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को दी गई न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति समाप्त की जाये। हम उसी कारण संविधान में संशोधन चाहते हैं।

यदि परन्तुक को निलम्बित न किया जाये तो प्रश्न उत्पन्न होगा कि पहले विचार किस पर किया जाये। इसी कारण हम परन्तुक के निलम्बन का प्रस्ताव कर रहे हैं। मतदान दोनों विधेयकों पर पृथक पृथक हो सकता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में तथा संविधान इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 पर विचार करने तथा उसे पास करने संबंधी प्रस्तावों पर लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का लागू होना निलम्बित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

(लोक प्रतिनिधित्व संशोधन) विधेयक तथा संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF PEOPLE (AMENDMENT) BILL AND CONSTITUTION TWENTY-FIRST (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये

संविधान का संशोधन इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि सरकार ने निर्णय किया है कि चुनाव न्यायाधिकरण के स्थान पर उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं का निर्णय करना चाहिये जिससे चुनाव के बारे में विवाद शीघ्रता से निपटाये जा सकें। ऐसे संशोधन के बिना उच्च न्यायालयों को चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय करने की शक्तियां देना सम्भव नहीं होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में यह मामला दोनो सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया है और संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष है।

संयुक्त समिति ने खण्ड 9 के अधीन एक संशोधन की सिफारिश की है। सरकार उस संशोधन को स्वीकार कर रही है। मैं सभा को उस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : यह दोनों विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हैं। विरोधी दल के सदस्य उपस्थित नहीं हैं, उन पर चर्चा स्थगित की जाये।

श्री काशी नाथ पांडे (हाता) : मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। किसी ने विरोधी सदस्यों को जाने के लिए नहीं कहा।

श्री राधे लाल व्यास : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है। अब भी गणपूर्ति नहीं है। सभा कल तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 9 नवम्बर, 1966/18 कार्तिक, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, November 9, 1966/Kartika 18, 1888 (Saka).

GMGIPND—LSU—2207(Ai)LS—22-4-67—600.